खण्ड-352, अंक-3
गुरूवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1903
(17 सितम्बर, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 352 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	469–472
प्रश्नोत्तर	473–569
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मुनीन्द्र पाल सिंह के निधन पर शोकोद्गार	570–572
परिवहन निगम की बस गंगा में डूबने से मृत व्यक्तियों पर शोक संदेश व शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना ..	572–573
हरदोई जिले में सस्ते मूल्य की कापियां उपलब्ध कराने हेतु आवंटित कागज के कोटे में गोलमाल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	573–574
ललितपुर जनपद के बाल सुधार गृह में अधिकारियों की लापरवाही से बालकों में क्षय रोग के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	574
विधायक निवास में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सामूहिक हड़ताल तथा उनकी मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	575
जनपद फर्रुखाबाद के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र में डकैती व राहजनी की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	576
टाउन एरिया गंगा घाट उन्नाव में पंचशाला भवन कर के निर्धारण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	576–577
अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही को विवरण सूची (सदन के पटल पर रखी गयी)	577–511
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	511–580
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	581
श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दिया गया औचित्य का प्रश्न ..	581–582
दिनांक 2 अप्रैल, 1981 के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य ..	582
दिनांक 29 जनवरी, 1981 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर का शोधन वक्तव्य	582–583
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	83–584
गढ़वाल में धारा 144 लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	585–586

विषय	पृष्ठ संख्या
लोक दल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्धित सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	587–593
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (पारित) ..	593–62
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित) ..	620–624
उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 (पारित) ..	624–636
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार का स्थगन	636
विधान सभा सदस्य, श्री बदन सिंह की गिरफ्तारी एवं रिहाई सम्बन्धी सूचना	637
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	637–638
एटा में कुख्यात डाकुओं द्वारा एक थानेदार सहित ग्यारह पुलिस कर्मियों की हत्या के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	638–640
नतिथयां	641–670

विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 17 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 333

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नइतर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमौद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतपुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)

गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (जाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह, (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, (मुरादाबाद)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फर नगर)
दीप नरायन वन महन्त, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नत्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती श्रीमती, (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधरराज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बज किशोर मिश्र, डा0 (देवरिया)

बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगर)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मशरूर जाफरी, श्री (उर्फशहरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, (श्रीमती)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री, (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ कल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझ वन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)

लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाका, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री, (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अग्रवाल, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्ना) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ, उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री, (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 1981

तारांकित प्रश्न

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कपूरथला बाग की अधिग्रहीत भूमि की नीलामी में अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग का कोटा

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, कपूरथला बाग की 23 एकड़ भूमि वर्ष 1978-79 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किस दर से अधिग्रहीत की गयी थी ? उसमें से 13 एकड़ भूमि में कितने भूखंड बनाकर किस दर से कब-कब नीलाम किये गये ? क्या यह भी सही है कि भूखंड के आवंटन में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग का भी कोटा था ? यदि हां, तो इन वर्गों को आरक्षण न देने का क्या कारण है ।

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

कपूरथला बाग की 18·02 एकड़ भूमि रु0 0·75 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से अधिग्रहीत की गई थी, जिस पर कब्जा लेने की तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज तथा 15 प्रतिशत सान्त्वना प्रतिकर तथा भूमि पर स्थित पेड़ों, निर्माण तथा फसल का प्रतिकर अलग से देय है । अलीगंज नगर प्रसार योजना के सेक्टर 'एफ' में कुल 130 भूखंड बनाये गये जिसमें कपूरथला बाग की 16·02 एकड़ अधिग्रहीत भूमि भी शामिल है । इसमें से 24 भूखंड दिनांक 16-12-80 व 20-2-81 को नीलाम किये गये थे । नीलामी विभिन्न भूखंडों के लिये रु0 18·00 प्रति वर्ग फुट तथा रु0 30·00 प्रति वर्ग फुट के मध्य रही । नीलामी में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण कोटा था और आरक्षित भूखंड उनके लिये उपलब्ध है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न में इस बात को स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि भूखन्डों के आबंटन में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग का भी कोटा था, वह पिछड़े वर्ग को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में क्या मन्त्री जी ने कोई नीति निर्धारित की है इन भूखन्डों के आबंटन में ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लिए दो भूखन्ड उपलब्ध हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 130 भूखन्ड थे, उनमें से कितने भूखन्ड अभी नीलाम या आवंटित होने शेष हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जितने दे दिये गये हैं, उसम से उतने बचे हैं, वह सब अशोक हैं । आप कहेंगे तो उसका हिसाब जोड़कर हम बता देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

130 भूखन्ड थे, सारा लेखा-जोखा मन्त्री जी के पास है कि कितने नीलाम और आवंटित हो चुके हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने बाकी बचे हैं, जिनको नीलाम या आवंटित किया जाना है ?

श्री अध्यक्ष—

कह रहे हैं कि सब हैं, टोटल करके बता देंगे ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

108 भूखन्ड अभी बाकी हैं ।

राजकीय अस्पतालों में सहायक अधीक्षक पद सृजन हेतु मानक

*2—श्री श्याम नारायन तिवारी—(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पतालों में सहायक अधीक्षक के पद के सृजन के लिये कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सिविल अस्पताल, लखनऊ में सहायक अधीक्षक का पद उक्त मानक के आधार पर स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पद का सृजन करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूरी करते हुए वित्त विभाग की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

सामान्यतया 300 शैय्याओं पर एक सहायक अधीक्षक का पद स्वीकृत किया जाता है । सिविल अस्पताल, लखनऊ में भी शहर के मध्य तथा सचिवालय एवं विधायक निवासों के समीप स्थित होने के कारण अन्तः रोगियों की संख्या वस्तुतः 300 हो जाती है । अतः वित्त विभाग की सहमति से ही उक्त अस्पताल में स्टीवर्ड के पद को आस्थगित करके वहां पर सहायक अधीक्षक का एक अस्थायी पद स्वीकृत किया गया है ।

फर्रुखाबाद के छिबरामऊ ब्लाक की दो असालतनगर व रामपुर ग्राम सभा को नगरपालिका में मिलाने की मांग

*3—कुंवर योगेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत छिबरामऊ ब्लाक की दो ग्राम सभा में असालत नगर व रामपुर बैंजू का सारा कार्य छिबरामऊ नगरपालिका के अन्तर्गत होता है ? यदि हां, तो इन गांव सभाओं को नगरपालिका में मिला देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जिला फर्रुखाबाद के ब्लाक छिबरामऊ के अन्तर्गत दोनों ग्राम सभा असालत-नगर व रामपुर बैंजू के क्रमशः 98.87 एवं 26.34 एकड़ भाग में नगरपालिका द्वारा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

इस ग्राम सभाओं को नगरपालिका सीमा में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर योगेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें जो ग्राम सभाएं सम्मिलित होनी हैं, वह समयबद्ध रूप से कब तक कर दी जायेंगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

फैजाबाद जिलान्तर्गत अकबरपुर नगरपालिका को वर्गोन्नति के फलस्वरूप चल, अचल सम्पत्ति व रिकार्ड का स्थानान्तरण

*4--श्री प्रभाकरनाथ द्विवेदी तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद नगरपालिका को जब से वर्गोन्नति एवं सीमावृद्धि हुई है तब से नगर-पालिका को उससे सम्बन्धित चल एवं अचल सम्पत्ति का रिकार्ड व नक्शा पंचायत राज अधिनियम के नियम 3-क की धारा 8 व अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों ने विधिवत हस्तानान्तरण नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

चल व अचल सम्पत्ति के रिकार्ड एवं नक्शों का विधिवत् हस्तान्तरण किया जा चुका है । राजस्व अधिकारियों ने प्रश्नगत क्षेत्रों के सम्पत्ति के रिकार्ड एवं नक्शों का नियमानुसार हस्तान्तरण नगरपालिका को कर दिया है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमानुसार जब हस्तान्तरण का नोटिफिकेशन हुआ उसके कितने दिनों बाद हस्तान्तरण की कार्य-वाही पूरी हुई या लागू की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इसमें कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है । नगरपालिका ने राजस्व विभाग को लिखा और राजस्व विभाग ने हस्तान्तरित कर दिया ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मेरी इस बात को सत्य मानते हुए कि हस्तान्तरण की कार्यवाही विलम्ब से हुई, जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुआ और यह इसलिए किया गया कि उस बीच में जो सम्पत्ति आदि नगरपालिका की सीमा में थी उस पर बेनामे, नाजायज कब्जे और निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए जानबूझकर इसमें विलम्ब किया गया है । तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे और सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अवश्य जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनको दंडित भी किया जायेगा ।

ग्राम अहरौली शेख, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर के निवासियों से गृहकर तथा जलकर की वसूलयाबी

*5--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम अहरौली शेख, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर के मीरपुर मजरे की भूमि पर बने मकानों पर टाउन एरियाज पुखरायां, जिला कानपुर, हाउस और वाटर टैक्स वसूल करती है ? यदि हां, तो उक्त गांव की भूमि को टाउन एरिया की ओर से कब एक्वायर किया गया ? यदि नहीं, तो उक्त टैक्स वसूलने में कारण क्या हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

अधिग्रहीत नहीं किया गया ।

उक्त ग्राम के निवासियों के लिखित अनुरोध पर उन्हें पेयजल तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और वे स्वयं प्रार्थना-पत्र देकर उक्त सुविधाओं के बदले स्वेच्छा से गृहकर तथा जलकर दे रहे हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनसे गृह कर और जल-कर कब से वसूला जा रहा है और कब से यह चालू किया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जब चुनाव हुए टाउन एरिया के 1973 में तब उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र दिया और चुनी हुयी टाउन एरिया ने कार्यवाही आरम्भ की तब से ही यह कार्यवाही जारी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जब 1973 से भवन-कर और जल-कर लिया जा रहा है तब से उन्हें नागरिक सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार उनको उसी समय से नागरिक सुविधायें दी जा रही हैं ।

जिलाधिकारी मेरठ द्वारा श्री सूरज प्रकाश सूरी को सचिव, नोटीफाइड एरिया हस्तिनापुर का पद न दिलाया जाना

*6--श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेश संख्या 2743/11/1/74/184-74, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 एवं शासनादेश संख्या 124323-टी-9-1-76-सा-76, दिनांक 22 फरवरी, 1977 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों में शासन द्वारा कोई संशोधन किया गया है ? यदि नहीं, तो श्री सूरज प्रकाश सूरी,

सचिव, नोटीफाइड एरिया, हस्तिनापुर को उनके पद का कार्य देने के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के स्पष्ट आदेश, दिनांक 16-1-81 का कार्यान्वयन जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अब तक क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं। निदेशक, स्थानीय निकाय को अधिकारों का प्रतिनिधायन विषयक शासनादेश संख्या 2743/11-74-184/74, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 एवं संख्या 12423-टी/9-1-76-66-सा/73, दिनांक 22-2-77, में कोई संशोधन नहीं हुआ है। श्री सूरज प्रकाश सूरी अपने लिपिक के मूल पद से गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनांक 12-9-80 को निलम्बित हो चुके थे, इस कारण निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, के आदेश दिनांक 16-1-81 के अनुसार उन्हें सचिव, नोटीफाइड एरिया कमेटी, हस्तिनापुर के पद का कार्यभार दिलाया जाना सम्भव न था।

अधिशासी अभियन्ता, खंड-10, जल निगम गोरखपुर के विरुद्ध सदस्य विधान सभा तथा विधान परिषद् के शिकायती-पत्र

*7--श्री ललू सिंह चौहान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम के गोरखपुर स्थित खंड-10 के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के आपराधिक क्रिया-कलापों एवं घोर भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में तत्कालीन एक विधायक का दिनांक 23 दिसम्बर, 1978 या उसके आसपास की तिथि एवं एक विधान परिषद् सदस्य का पत्र दिनांक 12-2-80 एवं 4-3-81 शिकायती-पत्र पूरे विवरण सहित सचिव, स्वायत्त शासन एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां।

शिकायती पत्रों पर जांचोपरान्त आरोप-पत्र देकर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया, विभागीय कार्यवाही की गई और उक्त अधिशासी अभियन्ता की दो वेतन वृद्धियों को स्थायी रूप से रोके जाने तथा उन्हें सेन्सर किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। 4-3-81 की शिकायती-पत्र पर जांच की जा रही है।

श्री ललू सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस आरोप-पत्र और जिस तरह की शिकायतों से निलम्बित किया गया है, उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

विभिन्न प्रकार के बड़े गम्भीर आरोप उस अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध थे। वे सब 18-20 हैं, यदि आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष--

मुख्य-मुख्य बता दें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इनमें पहला आरोप यह था कि आपने ईट, ईट की रोड़ी, पत्थर की रोड़ी, बोल्डर, रेता, लोहा एवं अन्य सामान भारी मात्रा में बिना समुचित अनुबन्धों के क्रय किया, दूसरा यह था कि सामग्री की अ.पूर्ति हेतु आपने जो निविदायें मांगी थी, वे आपके कार्यालय में 4-10-77 को प्राप्त हो गयी थी एवं खोल ली गयी थी । अतः इस दिन आपको विभिन्न सामग्री की न्यूनतम दरें ज्ञात हो गयी थीं । तीसरा यह था कि आपने सामग्री की अ पूर्ति हेतु जो अनुबन्ध किए उनके अन्तर्गत रुपये 4,02,095 की खरीद होती थी, किन्तु अभिलेखों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन अनुबन्धों के विरुद्ध केवल रुपया 99,175 की ही आपूर्ति ली गयी और चौथा यह था कि आपने शाखा के सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (वर्ष 76-77 तथा 77-78) उच्च धिकारियों को समय से नहीं भेजे तथा उन्हें अनावश्यक रूप से अपने कार्यालय में रोके रहे ।

श्री ऊदल--

क्या यह सही है कि यह अधिशासी अभियन्ता कोई श्रीवास्तव हैं और इनके ऊपर 50 लाख रुपये के ऊपर के गबन करने तथा अनियमित खरीद करने आदि के गम्भीर आरोप हैं । यदि हां, तो क्या सरकार इनको कम्पलसरिली रिटायर करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जांच चल रही है, गम्भीर आरोप भी हैं और यह श्री श्रीवास्तव ही हैं ।

श्री ललूसिंह चौहान--

कौन अधिकारी जांच कर रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने की ।

8--श्री जटाशंकर सिंह--

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ जिले के मधुवन एवं दुबारी गांवों को टाउन एरिया बनाने की मांग

*9--श्री रजकुमार राय (अनुपस्थिति)--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता तथा श्री कल्पनाथ राय, एम० पी० के पत्र अक्तूबर, 1980 से फरवरी, 1981 के बीच आजमगढ़ जिले के मधुवन एवं दुबारी गांवों को टाउन एरिया बनाने के बारे में मिले थे ? यदि हां, तो टाउन एरिया बनाने में क्या कठिनाई है, कब तक टाउन एरिया बनाने का विचार है ?

श्री श्रीकृष्ण गोपाल—

जी हां । प्रश्नगत ग्राम सभाओं में चकबन्दी की क्रिया चल रही है । इसके पूर्ण होने के उपरान्त ही टाउन एरिया बनाने की कार्यवाही की जायगी ।

लखनऊ–कानपुर रोड पर स्थित भोला खेड़ा, ग्राम आलम बाग, लखनऊ में परती जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*10—श्री सन्त बक्श रावत तथा श्री राम गोविन्द (अनुपस्थिति)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित भोलाखेड़ा, ग्राम आलमबाग, लखनऊ में परती जमीन, भूखंड संख्या 1064 तथा 974 नगरमहापालिक, लखनऊ पर मैकू पुत्र कुन्हु द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके अपना मकान बना लिया है ? क्या उपरोक्त भूखंड संख्या उसके नाम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसके अनधिकृत मकान व कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही करके जमीन को बचाने की कार्यवाही करेगी ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में विधायकों के अनेकों पत्र 15-4-1981 तक शासन तथा प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत भूखंड पर श्री मैकू का मकान है पर उसका कब्जा अनधिकृत है या नहीं इसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । नक्शे पर उसके मकान का स्थल निर्धारित नहीं है ।

कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

कब्जा अनधिकृत है या नहीं इसकी जांच की जा रही है अनधिकृत निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश नगर एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

संयुक्त तथा उपनिदेशक, मलेरिया के स्थानान्तरण एवं हटाने की मांग

*11—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, मलेरिया, डा0 एस0 सी0 भल्ला लगभग 12–14 वर्षों से लखनऊ में ही रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन को पता है कि उप निदेशक, मलेरिया डा0 विनय कुमार श्रीवास्तव, एम0 बी0 बी0 एस0 नहीं हैं ? यदि हां, तो तकनीकी डाक्टरों के रहते हुए एक गैर तकनीकी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने का क्या कारण है ? क्या शासन डा0 श्रीवास्तव को हटाने पर विचार करेगा ?

श्री लोकपति—

डा0 भल्ला की सेवाओं की उपयुक्तता के कारण वे वर्ष 1967 से विभिन्न पदों पर मुख्यालय पर तैनात रहे । जनवरी, 1971 से मई, 1974 तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी, लखनऊ के पद पर भी तैनात रहे ।

जी हां, डा0 श्रीवास्तव एम0 बी0 बी0 एस0 नहीं हैं । कीट विज्ञान में डाक्ट्रेट प्राप्त की है । कीटों द्वारा प्रसारित रोग मलेरिया एवं फाईलेरिया के उन्मूलन में कीट विशेषज्ञ की नियुक्ति आवश्यक है ।

जी नहीं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सन् 1967 से 1981 तक डाक्टर भल्ला की उपयुक्तता को जो सिद्ध करने का प्रयास किया है उसका आधार क्या है ? किस आधार पर वे उनको यहां के लिये ही उपयुक्त समझते हैं और क्या भविष्य में माननीय मंत्री जी डाक्टर भल्ला को जीवन पर्यन्त लखनऊ में ही रखना चाहते हैं ?

श्री लोकपति--

भारत सरकार का जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन का फोरम है, उसी में भारत सरकार द्वारा वे मनोनीत किये गये हैं । उत्तर प्रदेश शासन ने मलेरिया विभाग के लिए डाक्टर भल्ला को उपयुक्त समझा है और चूंकि डाक्टर भल्ला का अनुभव अपना है । उसके अलावा इसमें वह विशेषज्ञ हैं इसलिए वह इस कार्य पर हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, तीन खण्डों में मेरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण नहीं प्रश्न करें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, डाक्टर भल्ला की प्रशंसा में भी इस सदन में कर रहा हूं । क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डाक्टर भल्ला के इन कुकृत्यों की जांच करेंगे कि बी0 एस-सी0 को तो रखा है चपरासी के पद पर और हाई स्कूल को रखा है, उसका अफसर ?

श्री लोकपति--

श्रीमान् यह लिखकर भेज दें, मैं दिलवा लूंगा ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

श्रीमन्, प्रश्न का दूसरा खण्ड है डाक्टर बी0 के0 श्रीवास्तव के बारे में । मैंने इनके बारे में कहा था कि ये एम0 बी0 बी0 एस0 नहीं हैं और माननीय मंत्री ने स्वीकार भी किया है । 1952 से जब से डिप्टी डायरेक्टर के पद का सृजन हुआ है, इस पर एक एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर को नियुक्ति होती आई है । किन परिस्थितियों की वजह से डाक्टर बी0 के0 श्रीवास्तव, जो कि एक नान-एम0 बी0 बी0 एस0 हैं, को नियुक्ति की गई है ? इनके लिए माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि ये कीट विज्ञान डाक्ट्रेट हैं । मान्यवर, जिस समय डाक्टर श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई उस समय इनको नगर स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया था । खुशामद के आधार पर इन्हें लैब का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया

और उसके बाद उन्हें डिप्टी डायरेक्टर (मलेरिया) बना दिया गया। क्या माननीय मंत्री जो उनको अब लैब में भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अब हठधर्मी का तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे पास भी इलाज नहीं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, इस हठधर्मी में माननीय मंत्री जो उन्हें जरूर नहीं हटायेंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही वह इन्हें संयुक्त निदेशक भी बना देंगे । मगर जिसको कोट विशेषज्ञ इन्होंने कहा है कि ये कौन विशेषज्ञ हैं, क्या कोई कीट का नमूना बता सकते हैं ? अगर मान्यवर, वह यह भी बता दें कि वह कोई दूसरा भी कार्य करते हैं, तो मैं बड़ा आभारी हूंगा ।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और सदन की आज्ञा से मैं कालीदास की कहानी रखना चाहता हूं । जब हमारे माननीय सदस्य रोग के विशेषज्ञ हो सकते हैं, तो वह व्यक्ति जो कि मेडिकल एपिडामालोजी का इक्सपर्ट है, जिसका कार्य है मलेरिय और अन्य कोट, उत्तर प्रदेश में 1977 में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ और आज तक यह फैसला नहीं हो सका कि मस्तिष्क ज्वर वायरेस है या बैकटेरियस । हमारे इन्स्पेक्टरों ने इसके एक बिन्दु को लेकर शोध किया वह विशेषज्ञ नहीं है । जैसे विद्योतमा से शादी के पूर्व कालीदास थे । यही कहानी यहां चरितार्थ हो रही है ।

सन् 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 में इसका प्रादुर्भाव नहीं होगा और इसमें श्री श्रीवास्तव का भी योगदान है । मुझे अफसोस है कि सम्मानित सदस्य उस विषय पर चर्चा करते हैं और सदन का समय लेते हैं जिसकी पूरी जानकारी नहीं होती है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अध्यक्ष जी मंत्री जी तो पूरे प्रदेश के स्वामी हैं, मगर मलेरिया की जानकारी उनसे कम नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

दोनों आदमी मलेरिया के बुखार से पीड़ित है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

यह मच्छरों का विभाग है, यह मच्छर मारों की माया है ।

श्री अध्यक्ष—

मेरी कामना है कि मलेरिया के बारे में आप लोग कोई जानकारी न रखे ।

सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन के फलस्वरूप लखनऊ नगर महापालिका के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

*12—श्री मोहन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 27 जनवरी, 1981 को लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों ने सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया था यदि हां, तो निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये हैं और अदालत से कितने लोगों की जमानत करानी पड़ी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में 16 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है ।

निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में किसी भी कर्मचारी को जमानत नहीं करानी पड़ी है क्योंकि घटनास्थल पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 27 जनवरी, 1981 को 16 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, विवेचना के उपरान्त उसको गिरफ्तार किया गया तो वह किस रीति से बाहर आये इसकी जानकारी दे दें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

श्री मोहन सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि जिस सभा को यह बिना अनुमति के कहते हैं, तभी तो निषेध आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्या उस सभा को उस जमाने के माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने सम्बोधित किया था ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह लोग जो प्रदर्शन करने वाले थे, इन प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें थी जिसका ज्ञापन शासन को मिला था? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या है और शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना की आवश्यकता होगी ।

फतेहपुर बिन्दकी नगरपालिका में एक जनरेटर की खरीद में प्रभारी अधिकारी अधिशासी अभियन्ता एवं जलकल अधिकारी द्वारा घपला

*13--श्री हरिवंश सहाय--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जनपद की नगरपालिका बिन्दकी में वर्ष 1980 में सीलबन्द टेंडर के एक जनरेटर खरीदा गया तथा जलकल अभियन्ता तथा अधिशासी अधिकारी ने एयरकूल इंजन के बजाय वाटर कूल इंजन का बिल प्रमाणित किया जबकि कोटेशन मौजूद थे ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां । सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एयरकूलर इंजन के बजाय वाटर कूलर इंजन खरीद लिया गया और कमिश्नर ने पेमेन्ट न करने के आदेश दिये थे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

घपला हुआ है, जांच की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह--

यह व्यवस्था का प्रश्न है जो लिखित उत्तर मिला है, हम सब को उसमें लिखा है कार्यवाही की जा रही है, फिर दुबारा कह रहे हैं जांच की जा रही है, फिर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो कह रहे हैं जांच की जा रही है । लिखित उत्तर में और सदन में जो उत्तर दे रहे हैं, उसमें फर्क है ।

श्री अध्यक्ष--

इसको स्पष्ट करदें ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जांच भी कार्यवाही होती है, कार्यवाही जांच में सम्मिलित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना वर्ष 80 की है । शासन को अनियमितता की जानकारी कब मिली और जांच के आदेश कब दिये गये इसमें कितने दिन का अन्तर है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मामला बहुत पुराना नहीं है वर्ष 80 में यह सब हुआ और 1981 में मामले की जांच शुरू हो गई ।

श्री हरिवंश सहाय--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है उनके नाम क्या हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, नाम तो नहीं बता सकता हूं लेकिन पद बता सकता हूं और वह हैं प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता और जल कल अधिकारी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे और इस मामले की जांच करायेंगे कि यह भ्रष्टाचार का मामला वरिष्ठ अधिकारियों के प्रकाश में आने के बाद काफी दिनों तक आदेश क्यों नहीं किये गये ? इसकी क्या मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

समस्त मामले की ही जानकारी की जा रही है तो यह भी पहलू देख लिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जांच का आरम्भ प्रश्न मिलने के बाद शुरू किया या इसके पहले शुरू किया था ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, छानबीन तो कुछ पहले से ही शुरू हो गयी थी ।

नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज लखनऊ राजेन्द्र नगर तथा राज्य सूक्ष्म फैक्ट्री (बी० वी० आई० एफ०) के बीच सड़क के सिरों का दीवार से बन्द किया जाना

*14—श्री राम लाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर को छेद सवासपुरवा व राजेन्द्र नगर को मिलाने वाली नवयुग डिग्री कालेज के पीछे की सड़क के किनारे फुटपाथ पर बे घर वर्षों से निवास कर रहे राजस्थानी हरिजनों को आवंटित न करके प्रसंगगत सड़क के दोनों ओर से (दिनांक 7-4-81 को) दीवाल खड़ी कराकर मार्ग अवरुद्ध करा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रसंगगत दीवाल को सरकार अविलम्ब तुड़वाकर अवरुद्ध मार्ग को खोलने का कष्ट करेगी तथा सड़क के किनारे के फुटपाथ को हरिजनों को आवंटित कर मानस नगर बसायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

प्रबन्धक, नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ द्वारा शासन को यह जानकारी बार-बार दी गयी थी कि नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, राजेन्द्र नगर तथा राज्य सूक्ष्म फैक्ट्री के बीच में बनी सड़क का उपयोग यातायात के लिये किये जाने के बजाय उस क्षेत्र का कूड़ा डालने तथा खुले शौचालय के रूप में प्रयोग किया जाता था और वहां असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन गया था जिसके कारण विद्यालय की छात्राएं अपने को असुरक्षित महसूस करती थीं । अतः मामले की पूरी जांच कराने तथा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत सड़क के उत्तर-दक्षिण के सिरों पर एक-एक ऊंची दीवार बना दी गई ।

उपरोक्त कारणों से प्रश्नगत दीवारों को तुड़वाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गाजियाबाद जिले में मोहन नगर के निकट गंगा सागर वाटिका कोलोनाइजर्स फार्म हाउस का विक्रय

*15—श्री किरनपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गाजियाबाद जिले में मोहन नगर के निकट ग्राम महराजपुर व दिल्ली रोड के बीच गंगा सागर वाटिका के नाम से कोई कोलोनाइजर फार्म हाऊस बनाकर बेच रहा है ? यदि हां, तो इस जमीन का फार्म हाउस बनाने के उपयोग के लिए लैण्डयूज कब और क्यों परिवर्तित किया गया ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

गाजियाबाद महायोजना में निर्धारित उपयोग के अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्रीनबेल्ट है जिसमें नियमानुसार फार्म हाउस निर्माण करने का मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है और केवल एक फार्म हाउस निर्माण किये जाने का मानचित्र स्वीकृत किया गया है । गंगा सागर फार्म हाउस काम्पलेक्स का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है । ग्रीनबेल्ट में फार्म हाउस का निर्माण भू उपयोग में परिवर्तन नहीं है ।

नगरपालिका तथा विकास प्राधिकरण लखनऊ के मकानों में अनधिकृत कब्जा तथा उनका शेष किराया

*16—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के 235 मकान जबर्दस्ती लोगों ने कब्जा कर रखे हैं और उन मकानों पर लाखों रुपया किराया उन लोगों पर बाकी है ? यदि हां, तो शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर महापालिका, लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्रमशः 7 व 137 भवनों पर अनधिकृत अध्यासन है जिन पर क्रमशः कुल रुपये 8625 व रु0 1,20,706/ किराया बकाया है । नगर महापालिका, लखनऊ के उक्त समस्त भवनों तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के 40 भवनों के सम्बन्ध में कब्जेदारों को निकालने की कार्यवाही न्यायालयों में चल रही है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के शेष 97 भवनों के सम्बन्ध में वाद दायर करने की कार्यवाही विकास प्राधिकरण के विचाराधीन हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के 97 भवनों के सम्बन्ध में वाद दायर करने की कार्यवाही कब से विचाराधीन है और कब तक की जायेगी एवं देर करने वाले कौन अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

विचाराधीन तो काफी समय से है, लेकिन कार्यवाही में जल्दी की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जितना डिले हो रहा है उससे शासन का नुकसान हो रहा है। लेकिन यह बता दें कि देर करने वाले कौन अधिकारी हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

3-4 साल से यह विचाराधीन है। जहां तक अधिकारियों का सवाल है उसमें छानबीन करनी पड़ेगी।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो अवैध कब्जे हैं उनमें से कितने लोग सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनमें क्या आपके नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का हाथ और विशेषकर भूतपूर्व सचिव, श्री त्रिपाठी का विशेष हाथ है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जांच किये बिना कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत साफ है जो इनके पास सूची उपलब्ध है, उसमें कृपया यह देखकर बता दें कि क्या उनमें कुछ आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारियों के भी नाम हैं और साथ ही वर्तमान मन्त्रि-परिषद् के दो सदस्यों के भी नाम है ? यदि हां, तो वे लोग कौन-कौन हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस समय सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है, में इसे बाद में देखकर बता दूंगा।

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह कि हम लोगों को प्रश्नों के ही जरिए से जानकारी होती है, आज माननीय मन्त्री जी ने जितने भी उत्तर दिये हैं, सभी में यही कहा है कि सूचना की आवश्यकता है या मामला विचाराधीन है। तो मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि हम लोगों को सहायता दीजिए, इस प्रकार अगर मा० मन्त्री जी सदन का समय नष्ट करेंगे तो हम लोगों के यहां बैठने का क्या अर्थ है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मोहन सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, बहुत ही उचित है, उसी में मैं भी एक बात की और जोड़ना चाहता हूं। पहले तो हमारी

शंका यही है कि मा0 मन्त्री जी के पास इस समय सूची उपलब्ध है, वह अगर हम लोगों को नहीं बताना चाहते तो मान्यवर, आप ही अपने पक्ष में वह सूची देख लें कि कौन-कौन लोग उस सूची में हैं ताकि बात साफ हो सके, इस प्रकार मान्यवर, हम लोगों को अपना सरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूची माननीय मन्त्री जी आप कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोपाल—

मान्यवर, इसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी या तो अपने अधिकारियों को तम्बीह करें कि वह पूरी सूचना दें और या तो आप मा0 मन्त्री जी को तम्बीह करें कि यदि उनके पास पूरी सूचना हो तो उससे सदन को अवगत करायें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

मुरादाबाद सिविल लाइन स्थित प्लाट नं0 14 का विक्रय

*17—श्री रियासत हुसैन—

क्या नगर विकास मन्त्री को विदित है कि सिविल लाइन प्लाट नं0 14 मुरादाबाद जो 90 साल की लीज पर श्री पृथ्वीनाथ वाही आदि ने लिया था और जिसका समय कुल 2-3 साल रह गया है को अब 320 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह क्या बात हुई कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मन्त्री जी यही दे रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मान्यवर, आपकी इन पर विशेष कृपा है जो ये 'सूचनायें एकत्रित किये जा रहे हैं और "परीक्षण हो रहा है" यही जवाब बराबर दे रहे हैं । मान्यवर, आप इनको विशेष निर्देश दीजिये कि जो नहीं है उसे ये स्वीकार करें, सूचना एकत्रित की जा रही है, कह कर समाप्त न करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी, मेरी कृपा किसी पर नहीं है और न मैं कृपा करने लायक हूं । बल्कि मैं उसी प्रकार से अपेक्षा करूंगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर रहे जिससे कि कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके और इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग न हो ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हर प्रश्न का उत्तर ऐसा ही मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके कहने के पहले मैं यह देखना चाहता था कि इस प्रश्न में क्या तथ्य हैं परन्तु जब तक मैं देखूं उसके पहले ही आपने यह आरोप लगा दिया। प्रश्न यह है कि क्या नगर विकास मन्त्री को यह विदित है कि सिविल लाइन प्लाट नम्बर 14 मुरादाबाद जो 90 साल की लीज पर श्री पृथ्वीनाथ वाही आदि ने लिया था और जिसका समय कुल 2-3 साल रह गया है को अब 320 रुपय प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। यह 20 अप्रैल का प्रश्न है और केवल एक ही आदमी के बारे में है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

एक तो चीज जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, तो मैं बता दूं कि मैंने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया है। विभिन्न सूत्रों से जो इनफार-मेशन मेरे पास आयी उससे मैं स्वयं ही सन्तुष्ट नहीं हूं, जानकारी करा रहा हूं इसीलिये मैंने यह उत्तर दिया है। मैं इसका अधूरा उत्तर नहीं देना चाहता था।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इसमें इनवाल्व है कि पट्टे किये जा रहे हैं। क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि जब तक पूरी छानबीन न हो जाय, पट्टों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाय ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैंने यह आदेश पहले ही दे दिये थे।

वाराणसी एवं गोरखपुर मंडल के जिलों में सहकारी भूमि विकास बैंक लि० के जिले कार्यालय खोलना

*18--श्री केशरी प्रसाद--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ के जिला कार्यालय वाराणसी एवं गोरखपुर मंडल में खले ही नहीं गये हैं जबकि पूर्वी उ० प्र० के यह मंडल कृषि एवं अल्प सिंचाई में पहले से ही पिछड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मंडलों के जिलों में भी भूमि विकास बैंक के जिला कार्यालय खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता एवं खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

वाराणसी व गोरखपुर मंडलों के समस्त जिलों में (गाजीपुर जिले को छोड़ कर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड का जिला कार्यालय खोल दिया गया है। बैंक में जिला प्रबन्धक के अतिरिक्त पद सृजन के सम्बन्ध निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० की स्वीकृति प्राप्त होते ही गाजीपुर ले में भी बैंक का जिला कार्यालय खोल दिया जायगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

माध्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृषि एवं अल्प सिंचाई में पहले से ही पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल के जिले हैं, इनमें अब तक जिले की शाखाएं क्यों नहीं खोली गयी हैं और जो सूचना अभी दी गयी है माननीय मंत्री जी द्वारा तो वह बैंक खोले गये हैं, इसकी तिथि बता दें ?

श्री बासुदेव सिंह--

मैंने पूरी सूचना दे दी कि गाजीपुर जनपद को छोड़ कर बाकी जगहों पर खोल दिये गये हैं । अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह बैंक की शाखाएं व प्रधान कार्यालय कहां खोले जायें जिलों में खोली जायें या तहसीलों में । तो इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने यह संस्तुति दी है कि प्रधान कार्यालय जिलों में न खोलकर तहसीलों में बैंक खोले जाएं । मैं सदन को अपनी एक निश्चित घोषणा से अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने आदेश दे दिये हैं कि दो वर्षों के भीतर सभी विकास केन्द्रों पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों की शाखाएं खोल दी जाएं ।

गोरखपुर, गोला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण

*19--श्री मारकण्डेय चन्द--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोला को उच्चीकरण करने का विचार है तथा इसी के साथ-साथ महिला अस्पताल खोलने का निर्णय भी लिया गया है ? यदि हां, तो इस उच्चीकरण में कितनी शैया का प्रबन्ध व अन्य सुविधा देने का है ? और यह कार्य कब प्रारम्भ करा दिया जायगा ?

श्री लोक पति--

जी हां । 23,39,500 रु0 की अनुमानित लागत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोला, जिला गोरखपुर को उच्चीकृत करने के उद्देश्य से भवनों के निर्माण की स्वीकृति 27 फरवरी, 1981 को दे दी गयी है । एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 अंतरंग शैयाओं की व्यवस्था की जाती है तथा उसमें पैथालाजी, सर्जरी व रेडियोलाजी की विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

2--इतना अवश्य है कि उच्चीकृत केन्द्र में अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक को नियुक्ति भी करने का प्राविधान किया जायगा । अतः निकट भविष्य में जब उक्त केन्द्र उच्चीकृत हो जायगा तब वहां महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी हो जायेगी ।

3--भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है ।

इसके अलावा इतनी सूचना और दे देना चाहता हूं कि जहां भी उच्चीकृत चिकित्सालयों की स्थापना हो रही है, वहां पर महिला चिकित्सा और बाल चिकित्सा की व्यवस्था इसमें की जा रही है । अतएव, जिस जगह पर उच्चीकृत चिकित्सालय स्थापित किया जायेगा, वहां अलग से कोई महिला चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

माध्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि शासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को धन उपलब्ध करा दिया है ? यदि हां, तो फिर इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री लोकपति--

मैंने पहले ही कह दिया है कि फरवरी, 1981 में उन्हें धन दे दिया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि शीघ्र उच्चीकृत करें ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या गोरखपुर जिले में केवल गोला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ही उच्चीकरण किया जा रहा है या और भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिए जा रहे हैं ?

श्री लोकपति--

हर 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ऊपर एक उच्चीकृत चिकित्सालय की स्थापना होगी । छठी पंचवर्षीय योजना में 903 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें से 250 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेंगे ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया है, धन उपलब्ध करा दिया है । यदि धन उपलब्ध करा दिया है तो 27 फरवरी से आज तक विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, भवन निर्माण के लिये सीमेंट, लोहे की आवश्यकता होती है। माननीय विधायक जी ने जमीन दिलवा दी है । माननीय विधायक जी के क्षेत्र में अभी यह भी बात चल रही है कि गोला में बनेगा कि कहां बनेगा, शासन ने गोला की स्वीकृति दे रखी है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

क्या शासन ने धन उपलब्ध करा दिया है ?

श्री लोकपति--

जी हां, 23. 39, 500 रु0 की अनुमानित लागत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोला, जिला गोरखपुर को उच्चीकृत करने के उद्देश्य से भवनों के निर्माण की स्वीकृति 27 फरवरी, 1981 को दे दी गयी है। जब स्वीकृति दी जाती है तो उसी के साथ धन भी दे दिया जाता है ।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जहां-जहां भी अस्पतालों को उच्चीकृत किया जायगा, वहां पर महिला और बालकों की चिकित्सा की सुविधा स्वयं उपलब्ध हो जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा मापदंड है, जिसके आधार पर कि उच्चीकरण के लिये अस्पतालों को लेते हैं ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, सम्मानित विधायकों से 1980 में एक सूची प्राप्त हुई थी और जो बैठक की थी उसमें उनकी सूचनायें थीं, उनको विभाग को भेज दिया

गया है और जांच करके वे भेज रहे हैं । जहां–जहां की जांच रिपोर्ट आ रही है, वहां पर कार्यवाही कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम की गोरखपुर व आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत एवं यांत्रिक शाखाओं द्वारा निर्मित नल कूपों में बालू आने की शिकायत

*20––श्री रुद्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)––

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के गोरखपुर व आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत एवं यांत्रिक शाखाओं द्वारा वर्ष 1978–79 व 1980 में निर्मित पीने के पानी के लिये बनाये गये नलकूपों के पानी के साथ–साथ नलकूपों में बालू आ रहा है, जिससे उस पानी के पीने वाले लोगों के सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त कमी को दूर कर शुद्ध जल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

जी नहीं ।

वर्ष 1978–79 व 1980 में गोरखपुर एवं आजमगढ़ की विद्युत एवं यांत्रिक शाखाओं ने 110 नलकूप बनाये थे, जिनमें से केवल दो नलकूपों से कुछ काल चलने के बाद बालू आने की सूचना प्राप्त हुई थी । इनको पुनः ठीक करा दिया गया और बालू आने की शिकायत दूर हो गयी ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर की साधन सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण

**1––श्री प्रभू नारायण सिंह––

क्या यह सही है कि जनपद जौनपुर की साधन सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण में केवल चीनी का ही वितरण इस वर्ष किया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति की अविलम्ब व्यवस्था करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह––

जी नहीं ।

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था पहले से ही की गई है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह––

माननीय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता था कि इस वर्ष किस माह में कितनी और कौन–कौन सामग्री वितरण हेतु दी गयी और ग्रामीण अंचल में वह कितनी दी गयी और शहरों में कितनी दी गयी ?

श्री वासुदेव सिंह––

माननीय, प्रति माह तो नहीं लेकिन जब तक जितनी दी गयी उसमें खाद्य सा 4 हजार 10 क्विन्टल 6.09 लाख रुपये का, चीनी 22360 क्विन्टल 78

लाख 36 हजार रुपये की, मिट्टी का तेल 3 लाख लीटर 5 लाख 15 हजार रुपये का जौनपुर जिले को दिया गया।

श्री प्रभू नारायण सिंह---

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि किस महीने में कितनी सामग्री दी गयी और कौन-कौन दी गयी तथा शहर और देहात में कितनी-कितनी दी गयी ?

श्री भीखा लाल---

पिछले बजट सेशन में मन्त्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि इन्हीं सहकारी समितियों की दूकानों से प्रत्येक राशन कार्ड होल्डर को 3 महीने में एक बार सीमेंट मिल जाया करेगी लेकिन जौनपुर के सम्बन्ध में जो वितरण की चीजें बतलायी उसमें सीमेंट क्यों नहीं हैं और क्या किसी दूकान को सीमेंट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह---

सीमेंट के वितरण का कार्य सहकारी समितियों ने लेना चाहा और 22 जिलों की प्रबन्ध व्यवस्था पूरी कर ली गयी लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह कार्य नहीं हो सका और जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि घोषणा की तो 3 बोरी 3 महीने में एक बार के लिये थी। इसका बहुत दुरुपयोग हुआ और इतना ब्लैक हुआ कि आदेश देकर इसे रोकना पड़ा। अगर कार्ड धारकों की सोसायटी बन जायेगी और नये कार्ड बन जायेंगे तो मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

साधन सहकारी समितियों के माध्यम से कौन-कौन सी आवश्यक सामग्री उठायी गयी, क्या मिट्टी का तेल भी उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष---

यह सिर्फ जनपद जौनपुर के बारे में प्रश्न था, भीखा लाल जी ने इसे और विस्तृत कर दिया।

श्री वासुदेव सिंह---

पहले ही बता दिया था कि 3 लाख लीटर मिट्टी का तेल 5 लाख, 15 हजार का वितरित हो चुका है, जौनपुर जिले में।

श्री पंचानन---

मन्त्री जी ने इससे पहले बताया था कि जब नये कार्ड बन जायेंगे तो उसके माध्याम से सीमेंट का वितरण किया जायेगा, तो ये कार्ड कब तक बन जायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह---

माननीय, वितरण किया जायेगा नहीं, मैंने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करूंगा।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री शेर बहादुर—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि त्योहारों के मौके पर जो चीनी का एक्स्ट्रा कोटा मिलता है उसमें कटौती की गयी ऐसे कोई आदेश शासन से हुये हैं ? फैजाबाद जिले में कटौती की गयी है ?

श्री सूबेदार सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कि 3 बोरी सीमेंट पर व्यक्ति पर परमिट देने के आदेश हुये थे जिन्हें वापस लेना पड़ा । मन्त्री जी को याद होगा इसी हाउस में उन्होंने घोषणा की थी लेकिन उसके बाद बिना सदन को कन्फीडेंस में लिये किस आधार पर उन्होंने परमिट बन्द करने के आदेश दिये ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया है । आधार तो बता दिया उन्होंने कि ब्लैक हो रहा था।

श्री पंचानन—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको बुलाया नहीं पंचानन राय जी । जब आपको बुलाया जाय तब आप बोलें । आप कृपया बैठ जायं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं । बैठ जाइये आप । आप सभी लोग बैठ जाइये ।

माननीय प्रभु नारायण सिंह आपका प्रश्न था, आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें जानकारी है कि पुराने दूकानदारों के पास भारी मात्रा में फर्जी कार्ड उपलब्ध हैं जिनके द्वारा वह माल उठा लेते हैं और फिर उसे ब्लैक करते हैं और क्या नवीन जनगणना के आधार पर दूसरे कार्ड बनवाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाये जायेंगे ।

श्री वासुदेव सिंह—

हां, नए कार्ड बनवाए जायेंगे । अभी पुस्तक–पुस्तिकायें छप रही थीं इसलिए हमको कागज नहीं मिला था । अब हमको कागज मिला है और जब नए कार्ड बन जायेंगे तो पुराने कार्डों के स्थान पर नए कार्ड हो जायेंगे ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने एक शासनादेश 27 जुलाई, 1981 को निकाला था जिसमें यह कहा था कि शहरों में जन वितरण प्रणाली को सहकारी समितियों के माध्यम से इस योजना को अनिवार्य बनाया जाय, लेकिन बस्ती तथा जौनपुर में कई ऐसे लोग हैं, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है लेकिन उनकी दुकान नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक अलग प्रश्न हो गया।

श्री ए० सी० ग्राइस--

महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कानपुर में 6 महीने से ज्यादा कार्ड मिल ही नहीं रहा है। क्या मंत्री जी कुछ करेंगे इसके लिए ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा कीजिए आप अलग से प्रश्न कर लीजिए, इसके लिए।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में माननीय सदस्यों में काफी क्षोभ है कि यह वितरण प्रणाली एडाप्ट की गई और कामयाब नहीं हुई तो क्या माननीय मंत्री जी इसका कोई उचित माध्यम ढूंढेंगे ताकि दोनों तरफ के लोगों को इस बात का संतोष हो जाय कि आवश्यक वस्तु का वितरण सही ढंग से हो।

(श्री पंचानन राय के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

पंचानन राय जी एक प्रश्न हुआ है, मैं उसका उत्तर दिलवा रहा हूं और आप बीच में खड़े हो गए। यदि कोई ऐसी आवश्यक चीज हो जो प्रश्न के बीच में ही पूछना हो तो आप उनके पास जाकर उनसे पूछ लीजिए। माननीय पांडेय जी ने एक नीति विषयक प्रश्न पूछा है जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। माननीय मंत्री जी अगर इस नीति विषयक प्रश्न का उत्तर देना चाहें, तो दे सकते हैं।

श्री राजमंगल पांडेय--

ऐसा नहीं है कि सम्बन्धित नहीं है, मान्यवर। मेरा तो सीधा प्रश्न है माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। लोगों की भावना ऐसी है और पूरा सदन भी इसको मानता है कि सभी लोग इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्षुब्ध हैं। सबको मालूम है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस सदन की भावना व चिन्ता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए कोई और उचित माध्यम से सुधार लाने की कोशिश करेंगे ताकि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सही ढंग से हो सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति आक्रोश और क्षोभ हुआ होता तो अब तक इस सम्बन्ध में मुझे सूचना मिली होती। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 8-10 किलो वाले लोग, निजी दूकानदारों के अलावा तो

इस सम्बन्ध में बार-बार पूछने पर सभी इसकी सफलता के हामी हैं और इच्छुक हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी एक दिन जब इस बात पर चर्चा हुई थी तो राज्यपाल और मुख्य मंत्री व सारे लोगों के बीच में कहा

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नीति विषयक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने आपका भी हवाला दे दिया, तो क्या यह इससे सम्बन्धित है जो माननीय मंत्री जी ने आपका हवाला दे दिया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण, माननीय पांडेय जी ने जो प्रश्न किया था वह इस प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं था जो इस सदन के सामने था। लेकिन उनका एक व्यापक प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी को बुलाया तो नहीं था और न इसके लिए मेरा कोई आदेश था । मैंने तो यही कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं । माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते समय मेरा हवाला दे दिया । जहां तक मेरा हवाला देने का प्रश्न है, मैं अध्यक्ष हूं लेकिन साथ ही साथ श्री ति मिश्र भी हूं, विधायक भी हूं ।

इस सम्बन्ध में मेरी उनकी व्यक्तिगत बातचीत हुई थी और मैं फिर कहना चाहता हूं कि चुने जाने के बाद जब मैंने अपने क्षेत्र का व्यापक रूप से दौरा किया तो मैंने पाया कि सब लोग कोटा वालों से क्षुब्ध थे क्योंकि वे हर जगह बेईमानी करते रहे हैं । मैंने भी लोगों से कह दिया था कि कटा परमिट वाले लोग मेरे पास दस्तखत कराने के लिए न आवें । इसके बाद जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम सहकारिता को दिया गया तो इस सम्बन्ध में हमारी बातचीत दो महीने पहले जो लोगों से हुई तो मैंने पाया कि निश्चित रूप से कोटा वालों की अपेक्षा अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है ।

एक सदस्य--

यह तो दो महीने पहले की बात है, अब आपकी क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष--

मेरी राय को चूंकि यहां उद्धृत किया गया मंत्री द्वारा इसलिए मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया । मेरी राय क्या है क्या नहीं है इसको बतलाना मैं यहां पर आवश्यक नहीं समझता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जब आपने दो महीने पहले की अपनी राय बता दी तो कम से कम जो इस समय आपकी राय है उसे बता दें हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है, आपकी राय क्या है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । इसके सम्बन्ध में जब बात आई तो मैंने स्पष्टीकरण के रूप में बताया ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पंचानन--

मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिए। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि फर्जी कार्ड...

श्री अध्यक्ष--

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। आपकी उत्सुकता हो तो आप मंत्री जी के कक्ष में जा कर पूछ लीजिए।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बीच व्यवस्था तो होती नहीं...

श्री राज मंगल पाण्डेय--

व्यवस्था में आपकी इस पर जानना चाहता हूं कि आपकी बात से यह पता चला कि वितरण प्रणाली से आप भी किसी न किसी माने में क्षुब्ध रहे हैं..

श्री अध्यक्ष--

पांडेय जी एक बात कह दूं तो आप कहें। इस वाद-विवाद को आपने जितना खींच लिया, माननीय सदस्यों ने, उसके अधिक न खींचे तो ज्यादा अच्छा होगा।

(हंसी)

नगरपालिका, महापालिका तथा टाउन एरिया कमेटीज के चुनाव

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री दलबीर सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों (नगरपालिका, महापालिका तथा टाउन एरिया कमेटी) के चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

स्थानीय निकायों के चुनाव इस वर्ष के अन्त तक हो जाने की आशा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब माननीय मंत्री जी ने मंत्री पद की शपथ ली तो दूसरे दिन घोषणा की कि चुनाव जून में करा लिए जायेंगे, उसके बाद कहा कि नवम्बर में कराये जायेंगे, उसके बाद सदन के बाहर समाचार पत्रों के द्वारा यह घोषणा की गई कि दिसम्बर में करा दिए जायेंगे और आज उत्तर है कि दिसम्बर के अन्त तक हो जाने की आशा है। मैं जानना चाहता हूं

स्पष्ट रूप से क्या अब तक सरकार के सामने कोई चुनाव का प्रोग्राम भी विचाराधीन है कि किन-किन तिथियों में क्या-क्या होगा ? यदि हां, तो कृपा कर बतायेंगे कि दिसम्बर के अंत तक चुनाव की कार्यक्रम की क्या-क्या तिथियां होंगी, क्या प्रोग्राम होगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कार्यक्रम की तिथियां इस समय बतलाना मुश्किल है, लेकिन सारा मामला विचाराधीन है । वोटर लिस्ट का रिवीजन प्रारम्भ कर दिया है । दिसम्बर के अंत तक चुनाव हो जायेंगे ।

श्री भीखा लाल—

सदन में जो सरकार को जवाब देने की बात है कि "शीघ्र" और "आशा है" इसकी कोई परिभाषा नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी यह निश्चित रूप से घोषणा करेंगे कि दिसम्बर के अंत तक लोकल बाडीज के चुनाव अवश्य करा दिये जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जैसा मैंने कहा दिसम्बर, 81 तक चुनाव होने की पूर्ण संभावना है ।

श्री राम कुमार भार्गव—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने पिछले वर्ष कहा था कि साल के अंदर चुनाव होंगे मतदाता सूची पूरी हो गई तो क्या चुनाव न किये जाने के कारण कोई विभागीय अथवा राजनैतिक कारण है । दूसरा क्या चेयरमैन के चुनाव पुराने परंपरागत ढंग से करेंगे या आपका डाइरेक्ट चुनाव कराने का विचार है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जहां तक मान्यवर, अध्यक्षों का चुनाव है किस तरह से होगा मौजूदा ऐक्ट में डाइरेक्ट चुनाव का प्राविधान है जब तक उसको बदला नहीं जाय । दूसरी समस्या जो रखी गयी है अगर कोई समस्या होती तो आपके सामने रखता । मैं कह रहा हूं कि दिसम्बर, 81 तक चुनाव होने की पूरी संभावना है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि इस साल के अंत में चुनाव होने की संभावना है । जैसा कि मंत्री जी बतला रहे हैं और उसके बाद जब पूछा जा रहा है कोई निश्चित तिथि आप बता दें अधिक से अधिक समय जो आप लेना चाहते हैं ताकि यह सदन आश्वस्त हो जाय क्योंकि श्री श्रीकृष्ण गोयल जी की बातों पर यह सदन विश्वास करता है लेकिन उनके खुद बदलते हुये विचारों को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि वह इस सदन के विश्वास के योग्य नहीं हैं जहां तक चुनाव सम्बन्धी बात है । मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि क्या आप यह तिथि इसलिये नहीं बता रहे हैं कि हवा आप अपने अनुकूल नहीं पा रहे हैं और जब यह हवा आपके माफिक आ जाय तब आप चुनाव करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के निर्वाचन की अब तक जो रीति रही है नियमानुसार वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन का जो मौजूदा नियम है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का, क्या उसका परिवर्तित करने पर आप विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कोई विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करने की बात हो रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

श्रीमन्, बहुत से सुझाव आये हैं, उस पर विचार हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुये मंत्री जी पर अविश्वास होने पर भी हम विश्वास कर लेते हैं कि दिसम्बर में चुनाव हो जायेंगे तो इसका मतलब यह है कि नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक नोटीफिकेशन हो जायेगा । अभी आपको यह निर्णय लेना है कि चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी ? 22 तारीख तक यह सेशन चलेगा । अगला बजट सेशन कब होगा, इसकी हमको जानकारी नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने सदन के बाहर भी कहा है इस मामले में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं तो किस स्तर पर विचार कर रहे हैं । अध्यक्ष के चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी और अगर कोई विचार पूरा होना है तो सरकार कब उसकी घोषणा कर देगी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

समय रहते हुये शीघ्र ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिनका जवाब तपाक से देने के लिये मंत्री जी खड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनका जवाब देने के लिये उनका गला रुक जाता है । इस सवाल का जवाब देने में मंत्री जी की तेजी कुछ कम दिखाई दे रही है । मंत्री जी ने सदन से बाहर भी यह बयान दिया है और उसमें स्पष्ट तारीखें भी दी हैं । उनको ध्यान में रखते हुये आप कृपया यह बतायेंगे कि एक तरफ तो निश्चित तारीखें हैं और दूसरी तरफ आप आशा में बंध गये हैं । इसका क्या कारण है ? कोई निश्चित तिथि घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न कई बार आ चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करें ।

श्री अध्यक्ष--

बार-बार यह बात पूछ ली गई है कि निश्चित तिथि बतायें, निश्चित तिथि बतायें ....

(व्यवधान)

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि दिसम्बर के अन्त तक चुनाव हो जायेंगे, सदन के बाहर तो उन्होंने निश्चित तारीखें भी घोषित कर दीं और आज सदन में कह रहे हैं कि दिसम्बर के अन्त तक सम्भावना है तो यह बात किन कारणों से पेश हो गई, यह आप बता दें ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैंने कभी भी तिथियों की घोषणा नहीं की है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव की आशा और प्रत्याशा में क्षेत्रों के परिसीमन, वोटर्स लिस्ट के बनाने और अध्यक्षों का डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट चुनाव करने के बारे में सब निश्चित हो चुका है ? यदि नहीं, तो वह कब होगा ? 18 साल की उम्र सरकार ने मान ली है । तो यह सब काम पूरे हो गये हैं ? यदि नहीं हुये हैं, तो कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है । बाकी जितने कार्य हैं वे समय से पूर्व पूरे हो जायेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर के आखिर तक चुनाव होने की आशा है और आज कल हर नगरपालिका में प्रभारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी जब तक नये चुनाव कराते हैं तब तक के लिए जनप्रतिनिधियों की कोई कमेटी बनाने जा रहे हैं । यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव की रीति के सम्बन्ध में सारे सुझावों पर विचार करते हुए उनकी मंत्रि परिषद् ने एक लाख से ऊपर की आबादी की महापालिकाओं में अप्रत्यक्ष ढंग से और एक लाख से नीचे की नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव कराने के विषय पर निर्णय ले लिया है ? यदि ले लिया है, तो उस सम्बन्ध में विधेयक इस माननीय सदन में कब तक आ जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

समय से विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

इसके माने यह हुए कि निर्णय हो गया है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मैंने यह नहीं कहा कि निर्णय ले लिया है । मैंने कहा जब भी आवश्यक होगा विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री राज कुमार राय--

इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए पिछली सरकार ने चुनाव कई बार टाले थे । म जानना चाहता हूं कि कौन सी कार्यवाही पूरी कर दी गयी हैं और कौन से काम बाकी रह गय हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यही प्रश्न कई बार हो चुका है उन्होंने कहा है कि विचाराधीन है ।

श्री फखरे आलम--

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब अब तक दिये हैं उसमें कोई उत्तर साफ नहीं आया । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे और एलेक्शन की तारीख और प्रोग्राम बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इन चुनावों से पहले क्या कुछ नगरपालिकाओं को उच्च करने और कुछ स्थानीय निकायों को नगरपालिकाओं के रूप में बदलने का विचार शासन के सामने है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन-सी नगर महापालिकायें हैं और उस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह इस प्रश्न की परिधि के बाहर ह ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी ने कहा कि यथासमय विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा । मान्यवर, इस वक्त हम यहां बैठे रहे हैं और अब दो-तीन महीने बाकी रह गए हैं तो क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इसी सत्र में वह विधेयक पास करा देंगे अथवा अध्यादेश द्वारा परिवर्तन करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, जैसी आवश्यकता होगी, वैसा करेंगे ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 38 की ओर ले जाना चाहता हूं । इसमें दिया है, "प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग--प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे" तो मान्यवर, जो जवाब अभी तक दिए गए हैं, विशेषकर यह जो अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या दी है, उस पर बिलकुल असम्बद्ध और सुसंगत उत्तर नहीं दिए गए हैं । तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या मंत्री जी को इस प्रकार का उत्तर देने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

इस पूरे नियम का जिसका हवाला दिया है कि प्रश्नों से सुसंगत होंगे तो जितने भी यहां प्रश्न हुए, उनके उत्तर प्रश्नों से सुसंगत है । आपके मन के नहीं है, आपकी संतुष्टि के नहीं हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन सुसंगत तो है ही ।

अतारांकित प्रश्न

मे0 आई0 डी0 पी0 एल0 तथा ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल लि0 लखनऊ की दवाओं के सैम्पुल तथा खरीद

1—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 1978 से 1980 के बीच स्वास्थ्य निदेशालय एवं ड्रग कंट्रोलर, उत्तर प्रदेश में आई0 डी0 पी0 एल0 तथा ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल प्रा0 लि0, लखनऊ के दवाओं के कितने सैम्पुल अस्वीकृत किए है और इन दोनों फर्मों के कितने सैम्पुल स्वीकृत किए हैं ? स्वीकृति करने के बाद कितनी कीमत की दवाएं इन दोनों फर्मों से खरीदी गयी ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत अवधि में मेसर्स आई0 डी0 पी0 एल0 लखनऊ के 69 तथा मेसर्स ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल्स, प्रा0 लि0 लखनऊ के 35 नमूने जांच हेतु लिए गए । मेसर्स आई0 डी0 पी0 एल0 के नमूनों में से 55 मानक स्तर के तथा 4 निम्न स्तर के पाये गए । शेष 10 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित हैं । मेसर्स ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल्स, प्रा0 लि0 के 35 नमूनों में से 23 मानक स्तर के पाये गए तथा शेष 12 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

निदेशालय स्तर पर प्रश्नगत अवधि में मेसर्स ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल्स प्रा0 लि0 लखनऊ से कोई औषधि क्रय नहीं की गई । मेसर्स आई0 डी0 पी0 एल0 लखनऊ से 9,52,00,235·04 रुपए की औषधियां क्रय की गई ।

कानपुर के ग्राम नानामऊ निवासी श्री देवी प्रसाद मिश्र व उनके चाचा ग्राम प्रधान द्वारा गांव के हरिजनों से राशनकार्ड हेतु 5—5 रुपए की कथित वसूली

2—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही ह कि जनवरी, 1981 में गांव नानामऊ, तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर में वही के निवासी श्री देवी प्रसाद मिश्र व उनके चाचा गांव प्रधान ने मिलकर उसी गांव के निर्धन हरिजनों से 5—5 रुपया राशन कार्ड बनवाने के नाम पर वसूल किए और इसकी लिखित शिकायत श्री रामस्वरूप अवस्थी निवासी कस्बा बिल्हौर ने परगनाधीश बिल्हौर से जनवरी, 1981 में ही की ? यदि हां, तो परगनाधीश, बिल्हौर की जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह सही नहीं है कि जनवरी 1981 में गांव नानामऊ, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में वहीं के निवासी श्री देवी प्रसाद मिश्रा व उनके चाचा ग्राम

प्रधान ने मिलकर उसी गांव के निर्धन हरिजनों से 5–5 रुपया राशनकार्ड बनवाने के नाम पर वसूल किए ।

यह सही है कि इसकी लिखित शिकायत श्री रामस्वरूप अवस्थी, निवासी कस्बा बिल्हौर ने परगनाधीश बिल्हौर से जनवरी, 1981 में की ।

परगनाधीश बिल्हौर की जांच से उक्त शिकायत निराधार तथा वैमनस्यता के आधार पर दी गई साबित हुई ।

गोरखपुर, टाउन एरिया गोला बाजार की राशनकार्ड धारकों की संख्या

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया गोला बाजार की राशनकार्ड धारकों की कुल यूनिट संख्या अगस्त 1980 तक क्या थी और अब इस समय क्या है ?

श्री बासुदेव सिंह—

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया गोला बाजार की राशन कार्ड धारकों की संख्या माह अगस्त 1980 तक 11,494 (ग्यारह हजार चार सौ चौरानबे) थी और इस समय 12,075 (बारह हजार पचहत्तर) है ।

नगर क्षेत्र गोला बाजार (गोरखपुर) के अन्तर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें तथा उनमें कार्ड संख्या

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार नगर क्षेत्रों तथा उपनगरों (टाउन एरिया) में 2,000 (दो हजार) यूनिट संख्या होने पर एक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान का प्राविधान है ? यदि यह सत्य है तो नगर क्षेत्र गोला बाजार (गोरखपुर) में इस समय कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें कार्यरत हैं और उन दूकानों में प्रत्येक पर कितनी यूनिट संख्या कार्ड धारकों की सन्निहित (संलग्न) है ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह सत्य है कि माह दिसम्बर, 1980 के पूर्व 2000 यूनिट पर एक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान होने का प्राविधान था। परन्तु शासकीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1981 में यह निदेश दिए गए हैं कि अब सहकारी संघों अथवा समितियों द्वारा संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान के साथ 4,000 (चार हजार) यूनिटें सम्बद्ध की जाय । इस समय नगर क्षेत्र गोला बाजार में जिला सहकारी फेडरेशन लि0 शाखा गोरखपुर द्वारा संचालित केवल एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कार्यरत है, जिस पर 12075 (बारह हजार पचहत्तर) यूनिटें सम्बद्ध हैं ।

नगर महापालिका मथुरा के कर्मचारियों को दीपावली त्योहार पर वेतन वितरण हेतु ओवर ड्राफ्ट

5—श्री चन्दन सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6–11–80 को एक लाख रुपये का ओवर–ड्राफ्ट नगरपालिका, मथुरा के कर्मचारियों के वेतन

वितरण हेतु दीपावली के त्यौहार पर लिया गया था ? क्या यह सही है कि जो पैसा कर्मचारियों को वेतन के लिये निकाला गया था वह भी कर्मचारियों को नहीं बांटा गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस धनराशि में से ठेकेदारों को पैसा नकद दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से उनको पैसा नकद दिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

सभी धन कर्मचारियों को ही बांटा गया था ।

जो नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद, अकबरपुर तहसील में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में भ्रष्टाचार तथा उसकी जांच आख्या

6--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1981 में फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए श्री बी0 के0 पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, जवाहर भवन, लखनऊ, अकबरपुर तहसील में गये थे और श्री हरिराम वर्मा, भूतपूर्व विधायक के साक्ष्य के लिये कोई आरोप-पत्र श्री पाण्डेय को दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह सत्य है कि श्री पी0 के0 पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, जवाहर भवन, लखनऊ से अकबरपुर तहसील नियंत्रित वस्तुओं की जांच के लिये गये थे । वे उक्त जांच ब्लाक कांग्रेस (आई) अकबरपुर के शिकायती पत्र के सन्दर्भ में करने गये थे ।

इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्री हरिराम वर्मा, भूतपूर्व विधायक ने कोई प्रार्थना पत्र या साक्ष्य के लिये कोई आरोप-पत्र श्री बी0 के0 पाण्डेय को दिया था । अतएव, उक्त भूतपूर्व विधायक के आरोप पत्र न प्राप्त होने की दशा में जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक कांग्रेस (आई) अकबरपुर के शिकायती पत्र के सन्दर्भ में श्री पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, नजूल विभाग से वर्ष 1907 के बाद की सम्पत्ति पुस्तिका का गायब होना

7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग के पास वर्ष 1907 के बाद की सम्पत्ति पुस्तिका नहीं

†छापी नहीं गयी ।

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण पुस्तिका के सम्बन्ध में जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास वर्ष 1907 के बाद की सम्पत्ति पुस्तिका नहीं है । भूमि का सर्वे कराया जा रहा है उसके बाद सम्पत्ति रजिस्टरों को अद्यावधिक कराया जायगा ।

लखनऊ नगर की नजूल भूमि की दर तथा उसके आवंटियों का विवरण

8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में 3000 हेक्टर नजूल की भूमि है ? यदि हां, तो वह जमीन कहां-कहां है, उक्त भूमि को कितने व्यक्तियों को किस दर से दिया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

लखनऊ शहर में लगभग 1295·51 हेक्टयर नजूल भूमि है । इसमें से लगभग 376·99 हेक्टर नजूल भूमि 5757 व्यक्तियों के पास स्थायी/अस्थायी पट्टे पर विभिन्न प्रयोजन हेतु भिन्न-भिन्न दरों पर है ।

आर० ए० एल० सी० केन्द्र, लखनऊ में नवीन नियुक्तियां

9—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 6-1-81 को स्वास्थ्य सचिव को शासन द्वारा इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि आर० ए० एल० सी० केन्द्र लखनऊ में दिनांक 1-12-80 के उपरान्त नवीन नियुक्तियां स्थगित कर दी जायं । यदि हां, तो क्या इस आदेश के बावजूद नवीन नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री लोक पति—

जी हां । परन्तु बाद में यह आदेश दिये गये कि आर० ए० एल० सी० पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का अंग होगा । अतः इसमें जो नियुक्तियां की जायं उनमें यह ध्यान रखा जाय कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में समावेश करते समय प्रशासनिक उलझनें उत्पन्न न हों । तत्पश्चात् इसे तथा सेन्टर की आवश्यकता को एवं कार्य हित को ध्यान में रखते हुये कुछ नियुक्तियों की कार्यवाही की गयी ।

जनपद उत्तरकाशी के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

10—श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के कितने ग्रामों में अब तक पीने के पानी की व्यवस्था हुई है और कितने ग्राम ऐसे हैं जहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ? 1980-81 के

आर्थिक वर्ष में सरकार द्वारा कितने ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था हो गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सर्वेक्षण के अनुसार जनपद उत्तरकाशी के 364 ग्राम पेयजल के अभाव से ग्रस्त हैं । मार्च, 1981 तक इनमें से 251 में पेयजल व्यवस्था हो गयी है ।

श्री मित्रसेन यादव—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

जनपद रामपुर में ईटों के भट्ठों की संख्या, उनके मासिक कोयले का कोटा तथा कोल एजेन्टों को माहवार आवंटित कोयला

12—श्री मित्रसेन—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में ईंट के भट्ठों की संख्या क्या है और उनका मासिक कोयले का कोटा कितना है ? जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक कितना-कितना कोयला किन-किन कोल एजेन्टों को किस-किस माह में आवंटित किया गया ?

श्री बासुदेव सिंह—

जिले से प्राप्त सूचनानुसार रामपुर जनपद में इस समय 37 ईंट के भट्ठे हैं तथा उनका स्लैक कोल का मासिक कोटा 1215 मी0 टन है ।

जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक जनपद के कोल एजेन्टों को माहवार आवंटित कोयले का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'क' अगले पृष्ठ 641 पर ।)

देवरिया जिले में रेल द्वारा सीमेंट मंगाने की मात्रा तथा देहात व शहर में उसके आवंटन का आधार

13—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में रेल द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कितने बोरी सीमेन्ट आई है ? इसमें से कितना देहात एवं कितना शहरों में आवंटित किया गया है ? वितरण का आधार क्या रहा है ?

श्री वासुदेव सिंह—

देवरिया जिले में रेल द्वारा प्रश्नगत अवधि में 6,989.3 मी0 टन0 सीमेन्ट प्राप्त हुआ जिसमें से 4,280.8 मी0 टन देहाती क्षत्रों में तथा 2,708.5 मी0 टन शहरी क्षेत्रों में वितरित किया गया । सीमेन्ट का वितरण जिले को आवंटित सीमेन्ट का कोटा तथा पिछले त्रैमासों में सीमेन्ट की मांग के आधार पर किया गया ।

देवरिया जनपद में स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना

14--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कहां-कहां पर स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है और कब तक स्वास्थ्य केन्द्र बन जायेंगे ?

श्री लोकपति--

प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिन विकास खन्डों की जनसंख्या 1.50 लाख अथवा इससे अधिक हो गयी है, उन विकास खन्डों में एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना शासन के विचाराधीन है। देवरिया जिले का पडरौना विकास खंड ऐसा ही विकास खंड है और यथा समय यहां पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत देवरिया जनपद में वर्तमान वित्तीय वर्ष (1981-82) में 50 उप केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिनांक 11-4-1981 को निर्गत किये जा चुके हैं।

जनपद देवरिया में, गौरी बाजार, हाटा एवं रामपुर कारखाना की टाउन एरिया को व्यस्त सड़कों का पुनर्निर्माण एवं कार्यालय का निर्माण

15--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गौरी बाजार, हाटा एवं रामपुर कारखाना की टाउन एरिया की सभी सड़कें अतिवृष्टि के कारण ध्वस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो खराब सड़कों को बनवाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सड़कें कब तक बन जायेंगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। सड़कों की मरम्मत का काम जारी है।

16--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि जनपद देवरिया की टाउन एरियाज, गौरी बाजार एवं हाटा के कार्यालयों को कब तक बनवाने की योजना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस सम्बन्ध में टाउन एरिया द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद देवरिया में ब्लाक वाइज सीमेन्ट की दूकानों हेतु दिया गया लाइसेन्स

17--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में 1-1-1980 से 31-1-1981 तक कितने ब्लाक वाईज सीमेन्ट की दूकान हेतु लाइसेन्स दिये गये हैं और उन लोगों को लाइसेन्स देने का आधार क्या है ?

श्री बासुदेव सिंह—

देवरिया जनपद में प्रश्नगत अवधि में कुल 14 सीमेन्ट के लाइसेन्स दिए गए जिसका ब्लाक वाईज विवरण निम्न है :—

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	प्रदत्त सीमेंट लाइसेन्सों की संख्या
1	विकास खंड सुकरौली	1
2	विकास खंड मोतीचक	1
3	विकास खंड रामकोला	1
4	विकास खंड विशुनपुरा	1
5	विकास खंड दुद्दही	2
6	विकास खंड फाजिलनगर	1
7	विकास खंड पड़रौना	1
8	विकास खंड भाटपाररानी	1
9	विकास खंड पथरदेवा	2
10	विकास खंड भलुअनी	3
	योग ..	14

उक्त व्यक्तियों को सीमेन्ट लाइसेन्स देने का आधार क्षेत्र की जनसंख्या एवं जन-सुविधा रहा है ।

देवरिया जिलान्तर्गत, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, देसही एवं बैतालपुर विकास खंडों में सीमेन्ट की दूकानों का लाइसेन्स

18—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, देवरिया, देसही देवरिया एवं बैतालपुर विकास खंडों में 1-7-1980 से 20-2-1981 तक कितनी-कितनी सीमेन्ट की दूकानों के लाइसेंस दिए गए हैं ? और लाइसेंस देने का आधार क्या रहा है ?

श्री बासुदेव सिंह—

देवरिया जिलान्तर्गत गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, देवरिया, देसही-देवरिया एवं बैतालपुर विकास खंडों में प्रश्नगत अवधि में कोई सीमेन्ट का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के कतिपय विकास खंडों में साधन सहकारी समितियों द्वारा खाद पर दिया गया अनुदान तथा गबन के मामले

19--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देसही देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना और देवरिया विकास खंडों के अन्तर्गत साधन सहककारी समितियों द्वारा वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में खाद अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किसानों के खाते में अनुदान जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

जी हां, देवरिया जिलान्तर्गत देसही देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना एवं देवरिया विकास खंडों के अन्तर्गत जिन साधन सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में खाद पर अनुदान दिया गया है, उनका विवरण* संलग्नक "क" पर है । वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में अनुदान की धनराशि सम्बन्धित समितियों द्वारा प्राप्त कर किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है । वर्ष 1979-80 में मु0 31,364.48 रुपये के बिल देर से प्राप्त होने के कारण कृषि विभाग, देवरिया को दिनांक 28-3-81 को प्रस्तुत किए गए हैं । इनका भुगतान जिन समितियों द्वारा पाना तथा सदस्यों के खातों में जमा होना शेष है, उनका विवरण संलग्नक* "ख" पर है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 643 पर ।)

20--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देसही देवरिया, बैतालपुर एवं गौरी बाजार विकास खंडों के अन्तर्गत किन साधन सहकारी समितियों से वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 के आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन के मामले प्रकाश में आए हैं और इनके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बासुदेव सिंह--

देवरिया जिले के प्रश्नगत विकास खंडों में जिन साधन सहकारी समितियों में वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन के मामले प्रकाश में आए, उनका तथा उस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक "क" पर है ।

(देखिए नत्थी 'ग' अगले पृष्ठ 648 पर ।)

देवरिया जिलान्तर्गत बैतालपुर को टाउन एरिया बनाने की मांग

21--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बैतालपुर को टाउन एरिया बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं ।

22—श्री नन्द किशोर सिंह—

[1ले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बड़गांव सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 गोन्डा में समिति के विक्रेता द्वारा गबन

23—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव गोन्डा, बड़गांव सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड, गोन्डा ने अपने पत्र दिनांक 12-12-80 के अनुसार थाना कोतवाली, गोन्डा में रिपोर्ट लिखवाई है कि समिति के विक्रेता ने 39,815 रुपए का गबन कर लिया है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बासुदेव सिंह—

सचिव, गोन्डा बड़गांव क्रय विक्रय समिति लिमिटेड गोन्डा ने अपने पत्र दिनांक 12-12-80 के अनुसार थाना कोतवाली गोन्डा में रिपोर्ट लिखाई है कि समिति के विक्रेता ने 39,816 रुपये का गबन कर लिया है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता), फैजाबाद के विचाराधीन है।

24—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[3 रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका अल्मोड़ा के हरिजन कर्मचारियों द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा

25—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा नगरपालिका के अधीन सेवारत हरिजनों को अभी भी सिर पर मैला ढोना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या भारतीय संविधान की सामाजिक समानता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मन्त्री जी ऐसा प्रयास करेंगे कि भविष्य में सिर पर मैला ढोने के लिए उपर्युक्त हरिजनों को विवश न होना पड़े ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका, अल्मोड़ा में कार्यरत हरिजनों द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा माह दिसम्बर, 1975 में समाप्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा नगरपालिका की सीवर योजना

26—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि नगर पालिका अल्मोड़ा ने अपने नगर की सीवेज लाइन योजना की स्वीकृति हेतु शासन को भेजा है ? यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं। कुमायूं मन्डल जल संस्थान ने उत्तर प्रदेश जल निगम से अल्मोड़ा नगर के लिए सीवर योजना विरचित करने का अनुरोध किया है।

छठी पंचवर्षीय योजना काल के लिए सीवर व्यवस्था योजनाओं हेतु अत्यन्त सीमित प्राविधान योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति बनाये रखने हेतु ही अपर्याप्त है । अतः इस योजना काल में अल्मोड़ा में नई सीवर योजना का कार्यान्वयन संभव न हो सकेगा ।

साधन सहकारी समितियों के उप केन्द्र

27--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियां आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए उन समितियों में जहां कार्ड-धारकों की संख्या दस हजार से ऊपर है समितियों के उप केन्द्र खोलने हेतु शासन विचार कर तुरन्त निर्णय लेगा ? जिससे समिति मुख्यालयों से दूरी पर स्थित ग्राम के निवासियों को असुविधा का सामना न करना पड़े ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह---

इस सम्बन्ध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और अपेक्षित आदेश निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 1981 को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

देवरिया पुलिस लाइन में जल निगम द्वारा निर्मित टंकी

28--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नगरपालिका, देवरिया के लिए पुलिस लाइन, देवरिया में जिस पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है उसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ और किन कारणों से उसका हस्तान्तरण नगरपालिका, देवरिया को नहीं किया जा रहा है ? देवरिया नगर को पीने के पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए क्या स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा उसका शीघ्रातिशीघ्र हस्तान्तरण नगरपालिका देवरिया को कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

पुलिस लाइन देवरिया में टंकी का निर्माण 1979-80 में पूरा हो गया था । पाइप लाइन में कई स्थानों पर लोकेज तथा कुछ छुटपुट कार्य छूट जाने के कारण टंकी का हस्तान्तरण नगरपालिका देवरिया को नहीं किया जा सका । यह कार्य आगामी माह तक पूरा हो जावेगा तत्पश्चात् टंकी का हस्तान्तरण नगर-पालिका, देवरिया को कर दिया जायेगा । वर्तमान में भी पानी की टंकी का प्रयोग नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है ।

देवरिया पडरौना का नगरपालिका परिषद् को सड़कों व पानी की लाइनों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

29--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की देवरिया नगरपालिका परिषद् व पडरौना नगरपालिका परिषद् में वर्ष 1980 में

हुई अतिवृष्टि में प्रस्तावित सड़कों एवं पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली पाइप लाइनों को ठीक करने के लिए प्रत्येक मद में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि की मांग की थी व शासन द्वारा दोनों नगरपालिकाओं को प्रत्येक मद में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था तथा धन आवंटन का आधार क्या रहा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

(क) वर्ष 1980 में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों एवं जल सम्पूर्ति योजनाओं की मरम्मत हेतु देवरिया जनपद का देवरिया तथा पडरौना नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित धनराशि की मांग की गई थी :--

नगरपालिका		मांगी गई धनराशि (लाख रु0 में)
	सड़क जलसम्पूर्ति	
देवरिया	2.636	0.45
पडरौना	6.56	3.00

(ख) देवरिया एवं पडरौना नगरपालिकाओं को जल सम्पूर्ति योजनाओं की मरम्मत हेतु मांगी गई सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की गई ।

(ग) क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु देवरिया नगरपालिका को 38,400 00 तथा पडरौना नगरपालिका को 1,31,200 रु0 की धनराशि आवंटित की गई ।

भारत सरकार से प्रश्नगत मद में प्राप्त सहायता की मात्रा पालिका की मांग तथा अन्य परिस्थितियों का ध्यान में रखकर पालिकाओं को धनराशि का आवंटन किया गया था ।

अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में नलकूपों का निर्माण

30--श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें गुरुवार के नत्थो (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में वर्ष 1978-79 व 1980 के दौरान कितनी-कितनी गहराई के कुल कितने नलकूपों का निर्माण किन-किन जगहों पर कराया गया है और उन सभी नलकूपों पर लुब्रीकेन्ट्स (डीजल, मोबिल आयल), एसेम्बली पाइप (हाउसिंग-स्लाटेड व प्लेन पाइप) व पी0 ग्रेविल (लकुआं य नौतनवा का बुटबल) व मजदूरी के मदों पर अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि किस-किस दर से व्यय की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया की एम्बुलेन्स व ट्रैक्टर का विक्रय, आश्रम में भ्रष्टाचार, कार्य के रख-रखाव पर व्यय व आमदनी तथा शौचालय व किचेन का निर्माण

31--श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया के एम्बुलेन्स यू0 पी0 क्यू0 1019 कब व कितने रुपए में बेची गयी ? क्या यह रुपया आश्रम के खाते में जमा हुआ या प्रबन्धक के निजी खाते में ?

श्री लोकपति--

बाबा राघवदास कुष्ट सेवाश्रम देवरिया की एम्बुलेन्स यू0 पी0 क्यू0 1019 अप्रैल, 1979 में 6,000 रुपये में बेची गयी यह धनराशि बाबा राघवदास कुष्ट सेवाश्रम के खाते में दिनांक 1 अप्रैल, 1979 को ही नकद रोकड़ के रूप में जमा कर दी गयी ।

32-श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघवदास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया का मैसी फरगुसन ट्रैक्टर कब कितने रुपये में बेचा गया तथा वह धन-राशि किस तारीख को आश्रम के खाते में जमा की गई ?

श्री लोक पति--

मैसी फरगुसन ट्रैक्टर वर्ष 1978 में बेचा गया । उसके विक्रय मूल्य का 35,021 रु0 दिनांक 5-10-78 को प्राप्त हुआ और उसी दिन बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम के इलाहाबाद बैंक के बचत खाते में जमा किया गया ।

33-श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि बाबा राघवदास सेवाश्रम में, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से सम्बन्धित शिकायती पत्र देवरिया जिले के कांग्रेसजनों की तरफ से मन्त्री जी को देवरिया आगमन के समय दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि आश्रम को सरकारी नियन्त्रण में ले लिया जायेगा ? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या थीं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोक पति--

अध्यक्ष जिला किसान मजदूर वाहिनी एवं सदस्य कार्यकारिणी युवक कांग्रेस कमेटी (ई) देवरिया द्वारा एक शिकायती पत्र दिनांक 24-10-80 बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री जी को दिया गया था । इसके अतिरिक्त भी इस संस्था के विरुद्ध अनेक इसी प्रकार के शिकायती पत्र प्राप्त थे । इन शिकायती-पत्रों में मुख्य रूप से यह आरोप लगाये गए थे कि कुष्ठ सेवाश्रम के जितने भी मंत्री, चिकित्सक, एवं संचालक हैं वे एक ही परिवार से सम्बन्धित हैं तथा आपस में रिश्तेदार हैं, कर्मचारियों को वेतन आदि नहीं दिया जाता है, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है तथा एक जीप की आड़ में तीन

जीपों का व्यय दिखाया जाता है आदि । इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच किए जाने के आदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशक तथा जिलाधिकारी, देवरिया को दिए जा चुके हैं तथा जांच के फलस्वरूप यदि आरोप सिद्ध होंगे तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । जिला अधिकारी, देवरिया को कुष्ठ आश्रम की प्रबन्ध समिति से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य मनोनीत कर दिया गया है ।

34–श्री हरिवंश सहाय––

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया के पास 30 एकड़ का फार्म है ? यदि हां, तो उसके रख–रखाव पर सालाना कितना खर्च होता है तथा उससे कितनी आमदनी होती है ?

श्री लोक पति––

आश्रम के नाम 28.50 एकड़ का फार्म बिहार की सीमा पर है । फार्म के रख –रखाव में इस वर्ष 15,000 रुपये का खर्च तथा 23,000 रुपये की आय अनुमानित है । आश्रम के संचालक का कहना है कि कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा नुकसान कराया जाता है जिसके सम्बन्ध में आश्रम द्वारा न्यायालय में मुकदमा भी लड़ा जा चुका है ।

35–श्री हरि वंश सहाय––

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया में मरीजों के पाखाना एवं किचेन भवन के लिए समाज कल्याण विभाग से दस हजार, लाटरी फण्ड से 20 हजार तथा जर्मन मिशनरी से 50 हजार आया है ? यदि हां, तो क्या तीन भवन हैं या एक ही भवन है ?

श्री लोक पति––

मरीजों के लिए पाखाना एवं किचेन के भवन बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग अथवा लाटरी फण्ड से कोई भी धनराशि नहीं दी गई है । केवल मिशन से धन प्राप्त हुआ था और शौचालय व किचेन का निर्माण मिशन द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार कराया गया है ।

देवरिया, फाजिल नगर ब्लाक में साधन सहकारी समिति खैरटिया के सचिव द्वारा कथित गबन

36––श्री हरिवंश सहाय––

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया विकास क्षेत्र फाजिल नगर के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति खैरटिया के सचिव के विरुद्ध थाने में 1.15 लाख रुपए के गबन की रपट लिखायी गयी है ? यदि हां, तो सचिव के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बासुदेव सिंह––

जनपद देवरिया के विकास खंड फाजिल नगर के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति खैरटिया के सचिव के विरुद्ध 1.15 लाख रुपये के गबन की रिपोर्ट थाने

में दर्ज नहीं कराई गई है क्योंकि उक्त समिति में आडिट या जांच में अब तक कोई गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

देवरिया जिले को साधन सहकारी समितियों के सचिवों का गबन के आरोप में निलम्बन

37--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत कितने साधन सहकारी समितियों के सचिव गबन में निलम्बित हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

देवरिया जिला अन्तर्गत 14 सचिव अपहरण एवं अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किये गये हैं, इसमें पांच सचिवों के मामलों के अन्तिम निर्णय हेतु दिनांक 10-7-81 को जनपदीय प्रशासनिक कमेटी की बैठक बुलाई गयी थी, जिसमें एक सचिव बहाल कर दिया गया तथा चार सचिवों के सम्बन्ध में कुछ कमियों के कारण निर्णय नहीं हो सका । सात सचिवों के मामले अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारियों के पास जांच हेतु लंबित हैं, जिन्हे शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है । एक सचिव का मामला उसके स्पष्टीकरण पर टिप्पणी देने के लिये अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, देवरिया के विचाराधीन है तथा एक सचिव ने अब तक अपना स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया है ।

38--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रुद्रप्रताप सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश जल निगम दशम शाखा, गोरखपुर के अभियन्ताओं का निलम्बन तथा कृत कार्यवाही

39--श्री हरिवंश सहाय--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दशम शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर में वर्ष 1975 से 1980 के बीच कुल कितने अभियन्ता किस-किस दिनांकों को निलम्बित किए गये हैं, उनमें प्रत्येक के विरुद्ध मुख्य-मुख्य चार्ज क्या हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्र कृष्ण गोयल--

प्रश्न का प्रथम भाग

वर्ष 1975 से 1980 के बीच केवल निम्नलिखित तीन अभियन्ता उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से निलम्बित किये गये हैं :--

1--श्री हरि प्रकाश विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता	16-6-75
2--श्री जय करण, अवर अभियंता	16-6-75
3--श्री ब्रजभान शर्मा, अवर अभियन्ता	17-9-80

प्रश्न का द्वितीय भाग

सर्वश्री हरि प्रकाश विश्वकर्मा तथा जयकरण, अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध दशम् शाखा के भंडार से 9.78 मो0 टन सरिया के गबन तथा श्री ब्रजभान शर्मा, अवर अभियन्ता के विरुद्ध 3180 बोरी सीमेन्ट के गबन का आरोप है ?

प्रश्न का तृतीय भाग

सर्वश्री हरि प्रकाश विश्वकर्मा तथा जय करण अवर अभिमन्ताओं के विरुद्ध स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । श्री ब्रजभान शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

गाजीपुर नगर विकास हेतु स्वीकृत धनराशि

41—श्री राम नारायन—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर गंगा सेतु निर्माण योजना के साथ-साथ गाजीपुर नगर के ऐतिहासिक गंगा के पुराने घाटों का जीर्णोद्धार करके गाजीपुर नगर के सुन्दरीकरण योजना सरकार तैयार कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए गये ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

'छोटे तथा मध्यम आकार के संगठित नगर विकास योजना' के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में गाजीपुर नगर विकास के लिए कुल रु0 35.20 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है ।

बहराइच, जिला परिषद् एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, सुजौली की दवायें उपलब्ध न कराया जाना

41—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला परिषद् एलोपैथिक डिसपेंसरी सुजौली, जनपद बहराइच को विगत तीन वर्षों से बिल्कुल भी दवा नहीं दी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

जिला परिषद् बहराइच की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण वे सुजौली स्थित चिकित्सालय को दवाएं उपलब्ध नहीं करा सकी । अब यह चिकित्सालय दिनांक 31-3-1981 से सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है ।

महिला चिकित्सालय पयागपुर, बहराइच में महिला डाक्टर की नियुक्ति

42—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, पयागपुर, जनपद बहराइच में विगत पांच वर्षों से महिला डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या कारण है और नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री लोक पति--

महिला डाक्टरों की कमी के कारण पयागपुर जिला बहराइच के महिला अस्पताल में फरवरी, 1979 से महिला डाक्टर नहीं थी । अब वहां पर एक महिला डाक्टर की तैनाती 27-7-1981 को कर दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

43--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के निवासी दूसरे प्रान्तों से आयुर्वेद में प्राप्त डाक्टरी की डिग्री शुदा व्यक्तियों को सरकारी सेवा में लेने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री लोकपति--

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के पदों को छोड़कर अन्य शैक्षिक पदों पर दूसरे प्रदेशों के आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की प्रदेश की राजकीय सेवा में लिया जाता है ।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु शासन द्वारा सेवा नियमावली अनुमोदित है जिसमें उक्त पद हेतु अनिवार्य अर्हतायें उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की पंचवर्षीय उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रदत्त पंच वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित है जिसके फलस्वरूप अन्य प्रदेशों के आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्ति चिकित्साधिकारी के पद पर सम्भव नहीं है ।

44--श्री राम गोविन्द--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर द्वारा रिंग व कम्प्रेशर मशीनों आदि की मरम्मत पर व्यय तथा वहां पर तीन व पांच साल से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ता

45--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1978 से 1980 के बीच सामानों की आपूर्ति व रिंग मशीनों व कम्प्रेशर मशीनों की मरम्मत के मद पर 10 हजार रुपए से अधिक की अलग-अलग प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या उसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं ? और इन टेंडरों का विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों में किन-किन दिनांकों को निकाला गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा सामग्री की आपूर्ति के मद में 10 हजार रुपये से अधिक के आपूर्ति आदेशों पर वर्ष 1978-79 में लगभग रु0 6.03 लाख एवं वर्ष 1979-80 में रु0 3.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी ।

रिंग मशीनों की मरम्मत पर केवल वर्ष 1978–79 में रु0 51,000 व्यय किये गये थे ।

कम्प्रेशर की मरम्मत हेतु इन दोनों वर्षों में कोई व्यय नहीं किया गया ।

सामग्री की आपूर्ति हेतु टेण्डर का विज्ञापन दैनिक जागरण, गोरखपुर एवं एवं कौमी आवाज, लखनऊ में मई, 1978 के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित किया गया ।

रिंग मशीनों की मरम्मत के लिये कोई टेण्डर आमन्त्रित नहीं किया गया था ।

46––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर के कौन–कौन अवर अभियन्ता, गोरखपुर मुख्यालय पर तीन साल, पांच साल या पांच साल से अधिक समय से वर्तमान समय में कार्यरत हैं व उन्हें उस शाखा में तीन साल से अधिक किस आधार पर रखा गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

अस्थायी निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के निम्नलिखित अवर अभियंता, गोरखपुर मुख्यालय पर तीन साल से अधिक समय से वर्तमान में कार्यरत हैं :––

सर्वश्री––

1––शिव जी तिवारी

2––कृष्ण प्यारे मिश्रा

3––शिव चन्द्र सिंह यादव

4––क्षितिज मुरारी गुप्ता

5––ध्रुव नारायण सिंह

6––ओंकार लाल

शाखा का कोई अवर अभियंता पांच साल या उससे अधिक से मुख्यालय पर कार्यरत नहीं है ।

चूंकि इस वर्ष जल निगम में ऐसे अवर अभियंताओं के सामान्य स्थानान्तरण, सामान्यतः किए गए हैं, जो एक स्थान पर पांच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत थे, अतः उपर्युक्त अवर अभियंताओं का स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

श्री हसनैन खां, अवर अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम, देवरिया के विरुद्ध शिकायती–पत्र तथा सेवा समाप्ति के आदेश

47––श्री नन्द किशोर सिंह––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें गुरुवार (12–3–81) के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के सम्बन्ध में नगर विकास मन्त्री जी

द्वारा प्रश्नोत्तर काल के दौरान सदन में जो यह घोषणा की गई थी कि एक सम्बन्धित अवर अभियन्ता को अब की बार बरखास्त कर दिया जावेगा तो उनकी बरखास्तगी का आधार क्या है तथा उपरोक्त आदेश अब तक पारित न किए जाने का कारण क्या है व कब तक आदेश पारित कर दिया जायगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रश्नोत्तर काल के दौरान सम्बन्धित अवर अभियंता को बरखास्त किए जाने की घोषणा सदन में नहीं की गई थी ।

सम्बन्धित अवर अभियंता की अस्थायी सेवायें विज्ञप्ति संख्या 230-2-बी/1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 के अनुसार एक माह की नोटिस के बजाय एक माह का वेतन देकर दिनांक 21-5-81 से समाप्त कर दी गई है ।

48-52--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटा दिया गया ।]

सुभाषनगर, कानपुर रोड, लखनऊ में सड़क का निर्माण एवं मार्ग प्रकाश

53--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ले में श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर० डी० मिश्रा के मकान तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को क्षेत्रीय जनता द्वारा 10-4-81 तक कितने प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

दिनांक 1-1-81 से 10-4-81 तक प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को क्षेत्रीय जनता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर० डी० मिश्रा के मकान तक सड़क बनाने का सम्बन्ध है, इस सड़क को भोला खेड़ा मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है तथा सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

54--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर० डी० मिश्रा के मकान तक स्ट्रीट लाइट (ट्यूब) लगाने हेतु कितने पत्र मा० विधायकों व क्षेत्रीय जनता के 12-4-81 तक प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अब कब तक स्ट्रीट लाइट (ट्यूब) लग जायेंगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर० डी० मिश्र के मकान तक स्ट्रीट लाइट (ट्यूब)

लगाने हेतु प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को 1-1-81 से 10-4-81 तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक उक्त स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगाने का सम्बन्ध है, वहां पर 4 स्थान स्ट्रीट वायर खींच दिया गया है । किन्तु सर्विस लाइन वायर ढीले होने के कारण अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकी है । लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डर-टेकिंग (लेसू) से तार टाइट करा देने का अनुरोध किया गया है । तार टाइट होने पर प्रकाश व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री कालिका प्रसाद सभापति का साधन सहकारी समिति बालामऊ ब्लाक कछौना, हरदोई द्वारा तत्कालीन सचिव, श्री रामशंकर के विरुद्ध कथित धांधली का शिकायती पत्र

55--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कालिका प्रसाद सभापति, साधन सहकारी समिति, बालामऊ बांड, वि0 खंड कछौना, हरदोई द्वारा तत्कालीन सचिव श्री रामशंकर द्वारा उक्त सहकारी समिति की कार्य (गोदाम) में की गयी धांधली के विषय में कोई शिकायती-पत्र शासन को 12-2-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त न होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच संग्रह कोष का क्षेत्रीय लेखा पार्टी फैजाबाद मंडल द्वारा निरीक्षण

56--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच संग्रह-कोष का निरीक्षण जो क्षेत्रीय लेखा पार्टी, फैजाबाद मंडल द्वारा फरवरी, 1977 में किया गया था, उसमें क्या अनियमितताएं रहीं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत निरीक्षण में क्षेत्रीय लेखा पार्टी, फैजाबाद मंडल ने निम्न प्रमुख प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताएं इंगित की थीं :--

(1) प्रशासनिक अनियमितताएं :--

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां ठीक से नहीं की गयीं। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का अंकन सही तिथि से नहीं किया गया । देय वेतन की धनराशि का भुगतान समय से नहीं किया गया । कर्मचारियों के वेतन नये वेतनमान में निर्धारित करते समय सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी । व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया ।

(2) वित्तीय अनियमिततायें :—

कर्मचारियों की जमानत की कटौती ठीक से नहीं हुई । पैटी कैश बुक नहीं रखी गयी । कर्मचारियों को जीप मरम्मत तथा पेट्रोल हेतु दी गयी धनराशि अनियमित रूप से व्यय की गयी । इसका समायोजन नहीं किया गया । कुर्क अमीनों के फाइडेल्टी गारन्टी बण्डों का यथासमय नवीनीकरण नहीं कराया गया । इससे सम्बन्धित अभिलेख भी ठीक से नहीं रखे गये । कुर्क अमीनों द्वारा अपहृत धनराशि का अनुश्रवण ठीक से नहीं किया गया तथा उन्हें जारी की गयी रसीदों का लेखा-जोखा ठीक से नहीं रखा गया ।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी ने संग्रह कोष के लेखों का पुनः निरीक्षण किया और पूर्व निरीक्षण में उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या की विवेचना से सन्तुष्ट होकर आपत्तियों का परिपालन सन्तोषजनक माना । अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठाता है ।

हरदोई, जलकल विभाग, नगरपालिका बिलग्राम के डीजल जनरेटर की मरम्मत पर व्यय तथा बल्ब की अपर्याप्त आपूर्ति

57--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम के जल-कल विभाग में डीजल जनरेटर की मरम्मत में सन् 1979-80 तक कितना धन व्यय किया गया और पुराने पुर्जे जो बदले गये वह पुर्जे क्या हुए ? क्या स्टाक में हैं या नीलाम हुए ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

5,299.50 रु0 व्यय हुआ और मरम्मत के दौरान जो पुर्जे बदले गये वह स्टाक] में है, उनको नीलाम नहीं किया गया ।

58- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम के जलकल विभाग द्वारा आजकल एक सप्ताह में केवल 2 या 3 घंटे जल की आपूर्ति की जाती ह ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस ओर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जनपद हरदोई को नगरपालिका बिलग्राम के जलकल विभाग द्वारा आजकल प्रतिदिन एक डेढ़ घण्टे की आपूर्ति की जाती है । जल आपूर्ति में और सुधार लाने के लिये 19.00 लाख रुपये की बिलग्राम पेयजल पुनर्गठन योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया द्वारा श्री वेद प्रकाश दीक्षित लैब टेक्निशियन की सेवा समाप्ति, पुनर्नियुक्ति एवं वेतन

59--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया ने श्री वेद प्रकाश दीक्षित, लैब टेक्नीशियन की सेवायें दिनांक 26 दिसम्बर, 1979 को समाप्त करके पुनः दिनांक 29 जुलाई, 1980 को सेवा में बहाल कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें सेवा समाप्ति को अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधारी देवरिया को उचित आदेश दे दिये गये हैं ।

परगनाधिकारी बिल्हौर, कानपुर द्वारा प्राप्त भत्ता

60--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, 1980 के मार्च, 1981 के मध्य परगनाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर ने टाउन एरिया शिवराजपुर व नगरपालिका बिल्हौर तथा मेला कमेटी मकनपुर से किस-किस माह कितना-कितना भत्ता प्राप्त किया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' अगले पृष्ठ 650 पर ।)

लखनऊ नजूल विभाग में गोलमाल की शिकायत

61--राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नजूल विभाग में लाखों रुपये के गोलमाल की शिकायतें जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1980 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतकर्त्ता कौन-कौन हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

वर्ष 1980 में लखनऊ नजूल विभाग में लाखों रुपये के गोलमाल के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र जनता अथवा जन प्रतिनिधियों से नहीं प्राप्त हुआ था ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग में लिपिकों की नियुक्ति तथा नजूल अधिकारी व सचिव का कथित घेराव

62-63--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग में 1980-81 में 4 व्यक्तियों (लिपिकों) की नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अभी तक नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

क्या यह सही है कि दिनांक 2-1-81 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल अधिकारी श्री के0 सी0 मिश्र तथा सचिव, श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी का उनके कार्यालय में घेराव किया गया ? यदि हां, तो घेराव क्यों किया गया तथा घेरावकर्ता कौन-कौन थे ? इसमें दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

शासन के विचाराधीन नहीं है ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें तथा नजूल विभाग की व्यवस्था में सुधार हेतु गठित उप समिति

64-65--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नजूल विभाग, लखनऊ के कितने मुकदमें न्यायालय में 1-4-81 तक विचाराधीन हैं ?

क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नजूल विभाग की जांच के लिए वर्ष 1979 में किसी समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी हैं ? इस समिति द्वारा अब तक क्या जांच की गई और क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

1-4-81 तक विभिन्न न्यायालयों में 442 वाद विचाराधीन हैं ।

नजूल विभाग की जांच के लिए कोई जांच समिति नहीं गठित की गई थी। प्राधिकरण की एक उप समिति नजूल विभाग की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गठित की गई थी, जिसने कार्य सुधार के लिए संस्तुतियां की हैं ।

होम्योपैथिक चिकित्सकों के वेतनमान को यूनानी व एलोपैथिक चिकित्सको के समान करने की मांग

66—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कों ज्ञात है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के न्यूनतम वेतनमान वर्ष 1974 में होम्योपैथिक चिकित्सकों के समान थे ? क्या यह सही है कि वर्ष 1978-79 में जनता शासन द्वारा आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों के न्यूनतम वेतनमान एलोपैथिक चिकित्सकों के समान कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार होम्योपैथिक चिकित्सकों के न्यूनतम वेतनमान भी उपरोक्त चिकित्सकों के समान करने की कृपा करेगी ?

श्री लोक पति—

जी हां ।

वर्ष 1978-79 में नहीं वरन् वर्ष 1977-78 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के वेतनमान एलोपैथिक चिकित्सकों के समान कर दिये गये थे ।

वेतन पुनरीक्षण का मामला वेतन आयोग के विचाराधीन है ।

67—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा कोटेशन तथा आपूर्ति

68—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटेशन नोटिस संख्या 4983/एम0-9/106, दिनांक 17-10-80 के द्वारा कितनी फर्मों को आदेश तृतीय अस्थायी निर्माण शाखा, विद्युत् एवं यांत्रिक, उत्तर प्रदेश, जल निगम लखनऊ द्वारा दिया गया था ? क्या उक्त फर्मों द्वारा माल की आपूर्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त फर्मों की धरवर धनराशि सरकार द्वार जप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दो फर्मों को आपूर्ति आदेश उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रसारित किये गये थे । उनके द्वारा सामग्री की आपूर्ति कर दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश में जन वितरण प्रणाली

69—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जन वितरण प्रणाली लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो उनका रूप क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

अनौपचारिक राशनिंग के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की सम्पूर्ति की जाने की योजना तो बहुत पहले से ही लागू है । दिनांक 25 दिसम्बर, 1980 से प्रदेश के मैदानी-देहाती क्षेत्रों में ब्लाक/तहसील स्तर पर खाद्य विभाग द्वारा खोले गये गोदामों से ही देहाती क्षेत्र में कार्यरत फुटकर विक्रेता व शक्कर के कोटेदारों को

राशन खाद्यान्न, शक्कर व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सम्पूर्ति को जाने की योजना लागू की गयी है । इसके अतिरिक्त दिनांक 1 जनवरी, 1981 से निजी क्षेत्र में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें समाप्त करके उक्त दुकानों को सहकारी समितियों द्वारा संचालित को जाने की योजना भी शासन ने लागू की है । जहां सहकारी क्षेत्र को इस कार्य को तत्काल स्थानान्तरित करना सम्भव न हो वहां वितरण व्यवस्था पूर्ववत् चलती रहेगी ।

नगर विकास प्राधिकरण लखनऊ कार्यालय में लिपिक परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा व तोड़फोड़

70--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 2-1-1981 को हंगामा तथा तोड़फोड़ के कारण नजूल विभाग के कर्मचारियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? उसमें कौन-कौन दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

उर्दू का ज्ञान रखने वाले चार दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की नियुक्ति की जानी थी जिसके लिए 738 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । यह चयन परीक्षा के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया था । अभ्यर्थियों का यह कथन था कि वह इसके लिये तैयार नहीं हैं, और उन्होंने शोरगुल करना प्रारम्भ कर दिया और कुछ गमले आदि भी तोड़ दिये । शांति एवं व्यवस्था की समस्या के कारण उस समय परीक्षा स्थगित कर दी गई । कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी दोषी नहीं है । इसलिये उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय के ट्रस्ट विभाग की कतिपय पत्रावलियों का गायब होना

71--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्रस्ट विभाग में सर्वश्री मौला बख्श, रज्जब अली तथा मजार की लीज की पत्रावलियां संख्या 35-बी-247/321/207 सन् 1958 उपलब्ध नहीं है और श्री रज्जब द्वारा दिनांक 18-12-80 को उनके निरीक्षण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त पत्रावलियों के गायब किये जाने के सम्बन्ध में कौन-कौन कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

पत्रावली संख्या 35-5-249/321/207 उपलब्ध हो गयी है और दिनांक 18 जुलाई, 1981 को प्रार्थी श्री रज्जब अली के वकील ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है ।

एक प्रसार शिक्षक परिवार कल्याण विभाग के बकायों के सम्बन्ध में

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, विधायक के पत्र

72--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, विधायक, रामनगर, बस्ती ने दिनांक 15-9-80 व 28-10-80 एवं 26-12-80 को स्वास्थ्य मंत्री को अपने पत्र में एक प्रसार शिक्षक प० क० विभाग की सेवा पुस्तिका बकाये वेतन के भुगतान तथा सी० डी० एस० के भुगतान के सम्बन्ध में लिखा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

जी हां । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी (आपूर्ति), मेरठ द्वारा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

73--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1980 में स्थानान्तरण के संबंध में जारी शासनादेश के अन्तर्गत स्थानान्तरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए? यदि हां, तो अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), मेरठ द्वारा अपने आदेश, दिनांक 7-2-81 को 14 कर्मचारियों को स्थानान्तरित किए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां । शासन द्वारा दिसम्बर, 1980 में प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सम्पूर्ण स्थानान्तरणों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे । जिलापूर्ति कार्यालय, मेरठ के जिन 14 कर्मचारियों को अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), मेरठ के आदेश, दिनांक 7-2-81 द्वारा स्थानान्तरित किया गया बताया गया है, उन्हें वस्तुतः प्रशासनिक आधार पर, जिलाधिकारी, मेरठ की संस्तुति पर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग के आदेशानुसार मंडलायुक्त, मेरठ द्वारा आदेश, दिनांक 27-11-80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया था और अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), मेरठ द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त कर्मचारियों को 7-2-81 को कार्यमुक्त किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि स्थानान्तरण के आदेश दिसम्बर 1980 के पूर्व ही पारित हो चुके थे ।

74--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार नियोजन विभाग में एम० एस० डब्लू/एच० ए० की पदोन्नति के विषय में लोक सेवा अधिकरण का कथित निर्णय

75--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार नियोजन विभाग में एम० एस० डब्लू०/एच० ए० के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के विषय में दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 को जो निर्णय

लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिया गया था, उस निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है तथा सरकार उन कर्मचारियों को कब तक पदोन्नति देगी ?

श्री लोकपति---

इस विषय पर प्रश्नगत तिथि 12-12-80 का माननीय लोक सेवा अधिकरण का कोई ऐसा निर्णय शासन को प्राप्त नहीं हुआ । अतः कथित निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार नियोजन विभाग में वरिष्ठता सूची बनाये बगर एम0 एस0 डब्लू0 से प्रसार शिक्षक के पद पर पदोन्नति

76---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार नियोजन विभाग में बगैर वरिष्ठता सूची बनाए एम0 एस0 डब्लू0/एच0 ए0 में प्रसार शिक्षक के पद पर पदोन्नति की गयी ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक वरिष्ठता सूची न बना पाने के कारण क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दन्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति---

जी हां ।

पूर्व में प्रोन्नतियां योग्यता, उपयुक्तता तथा उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों की संस्तुतियों पर की गयी थीं । वरिष्ठता सूची न बनवाने के निम्न कारण थे :---

1---विभाग तथा कर्मचारियों का अस्थायी होना ।

2---स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अन्य योजनाओं के समाप्त होने पर छटनी शुदा कर्मचारियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम से समायोजित किया जाना । इससे सभी कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करने में जटिलताएं पैदा हो गईं ।

3---परिवार कल्याण कार्यक्रमों के ढांचे में भारत सरकार द्वारा कई बार परिवर्तन किए जाते रहे, नए पदों का सृजन होता रहा तथा सृजित पदों के पदनाम आदि में परिवर्तन किया जाता रहा ।

उपरोक्त कारणों के दृष्टगत वरिष्ठता सूची के न बन पाने के लिए किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

सहकारिता विभाग में सहायक निबन्धकों की उपनिबन्धकों के पद पर पदोन्नति

77---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सहकारिता विभाग में उपनिबन्धक के कितने पद और कब से रिक्त हैं ? इन पदों पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली में क्या अर्हतायें निर्धारित हैं ? विभाग में ऐसे कितने

सहायक निबन्धक उपलब्ध हैं जो इन निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हैं ? यदि उपर्युक्त संख्या में अर्ह सहायक निबन्धक उपलब्ध हैं तो उप निबन्धक के रिक्त पदों पर पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री बासुदेव सिंह--

वर्तमान समय में सहकारिता विभाग में उप निबन्धक के दो पद रिक्त हैं इन दो पदों के अन्तर्गत एक पद दिनांक 3-8-81 व दूसरा पद दिनांक 13-7-81 से रिक्त चला आ रहा है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली के नियम 5(2) व 180 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा (पहला संशोधन) नियमावली, 1981 के नियम 21(2) के अन्तर्गत अर्हतायें निर्धारित हैं जिनके उद्धरण संलग्न हैं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली के सेवा नियमों 21(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के चयनित 23 एवं पदोन्नति वर्ग के 32 सहायक निबन्धक उप निबन्धक के पद पर पदोन्नति के लिए अर्ह हैं । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष पदोन्नति वर्ग के सहायक निबन्धकों के नियमित चयन/अनुमोदन का मामला सम्बित होने के कारण इन दोनों वर्गों के अधिकारियों की मिश्रित ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । अतः नियम 5(2) तथा नियम 18 के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्रता सूची उपलब्ध नहीं है ।

उप निबन्धक के रिक्त पदों पर तद्‌र्थ पदोन्नति हेतु मामला शासन के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' अगले पृष्ठ 651 पर)

78--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देवरिया जिले की भाटपाररानी टाउन एरिया की तहबाजारी का ठेका

79--श्री हरिवंश सहाय--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी टाउन एरिय के तहबाजारी का ठेका वर्ष 1972-73 लगायत वर्ष 1981-82 तक कितने रुपयों में अलग-अलग हुआ ? ठेके की राशि वर्ष 1981-82 में 90 प्रतिशत कम होने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

टाउन एरिया भाटपाररानी के तहबाजारी का ठीका निम्नांकित रहा :--

	रु0
1972-73	900.00
1973-74	3,501.00
1974-75	6,500.00
1975-76	4,500.00

1976–77	9,051.00
1977–78	5,751.00
1978–79	31,500.00
1979–80	34,700.00
1980–81	49,000.00
1981–82	ठेके की अधिकतम बोली रुपये. 4,800 की हुई थी अतएव् नीलामी दुबारा किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पुरुष एवं महिलाएं) में सीनियर स्केल में अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रोन्नति

80--श्री बिहारी लाल दोहरे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा में अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु सीनियर स्केल (डिप्टी सी0 एम0 ओ0 सुपरिन्टेन्डेन्ट, सीनियर विशेषज्ञ) में कुल कितने अग्रनीत, आरक्षित व सामान्य आरक्षित पद वर्ष 1981 में सुलभ हैं ? क्या इन पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी पुरुष व महिला अनुसूचित जाति, जनजाति के चिकित्सालयों की पदोन्नति आरक्षित रिक्त पदों पर किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे अधिकारियों को जो वांछित सेवा काल पदोन्नति हेतु पूर्ण कर चुके हैं वह स्थायीकरण के अभाव में पदोन्नति से विमुक्त रहेंगे कि अर्थ व वरिष्ठता की क्षति से हुये उत्पीड़न हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री लोक पति--

(क) वर्ष 1981 में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पुरुष एवं महिला) में सीनियर स्केल में प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कुल निम्नलिखित अग्रनीत व सामान्य आरक्षित पद सुलभ हैं--

अग्रनीत आरक्षित पद	सामान्य आरक्षित पद
19	64

(ख) जी हां ।

(ग) इन अधिकारियों की संख्या 11 है । इनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिनका स्थायीकरण बाकी है ।

श्री हरी शंकर सिंह, स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक केन्द्र अमवा, बहराइच के वेतन का निर्धारण व भुगतान

81--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीशंकर सिंह, स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक केन्द्र अमवां, हुसैनपुर, जनपद बहराइच का वेतन निर्धारण,

बकाया भुगतान दिनांक 1 मार्च, 1966 से 31 जुलाई, 1972 तक का अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सम्पूर्ण बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

श्री हरीशंकर सिंह का प्रश्नगत भुगतान दिनांक 1-4-70 से 31-7-72 तक का उन्हें किया जा चुका है और दिनांक 1-3-66 से 31-3-70 तक की अवधि का भुगतान अब 18-8-81 को पूर्व सम्प्रेक्षण हेतु बिल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजा गया है । पूर्व सम्प्रेक्षण की स्वीकृति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से प्राप्त होने पर ही भुगतान कर पाना सम्भव हो पायेगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक से कृषकों को ऋण लेते समय पी० सी० एफ० से मोटर व पम्प की खरीद हेतु बाध्य किया जाना

82--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से कृषकों को बिजली मोटर व पम्प लेने के लिये केवल पी० सी० एफ० से खरीदने के लिये बाध्य करके ऋण दिया जाता है ? जहां उन्हें बाजार भाव से बहुत ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

शासन ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सलाह पर भूमि विकास बैंक के ऋणी सदस्यों को ऋण पर सही किस्म के बिजली मोटर पम्प एवं सहयंत्रों का उचित मूल्यों पर पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पी० सी० एफ० को नामित किया है एवं कृषकों को पी० सी० एफ० से अपनी मनपसंद मोटर एवं उपकरण खरीदने की छूट है । यह सही नहीं है कि पी० सी० एफ० द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाले बिजली मोटर व पम्प बाजार भाव से मंहगे हैं बल्कि सस्ते एवं अच्छे हैं । यद्यपि विभिन्न मोटर निर्माताओं ने बिजली मोटर पर अप्रैल 1981 से 10 प्रतिशत एवं पम्प निर्माताओं ने 11-2-81 से 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ा दिये थे परन्तु पी० सी० एफ० इन्हें 14-7-81 तक पुरानी दरों पर ही बेचता रहा है । 15-7-81 से भी जो नयी मूल्य सूची लागू की गई है उस पर 7 1/2 प्रतिशत की विशेष छूट 16 प्रतिशत डिस्काउन्ट के अतिरिक्त मोटर बिक्री पर दी जा रही है । पम्प की बिक्री पुरानी दरों पर ही की जा रही है । इस प्रकार पी० सी० एफ० के माध्यम से काश्तकारों को सही किस्म के मोटर व पम्प आदि बाजार भाव से सस्ते उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

राजकीय वैक्सीन संस्थान पटवाडांगर, नैनीताल के कर्मचारियों का मांग-पत्र

83--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री बतायेंगे कि राजकीय वैक्सीन संस्थान पटवाडांगर, जिला नैनीताल के कर्मचारियों का कोई मांग पत्र (उनकी सेवाशर्तों तथा रक्षा के बारे में) स्वास्थ्य सचिव, को जुलाई, 1979 में मिला ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोक पति—

प्रश्नगत संस्थान के कर्मचारियों की मांग तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' अगले पृष्ठ 653 पर।)

नगर पालिका सीतापुर की सीमा वृद्धि

84—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर पालिका द्वारा 1975-76 में प्राप्त इस आशय का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है कि सीतापुर नगरपालिका की कुछ सीमा बढ़ा दी जाय ? यदि हां, तो वस्तुस्थिति क्या है तथा सीमा बढ़ाने संबंधी राजाज्ञा कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

84—नगरपालिका सीतापुर की सीमा वृद्धि संबंधी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर दी गई है ।

टाउन एरिया कमेटी बांसी, बस्ती के कर्मचारियों द्वारा माघ मेले हेतु चन्दे की जबरन वसूली

85—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले की टाउन एरिया कमेटी बांसी में जो माघ मेला टाउन एरिया द्वारा कराया जा रहा है उसके लिए 20-2-81 के आसपास टाउन एरिया कमेटी कर्मचारीगणों ने जबरन चन्दा वसूली किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

ग्राम मंसूरपुर हरदोई में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना

86—श्री हरी शंकर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम देहेलिया व गोरिया, ब्लाक हरपालपुर व ग्राम मंसूरपुर ब्लाक सान्डी जिला हरदोई में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय कार्य कर रहा है ?

श्री लोक पति—

86—ग्राम देहेलिया, जिला हरदोई में कोई राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया है । ग्राम मंसूरपुर में एक राजकीय यूनानी चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है परन्तु वहां की जनता आयुर्वेदिक चिकित्सालय चाहती है, यूनानी नहीं । अतः यूनानी चिकित्सालय को आयुर्वेदिक चिकित्सालय में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग

87–श्री सन्त बक्श रावत––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में दैनिक वेतन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 12 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 570 रुपये प्रतिमाह करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक वेतन बढ़ाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह––

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है । उक्त बैंक के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना उक्त बैंक के ही अधिकार क्षेत्र में है ।

आजमगढ़, दोहरीघाट ब्लाक में सूरजपुर ग्राम समूह को पेयजल योजना में सम्मिलित किया जाना

88–श्री राजकुमार राय––

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट ब्लाक में सूरजपुर ग्राम समूह को पेय जल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब से उस पर कार्यारम्भ होगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

जी हां ।

धन की सीमित उपलब्धता के कारण योजना पर कार्य प्रारम्भ करना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है ।

प्रकाश आटो मोबाइल्स बिलग्राम हरदोई द्वारा डीजल में मिलावट

89–श्री हरी शंकर––

क्या सरकार को जानकारी है कि डीजल में मिलावट के आरोप के सिलसिले में दिनांक 28–3–81 को प्रकाश आटोमोबाइल्स, बिलग्राम, हरदोई के डीजल का नमूना लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त डीजल विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री बासुदेव सिंह––

जी हां । कथित डीलर के पम्प से लिए गये डीजल के नमूने की जांच रसायनिक परीक्षक, आगरा से कराये जाने पर जब उक्त नमूने का डीजल अपमिश्रित पाया गया तब मेसर्स प्रकाश आटोमोबाइल्स, बिलग्राम के मालिक श्री प्रकाश कपूर के विरुद्ध दिनांक 30–6–81 को थाना बिलग्राम में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा धारा 420 भारतीय दन्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त डीलर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिनांक 1–9–81 को निरस्त कर दिया गया तथा उसको डीजल की आपूर्ति बन्द कर दी गई ।

गोरखपुर के दक्षिण राप्ती नदी पर बने पुल पर प्रकाश व्यवस्था

90—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर नगर के दक्षिण राजमार्ग पर बने राप्ती नदी के पुल पर प्रकाश व्यवस्था करने के लिए शासन द्वारा सन् 1973 में ही निर्णय लिया गया था ? क्या इस पुल पर विद्युतीकरण के लिए वाह्य ढांचा तैयार करने लिए केन्द्र सरकार 60 हजार रुपये एवं राज्य सरकार को 25 हजार रुपये की अनुमानित लागत से सर्विस कनेक्शन लेने के लिए प्रस्ताव किया गया था और अनुरक्षण तथा बिजली व्यय 8 हजार रुपया वार्षिक दर से नगरपालिका, गोरखपुर को करना था जिसके लिए नगरपालिका, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1980 में शासन को कई पत्र लिखे गये थे ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं तो इसे न कार्यान्वित करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वर्ष 1973 में शासन ने यह निर्णय लिया था कि गोरखपुर नगरपालिका की सीमा के बाहर राज मार्ग पर बने राप्ती नदी पुल के विद्युतीकरण हेतु वाह्य ढांचा निर्माण कराए जाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग भारत सरकार को लिखे कि वह इसका निर्माण करायें तथा इसके अतिरिक्त भी जो कुछ खर्चा हो उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने बजट से वहन करें। पुल के विद्युतीकरण के पश्चात इसके अनुरक्षण तथा विद्युत बिलों के भुगतान की जिम्मेदारी नगरपालिका गोरखपुर को होगी। कालान्तर में इसके बारे में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न दिए जाने और फलतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण पुल का विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो पाया है।

आजमगढ़, दोहरी घाट के पूर्ति निरीक्षक (श्री राम उजागर यादव) के विरुद्ध शिकायत,

91—श्री राज कुमार राय—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अगस्त, 1980 एवं दिसम्बर, 1980 के बीच राज्य मन्त्री खाद्य (श्री अजीत सिंह सेठी) को आजमगढ़ जनपद के दोहरीघाट के पूर्ति निरीक्षक (श्री राम उजागर यादव) के विरुद्ध शिकायती पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वासुदेव सिंह—

1—जी हां।

एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर विचारोपरान्त श्री राम उजागर यादव, पूर्ति निरीक्षक को तहसील घोसी से स्थानांतरित कर तहसील फूलपुर में तैनात कर दिया गया है।

साधन सहकारी समिति पहुतेरा, हरदोई द्वारा ग्राम भतुआ में निर्माणधीन गोदाम

92—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि साधन सहकारी समिति पहुतेरा के अध्यक्ष एवं सचिव ने झूठा प्रस्ताव पास करके विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत

बनने वाले ग्रामीण गोदाम को ग्राम मतुआ में बनवाना स्वीकृत करा लिया ? जबकि उक्त समिति के सरपंचों ने जिलाधिकारी, हरदोई को ब्यान हल्फी दिया कि समिति का प्रस्ताव फर्जी था तथा स्थान गलत चुना गया ? यदि हां, तो शासन ने अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री वासुदेव सिंह—

साधन सहकारी समिति लि0, पहुतेरा जनपद हरदोई के संचालक मंडल के प्रस्ताव संख्या–6, दिनांक 26 जून, 1979 द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 में स्वीकृत एक ग्रामीण गोदाम का निर्माण समिति के कार्यक्षेत्र के मध्य स्थित ग्राम मतुआ में बनवाने का निर्णय लिया गया परन्तु बाद में उक्त समिति के संचालक मंडल के 5 सदस्यों ने जिलाधिकारी को उक्त प्रस्ताव पारित होने की अनभिज्ञता विषयक प्रतिवेदन दिया । इस सम्बन्ध में समिति के सम्बन्धित पांचों संचालकों को जिला सहायक निबन्धक हरदोई द्वारा इस आशय की नोटिस दी गयी कि वे एक निश्चित तिथि को जांच के सम्बन्ध में उपस्थित हों अन्यथा उनके उपस्थित न होने की दशा में उनके शिकायती–पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा । इसके बावजूद भी कोई संचालक उपस्थित नहीं हुआ । ग्रामीण गोदाम ग्राम सभा मतुआ में निर्माणाधीन है ।

93—श्री रियासत हुसैन—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

94—श्री जियाराम शुक्ल विकल सावेती—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम नानामऊ, कानपुर के श्री देवी प्रसाद मिश्र को सीमेन्ट का परमिट

95—श्री मोती लाल देहलवी –

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 80 में तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के गांव नानामऊ के श्री देवी प्रसाद मिश्र को 27 दिसम्बर, 1980 को परमिट नं0 109565 पर 25 बोरी व एक दिन के बाद अर्थात् 29 दिसम्बर, 1980 को परमिट नं0 109566 पर 40 बोरी सीमेंट परगनाधिकारी बिल्हौर के आदेश पर दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त 65 बोरी सीमेंट का किन परिस्थितियों में एवं सही उपयोग किया गया ? क्या उक्त परमिटों को किसी नायब नाजिर द्वारा रिसीव किया गया था ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के गांव नानामऊ के श्री देवी प्रसाद मिश्र को 27 दिसम्बर, 1980 को 25 बोरी तथा 29 दिसम्बर, 1980 को 40 बोरी सीमेंट के परमिट प्रदान किये गये थे । प्रश्नगत सीमेंट का उपयोग उन्होंने अपने मकान के प्लास्टर एवं मरम्मत, कुयें की मरम्मत, ट्यूबवेल की पक्की नाली, हौज व कोठरी निर्माण आदि के लिये किया । उक्त सीमेंट का सही उपयोग पाया गया ।

प्रश्नगत परमिट किसी नायब नाजिर द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे, वरन् नायब नाजिर द्वारा परमिट प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया गया था ।

नगरपालिका बिल्हौर, कानपुर द्वारा सोफासेट की खरीद

96--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि नगर-पालिकाओं में लग्ज़री (फैशनेबुल) का सामान नहीं खरीदा जायेगा ? यदि हां, तो नगरपालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर में वर्ष 1980-81 सोफासेट क्यों खरीदा गया ? शासनादेश के उल्लंघन करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

शासनादेश संख्या 3201ए/11-7-78-825ए(बी)/77, दिनांक 5 अक्तूबर, 1978 में प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से अन्य बातों के अतिरिक्त समस्त स्थानीय निकायों को यह भी निदेश दिये गये थे कि साज सज्जा पर होने वाले खर्चों को कम किया जाय तथा अनावश्यक वस्तुओं का क्रय रोक दिया जाय। नगरपालिका बिल्हौर द्वारा वर्ष 1980-81 में जिलाधिकारी कानपुर की स्वीकृति से अपने गेस्ट हाउस के लिये एक सोफासेट क्रय किया गया था जो गेस्ट हाउस की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुये उचित था। अतः शासनादेश के उल्लंघन तथा उसके सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका बिल्हौर व मेला मकनपुर, कानपुर के नवनिर्मित पार्क व गेस्ट हाउस में लगाये गये ग्रिल तथा खिड़कियां

97--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1980-81 में नगर पालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर के नवनिर्मित पार्क में लगाये गये लोहे के ग्रिल व मेला मकनपुर, जनपद कानपुर के नवनिर्मित गेस्ट हाउस में लगायी गयी खिड़कियां और दरवाजे कहां से व किस रेट से खरीदे गये और उस पर कितना धन खर्च हुआ ? क्या उक्त सामानों की खरीददारी हेतु कोटेशन आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब और किसके-किसके कोटेशन प्राप्त हुये ? यदि नहीं, तो इस नियम विरुद्ध स्वेच्छाचारिता पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका बिल्हौर द्वारा वर्ष 1980-81 में नवनिर्मित पार्क में लगाये गये लोहे के ग्रिल मे0 डिलाइट आयरन वर्क्स कौशलपुरी, कानपुर से 7.80 रुपया प्रति किलो के रेट से क्रय किया गया। जिस पर कुल 15,074.72 रु0 व्यय हुआ। मेला मकनपुर के नवनिर्मित गेस्ट हाउस में लगाये गये दरवाजे व खिड़कियों में डिलाइट आयरन वर्क्स कौशलपुरी, कानपुर से, क्रमशः 7.90 रुपया तथा 7.80 रुपया प्रति किलो के रेट से क्रय किये गये जिस पर कुल 10,763.98 रुपया व्यय किया गया।

जी हां। पार्क के ग्रिल के सम्बन्ध में कोटेशन दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हुये थे एवं दरवाजे व खिड़कियों के कोटेशन दिनांक 8 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुये थे। कोटेशन देने वाली फर्मों के विवरण संलग्न हैं। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'छ' अगले पृष्ठ 655 पर।)

महापालिका लखनऊ द्वारा रिक्शा चालकों हेतु छाया दार स्टैन्ड व शौचालय

98--श्री राम लाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका लखनऊ द्वारा रिक्शा चालकों के लिए नगर के सार्वजनिक स्थानों पर छायादार स्टैंड, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था तथा नागरिकों की सुविधा के हेतु रिक्शा किराये के रेट बोर्ड आदि की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

रिक्शा चालकों के लिए अलग से शौचालयों एवं पेयजल की व्यवस्था करना संभव नहीं है । वे सार्वजनिक शौचालयों एवं पेयजल की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं रिक्शा चालकों के लिये छायादार स्टैंट बनाना भूमि की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है । नागरिकों की सुविधा के लिये मुख्य-मुख्य स्थलों पर रेट बोर्ड की व्यवस्था की गई है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम शेखापुर की भूमि का अधिग्रहण व मुआवजा

99--श्री राम लाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम शेखापुर में भूखंड संख्या 356 खतौनी नं0 92 का जो अधिग्रहण किया गया था उसमें किन-किन नागरिकों की जमीन सम्मिलित है और क्या इसका मुआवजा समस्त नागरिकों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ऐसे नागरिक हैं, जिनको भूमि का मुआवजा अभी तक दिया नहीं जा सका तथा प्रसंगगत मुआवजा उन्हें कब तक दे दिया जायेगा ? अधिगृहीत भूमि में कोई कुआं भी था तथा जिसको अधिग्रहण विकास प्राधिकरण ने कर लिया है ? यदि हां, तो इसका मुआवजा किस दर से सम्बन्धित नागरिक को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1962 में श्री गनेशी आदि से किया गया था जिसमें सर्वश्री रमाशंकर मिश्र, सिधेश्वर तिवारी, राम प्यारे दूबे, छोटे लाल श्रीवास्तव, रमेश चन्द्र तथा श्रीमती विमला पाल, श्रीमती बसन्ती सिंह, श्रीमती शान्ति बोरकर की भूमि सम्मिलित थी ।

श्री रमेश चन्द्र को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों ने अपना-अपना प्रतिकर प्राप्त कर लिया है ।

श्री रमेश चन्द्र को भूमि के बदले में भूमि देने का मामला चल रहा है । अधिग्रहीत भूमि पर एक कुआं है जिसकी प्रस्तावित प्रतिकर 437 रु0 है । इसके भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

उ0 प्र0 सहकारी यूनियन के सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों की चिकित्सा, नगर प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ता

100—श्री रामलाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी यूनियन के सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को चिकित्सा भत्ता तथा नगर प्रतिकर एवं मकान किराया भत्ता क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है जबकि महिला शिक्षा प्रशिक्षिका को नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है ? तथा ट्रेनिंग सेन्टर में कार्यरत सह0 शि0 प्र0 को भी चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जा रहा है ? क्या सरकार शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

गत वर्षों में धनाभाव के कारण सहकारी शिक्षा योजना के अन्तर्गत 232 सचल इकाइयों पर नियुक्त सहकारी शिक्षा प्रशि0 को मकान किराया भत्ता, नगर प्रति0 कर भत्ता एवं चिकित्सा भत्तों का भुगतान नहीं किया जा सका है। महिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को जिनकी सं0 केवल 3 है, मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है और प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।

उक्त सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता चालू सहकारी वर्ष 1981-82 के प्रारम्भ से भुगतान करने विषयक मामला उ0 प्र0 सहकारी यूनियन के विचाराधीन है।

उ0 प्र0 सहकारी यूनियन, लखनऊ के छटनी शुदा शिक्षा प्रशिक्षकों के अवशेष का भुगतान

101—श्री राम लाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अगस्त, 1975 को छटनी किये गये उ0 प्र0 सहकारी यू0 लखनऊ के सहकारी शिक्षा प्रशि0 के परिवर्तित वेतन मानों (160-320 से 280-450) के अवशेष का भुगतान कर्मचारियों को अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? शासन इन कर्मचारियों को कब तक भुगतान करा देगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

माह अगस्त 1975 में छटनी किये गये सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति वेतनमान 160-320 में इस प्रत्याशा में की गई थी कि अधिक सचल इकाइयों के लिये शासन से अनुदान प्राप्त हो जायगा परन्तु शासन द्वारा केवल पुरानी 57 सचल इकाइयों की ही स्वीकृति एवं अनुदान प्राप्त हुआ। परिणामतः 57 प्रशिक्षकों से अधिक 10 कनिष्ठतम सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गईं।

छटनी कृत प्रशिक्षकों की नियुक्ति के समय पी0 सी0 यू0 में प्रशिक्षकों का निर्धारित वेतनमान 160-320 था जो बाद में मु0 280-450 के वेतनमान में दिनांक 25-3-75 को, संशोधनोपरान्त परिवर्तित करके दिनांक 1-8-72 से प्रभावी किया गया।

चूंकि वित्तीय वर्ष 1974-75 के शासकीय बजट में उक्त 57 सचल इकाइयों से अधिक प्रशिक्षकों के लिये अनुदान की राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी, अस्तु धनाभाव के कारण उक्त छटनी कृत प्रशिक्षकों को 200-450 का वेतनमान पी० सी० यू० के लिये दिया जाना सम्भव नहीं है ।

कानपुर, नवाबगंज क्षेत्र में श्री राजनारायण के नाम दुकान का आवंटन

102--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि क्षेत्र नवाबगंज, नगर कानपुर के अन्तर्गत दुकान नं० 48 को श्री राजनारायण के नाम कर जब उन्हें जून, 1980 में नियुक्ति पत्र दिया गया तब शर्तों के अनुसार उनके बैंक एकाउन्ट में अनिवार्य धन नहीं जमा था ? यदि हां, तो इसे अन्य दुकानदारों की तुलना में अपवाद बना कर दुकान एलाट करने का क्या कारण था ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत दुकान श्री राजनारायण को माह अप्रैल 1980 में आवंटित की गई थी । आवंटन पर विचार करने के पूर्व श्री राजनारायण के प्रार्थना पत्र की वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा की गई जांच के अनुसार दुकान चलाने हेतु इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ पाई गई थी । दुकान के आवंटन हेतु बैंक एकाउन्ट होना अथवा उसमें कोई निश्चित धनराशि जमा होने की कोई शर्त नहीं है अतः अन्य दुकानदारों की तुलना में अपवाद बनाकर दुकान एलाट कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा सहकारी बैंक शाखाओं द्वारा स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को दिए गए ऋण का असमायोजन

103--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा सहकारी बैंक की शाखाओं से स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय कार्यक्रम में कृषकों को ऋण 50 प्रतिशत अनुदान पर सन् 1979-80 में दिया गया ? यदि हां, तो समायोजन न किये जाने का क्या कारण है ? जिससे ऋणी व्यक्तियों से सम्पूर्ण धनराशि की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। जनपद अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखाओं द्वारा स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में कृषकों को 9·27 लाख रुपये ऋण 50% (प्रतिशत) अनुदान पर वितरित किया गया। इसमें से 3·12 लाख रुपये ऋण पर अनुदान का समायोजन किया गया। शेष ऋण पर अनुदान स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक स्वीकृत न होने के कारण समायोजित न किया जा सका। अतः बैंक शेष ऋण की सम्पूर्ण वसूली कर रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोहरीघाट, आजमगढ़ का उच्चीकरण

104--श्री राज कुमार राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरीघाट ब्लाक के रसूलपुर सरकारी डिस्पेंसरी के उच्चीकरण के लिए 15 जून, 1980

से 28 फरवरी, 1981 तक प्रश्नकर्त्ता द्वारा उन्हें भेजे गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई और उनकी मांग को मानने में शासन को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री लोक पति--

माननीय सदस्य के पत्र शासन को प्राप्त हुए थे किन्तु ऐसी कोई योजना न होने के कारण राजकीय डिस्पेन्सरी, रसूलपुर, जिला आजमगढ़ के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाधीन नहीं है किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोहरीघाट को भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

105--श्री प्रभु नारायण सिंह--

[पहले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

106--श्री प्रभु नारायण सिंह--

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फैजाबाद में प्राप्त डीजल, सीमेन्ट व विभिन्न तहसीलों को उसका आवंटन

107--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में जनपद फैजाबाद में कितना डीजल व सीमेन्ट प्राप्त हुआ और उक्त वर्ष में कितना डीजल व कितना सीमेन्ट जनपद की विभिन्न तहसीलों को आवंटित किया गया तथा आवंटन का आधार क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 656 पर।)

गोरखपुर के कौआदह मुहल्ले में अत्याधुनिक व्यावसायिक केन्द्र की योजना

108--श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर के कौआदह मुहल्ले में अत्याधुनिक व्यावसायिक केन्द्र बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां, कार्य में विलम्ब का मुख्य कारण आवश्यकतानुसार सीमेन्ट का उपलब्ध न होना है। बरसात के कारण भी निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित है।

जनपद गोरखपुर में अवैध रूप से सीमेन्ट रखने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें

109--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में माह जुलाई, 1980 से माह फरवरी, 1981 तक कितने सीमेन्ट के लाइसेंसी व अन्य दुकानदारों को गलत ढंग से सीमेन्ट रखने के कारण उनके विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किए गए ? ऐसे लोगों की सूची क्या है तथा कितनी मात्रा में अवैध सीमेंट पकड़ी गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद गोरखपुर में प्रश्नगत अवधि में अवैध रूप से सीमेंट रखने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत 11 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किए गए जिनकी सूची निम्नवत् है :

क्र0 सं0	पकड़े गए व्यक्तियों का नाम व पता
1	श्री गोविन्द लाल, पिपराइच, गोरखपुर।
2	श्री राम चरन, कोतवाली, फैजाबाद।
3	श्री राम लाल, अहिरौली, जिला गोरखपुर।
4	श्री परम हंस, अहिरौली, जिला गोरखपुर।
5	श्री गौरी, कोठा, गोरखपुर।
6	श्री राज देव, अतावा, गोरखपुर।
7	श्री राम सुभग, हाटाबुजुर्ग, गोरखपुर।
8	श्री राजेन्द्र जैसवाल, महादेवा, जिला गोरखपुर।
9	श्री कुन्दन लाल, जैसवाल, महाराजगंज, गोरखपुर।
10	श्री अशर्फी गुप्ता, वंडरा बुजुर्ग, गोरखपुर।
11	श्री ज्वाला प्रसाद, धानी बाजार, गोरखपुर।

1693 बोरी अवैध सीमेंट पकड़ी गई।

गोरखपुर शहर में बने अवैध मकान

110--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के शहरी मुहल्ले में अवैध रूप से बने मकानों के विषय में माह जुलाई, 1980 से नवम्बर, 1980 में प्रश्नकर्ता के कितने शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुये हैं ? क्या इसमें मुख्य सचिव को सम्बोधित दिनांक 12 अगस्त, 1980 का पत्र भी है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति, उप सचिव श्री तेज बहादुर उपाध्याय ने अपने अर्द्ध शा0 पत्रांक

86 एम/11-5-80-32 (14)-80, नगरपालिका अनुभाग-5, लखनऊ, दिनांक 8 सितम्बर, 1980 द्वारा दिया है ? यदि हां, तो क्या नक्शा नं0 226 जी0 डी0 ए0 के विरुद्ध शासन को कौन-कौन से तथ्य प्राप्त हुए हैं और दोषी अधिकारियों एवं अवैध मकान को गिराने हेतु कौन सी कारगर कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। प्रश्नगत अवधि में शासन को 2 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें मुख्य सचिव को सम्बोधित दिनांक 12-8-80 का पत्र भी शामिल है।

विकास प्राधिकरण की आज्ञा से ज्ञात हुआ है कि मुहल्ला रसूलपुर, थाना कैन्ट, गोरखपुर निवासी श्री राम छबीले के नक्शे का नम्बर 227 है न कि 226/जो0 डी0 ए0 पर्याप्त सूचना के अभाव में प्रस्तावित निर्माण को ग्रामीण क्षेत्र में समझकर तत्कालीन सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था, किन्तु गलती का पता लगते ही उक्त स्वीकृति को रोक दिया गया तथा मौके पर निर्माण स्थगित करवा दिया गया। श्री राम छबीले के विरुद्ध नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप अब श्री राम छबीले ने अपने द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।

श्री अब्दुल हमीद खां संचालक क्रय विक्रय समिति पुखरायां, जिला का पुर द्वारा उक्त समिति में भ्रष्टाचार की शिकायत

111--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रय-विक्रय समिति पुखरायां, जिला कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 10-12-80, 10-1-81 और 2-2-81 को श्री अब्दुल हमीद खां, संचालक क्रय-विक्रय समिति, पुखरांया, जिला कानपुर ने शिकायतें दी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। सरकार द्वारा इनकी जांच करायी गई। जांच में आरोप निराधार पाये गए।

लखनऊ नगर में राशन कार्डों तथा जिलापूर्ति कार्यालय में उनके जांच पत्रों की संख्या

112--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में कुल कितने राशन कार्ड बने हुए हैं और जिलापूर्ति कार्यालय, लखनऊ के रिकार्ड में उन राशन कार्डों से सम्बन्धित कुल कितने जांच पत्र मौजूद हैं।

श्री वासुदेव सिंह--

लखनऊ नगर में दिनांक 1 जून, 1981 को कुल दो लाख छप्पन हजार सात सौ चौबीस राशन कार्ड बने हुए थे और जिला पूर्ति कार्यालय के रिकार्ड में उनसे सम्बन्धित कुल एक लाख चौबीस हजार छिहत्तर जांच पत्र उक्त तिथि तक मौजूद थे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुफ्तीगंज, जौनपुर का किराये के मकान में चलना

113--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुफ्तीगंज का अपना कोई भवन नहीं है और वह किराये के मकान में चलता है ? क्या यह भी सत्य है कि समीपवर्ती ग्राम रामपुर के लोगों ने उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि भी प्रदान कर दी है ? क्या क्षेत्रीय जनता को सुविधा हेतु उक्त स्थल पर सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करायेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुफ्तीगंज किराये के मकान में चल रहा है ।

साधन उपलब्ध होने पर ही इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराया जा सकेगा ।

शालीमार गार्डेन कालोनी के निवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का आवास सचिव को संस्तुति पत्र

114--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मार्च, 1980 में शालीमार गार्डेन कालोनी के निवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु आवास सचिव को कोई संस्तुति पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद के भवन के नवनिर्माण की मांग

115--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद के भवन की दशा अत्याधिक जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भवन के नव निर्माण पर विचार कर रही है ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

साधन उपलब्ध होने पर भवन का नव निर्माण किया जा सकेगा ।

षोडश मंडल, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी द्वारा नलकूपों का निर्माण व व्यय

116—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि षोडश मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, वाराणसी के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 व 80 के दौरान कितने नलकूपों का निर्माण कराया गया है और निम्न मदों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

1—लुब्रीकेंट्स, 2—एसेम्बली पाइप, 3—पी0 ग्रेविल, 4—मजदूरी, 5—रिग मशीनों के मरम्मत ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

षोडश मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 एवं 80 में 186 नलकूपों का निर्माण कराया गया, जिन पर कुल रु0 142.10 लाख व्यय हुआ। विभागीय लेखा प्रणाली के अनुसार प्रश्नगत मदों का व्यय विभाजित करके नहीं रखा जाता।

द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, आजमगढ़ की रिग मशीन का मूल्य व उसकी मरम्मत में व्यय

117—श्री नन्द किशोर सिंह—

द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, आजमगढ़ में वर्ष 1979 व 80 के दौरान कार्यरत ड्रिल मेक रिग मशीन का लागत मूल्य क्या है व उस पर उपरोक्त दो सालों में मशीन मरम्मत के मद पर क्या व्यय किया गया है तथा उस मशीन से वर्ष 79 व 80 के दौरान कुल कितने नलकूपों का निर्माण कराया गया है और उस पर अब पुनः मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत रिग मशीन का मूल्य लगभग 3·00 लाख रुपये है। जुलाई, 1979 से 25 दिसम्बर, 1980 तक आजमगढ़ शाखा के उपयोग के दौरान इस मशीन को दो बार मरम्मत हुई जिस पर 29,000 रु0 व्यय हुआ और इस दौरान 7 नलकूपों का निर्माण हुआ। अब यह मशीन गोरखपुर शाखा को हस्तानान्तरित है और इस मशीन की मरम्मत पर रु0 53,000 का व्यय प्रस्तावित है।

महिला चिकित्सालय, आगरा की एम्बुलेन्स का खराब होना तथा उसे ठीक कराने की मांग

118—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय, आगरा की एम्बुलेंस गाड़ी नं0 यू0 टी0 डी0 7136 लगभग एक वर्ष से खराब पड़ी है ? यदि हाँ, तो महिला मरीजों के कल्याण हेतु इस गाड़ी को पुनः ठीक करा कर सरकार कब तक चालू करवायेगी ?

श्री लोक पति—

जी हाँ। गाड़ी की मरम्मत कराई जा रही है।

प्रयास है कि शीघ्र महिला मरीजों के कल्याण हेतु यह उपलब्ध हो जाय ।

119--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया] ।

प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, हसापन, जिला अलीगढ़ चिकित्साधिकारी द्वारा छुरी तथा चोट का झूठा प्रमाण-पत्र

120--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, हसापन, जिला अलीगढ़ के चिकित्साधिकारी ने हसापन थाने की पुलिस को छुरी तथा चोट लगने का झूठा सर्टिफिकेट दिसम्बर, 1980 के दूसरे सप्ताह में दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त फर्जी सर्टिफिकेट की फोटो स्टेट कापियां सचिव, स्वास्थ्य विभाग को जनवरी, 1981 में प्रार्थना-पत्र के साथ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हां । सम्बन्धित डाक्टर की सेवायें उत्तर प्रदेश अस्थायी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत एक माह का वेतन देकर दिनांक 3-9-81 की नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से समाप्त कर दी गयी हैं ।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सिघौरा, वाराणसी की अधूरी इमारत

121--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सिघौरा, जिला वाराणसी की अधूरी इमारत के लिए सन् 79 में 25 हजार रु० एवं 80 में 15 हजार रुपया दिया गया ? यदि हां, तो वह रुपया कहां है और अधूरी इमारत को बनाने का कार्य अब तक शुरू न होने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1979 में दी गई रु० 25,000 की धनराशि सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण, वाराणसी को 25-4-1981 को हस्तान्तरित हुआ है और वर्ष 1980 में दिये गये रु० 15,000 की धनराशि का चेक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी को 16-8-1981 को प्राप्त हुआ है जिसे वे आहरण कर सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण, वाराणसी को शीघ्र हस्तगत करा देंगे । अतएव उक्त स्थिति में अधूरे भवन का निर्माण पूर्ण कराना सम्भव नहीं हो सका । अब इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

जिला अस्पताल, उत्तर काशी में डाक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मृत्यु के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

122--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, उत्तर काशी में 10-5-80 को डाक्टर की लापरवाही से ग्लूकोज न चढ़ाने से एक बच्चे की मृत्यु हो गयी थी ? और इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र 20-5-80 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी को गोविन्द सिंह नेगी, सूचना विभाग, उत्तर काशी ने दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति---

दिनांक 10-5-80 को जिला अस्पताल, उत्तर काशी में एक वर्षीय राजू नामक बालक की मृत्यु डायरिया तथा डिहाइड्रेशन से गम्भीर रूप से पीड़ित होने के कारण हुई । उसे ग्लूकोज स्लाइन इन्जेक्शन लगाया गया था । बच्चे की मृत्यु के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र श्री गोविन्द सिंह नेगी, सूचना विभाग से प्राप्त हुआ था जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ अधीक्षक से जांच कराई गई और जांच के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त बच्चा भर्ती के समय बहुत गम्भीर हालत में था और उचित इलाज के बाद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका । इसमें किसी डाक्टर की लापरवाही नहीं पायी गई ।

123--श्री बलबीर सिंह---

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया की कमेटी के मन्त्री व सदस्य

124---श्री भीखा लाल---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया की कमेटी के मन्त्री श्री विजय नाथ त्रिपाठी हैं और उनके पुत्र श्री विनोद कुमार त्रिपाठी व दामाद श्री कौशल किशोर मिश्र सदस्य हैं ? तथा उनके लड़के श्री विनोद कुमार त्रिपाठी सेवाश्रम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति---

जी हां ।

यह पदाधिकारी समिति के नियमानुसार कार्यरत हैं ।

बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया के कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड, का हिसाब किताब व पासबुकें तथा आश्रम की जीपों व ड्राइवरों पर खर्चे हेतु अनुदान

125---श्री भीखा लाल---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास कुष्ठ आश्रम, देवरिया में कार्यरत कर्मचारियों के प्राविडेंट फन्ड का न तो कोई हिसाब-किताब रखा जाता है और न उनको कोई पास बुक अथवा रसीद दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति---

बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया के जिन कर्मचारियों के वेतन से प्राविडेन्ट फन्ड की कटौती की जाती है उसका सुचारु रूप से हिसाब रखा जाता है और सम्बन्धित कर्मचारियों को सदैव उससे अवगत रखा जाता है । यह धनराशि बैंक में सामूहिक रूप से जमा कर दी जाती है जिसके लिये बैंक से प्राप्त पास बुक एवं रसीद कार्यालय में रखी जाती है ।

126--श्री भोखा लाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि बाबा राघव दास आश्रम, देवरिया में केवल एक जीप है लेकिन तीन जीपों का खर्चा व तीन ड्राइवरों का वेतन फर्जी दिखाकर अनुदान प्राप्त किया जाता है ?

श्री लोकपति--

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम में केवल दो जीपें तथा दो चालक हैं और इनके लिये ही संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त किया जाता है ।

डाक्टर एन० डी० गोरा, सेवानिवृत्त मेडिकल आफिसर बागपत डिस्पेन्सरी मेरठ की पेन्शन

127--श्री भोखा लाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर एन० डी० गोरा मेडिकल अफिसर, बागपत डिस्पेन्सरी, जिला मेरठ 12-1-71 को सेवा निवृत्त हो, गये थे ? क्या यह सही है कि उनकी पेंशन का मामला अभी तक तय नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और उनके पेंशन के कागजात कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री लोकपति--

डाक्टर एन० डी० गोरा, मेडिकल अफिसर, बागपत डिस्पेन्सरी, जिला मेरठ 17 जनवरी, 1971 को सेवा निवृत्त हुए थे । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अन्तर्गत की गई सेवाओं के आधार पर डाक्टर गोरा को पेन्शन मिल रही है ।

अशोकपुरी सहकारी कृषि एवं औद्योगिक समिति, अछल्दा, इटावा, के सदस्य, तथा समिति के पास कृषि योग्य तथा बेकार भूमि

128--श्री भोखा लाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोकपुरी सहकारी कृषि एवं औद्योगिक समिति, अछल्दा, जिला इटावा में कितने सदस्य हैं और उसके पास कितनी कृषि भूमि है और उसमें कितनी भूमि पर कृषि होती है और कितनी बेकार पड़ी है तथा जमीन बेकार पड़े रहने का क्या कारण है ? क्या समिति द्वारा कोई उद्योग भी चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योग हैं ?

श्री बासुदेव सिंह--

अशोकपुरी सहकारी कृषि एवं औद्योगिक समिति, अछल्दा जनपद इटावा में कुल 63 सदस्य हैं समिति के पास कुल 503 एकड़ भूमि है, जिसमें से 313 एकड़ भूमि पर कृषि होती है और 190 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है । भूमि बेकार पड़े रहने का कारण भूमि का ऊसर होना तथा उसमें गांडर घास का उगना आदि हैं । समिति द्वारा कोई उद्योग नहीं चलाया जाता है ।

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी को सड़कों व नालियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत अनुदान

129--श्री भीखा लाल--

क्या नगर विकास मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, भदोही जिला वाराणसी को वित्तीय वर्ष 1980-81 में सड़कों व नालियो की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपया का अनुदान दिया गया था, लेकिन उक्त धन नगरपालिका की सड़कों व नालियों की मरम्मत करने के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी को वित्तीय वर्ष 1980-81 में पांच लाख रुपये का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था और उक्त धनराशि नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र की सड़कों तथा नालियों के निर्माण पर व्यय किया जा रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों व नालियों पर इस धनराशि को व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी की मृतक कर्मचारी (श्रीमती मुनिया) के वारिसों को जीवन बीमा निगम द्वारा देय धन

130--श्री भीखा लाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी की सफाई कर्मचारी (श्रीमती मुनिया) की अकस्मात मृत्यु हो जाने के बाद जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला धन उसके परिवार के लोगों को मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रश्नगत मृतक सफाई कर्मचारी के सामूहिक जीवन बीमा की देय धनराशि का भुगतान करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भेजा गया बैंक ड्राफ्ट पालिका के बैंक खाते में दिनांक 4-9-81 को जमा कर दिया गया है । पालिका बैंक खाते उक्त धनराशि के ट्रान्सफर होते ही मृतक कर्मचारी के वारिसों को चेक द्वारा भुगतान कर दिया जायगा ।

वाराणसी, नगरपालिका भदोही में गाड़ियों के अभाव के कारण सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़ा तथा मैला सर पर ढोने की शिकायत

131--भीखा ला--

क्या नगर विकास मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी में कूड़ा तथा मैला ढोने के लिए गाड़ियां नहीं हैं और सफाई कर्मचारियों को कूड़ा तथा मैला सर पर ढोना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जलनिगम मुख्यालय में आशुलिपिकों की वरिष्ठता सम्बन्धी सूची

132—श्री रियासत हुसैन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे की क्या अब जल निगम मुख्यालय द्वारा दिनांक 15-10-1980 को निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची को अनन्तिम रूप देकर फाइनल लिस्ट निर्गत किये बिना दिनांक 19-2-1981 को स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश निर्गत कर वरिष्ठता सूची 8-11-1977 के क्रमांक 15 के आशुलिपिक के ऊपर चार कनिष्ठ आशुलिपिकों की वरिष्ठता को खंडित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दिनांक 15-10-1980 को जो अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गई थी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि 15-11-1980 को प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय लिये जाने से पूर्व, एक आशुलिपिक द्वारा वरिष्ठता निर्धारण हेतु लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका दायर किये जाने के कारण, अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने की कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

दिनांक 19 फरवरी 1981 को निर्गत स्थायीकरण सम्बन्धी आदेशों में सभी को दिनांक 16-9-1980 से स्थायी किया गया है, उसमें किसी की वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है ।

दिनांक 8-11-1977 को निर्गत वरिष्ठता सूची पहले ही निरस्त हो चुकी थी ।

शाहजहांपुर शहर वर्ग मुहम्मद जलालनगर हाउसिंग स्कीम में एक्वायर की गई जमीन के मालिक तथा मुआविजे

133—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर शहर वर्ग मुहम्मद जलाल नगर हाउसिंग स्कीम में 22-6-1968 के नोटिफिकेशन के आधार पर जिन लोगों की जमीनें एक्वायर की गयी थीं उनके नाम व पते क्या हैं ? तथा उन लोगों को जिला जज, शाहजहांपुर के एवार्ड दिनांक 29-4-1980 के आधार पर अभी तक मुआवजा न दिए जाने के उत्तरदायी कौन हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कर्मचारी संघ द्वारा प्रशासक व अध्यक्ष, जल संस्थान को प्रेषित शिकायती-पत्र

134—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण, जो मार्च, 1981 में किये गये थे,

के सम्बन्ध में वहां के कर्मचारी संघ ने प्रश्नकर्ता के पत्र के संस्तुति के साथ दिनांक 23 अप्रैल, 1981 को प्रशासक व अध्यक्ष, जल संस्थान, लखनऊ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

कर्मचारी संघ का शिकायती-पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1981 प्राप्त हुआ था । पर इस पर प्रश्नकर्ता को कोई संस्तुति अंकित नहीं थी ।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई थी तथा जांचोपरांत आरोप निराधार पाये गये ।

ब्लाक टाण्डा, फैजाबाद में सीमेन्ट के लाइसेन्सदार तथा उन्हें आवंटित सीमेन्ट

135--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक टाण्डा, फैजाबाद में सीमेंट के कितने लाइसेन्सदार हैं ? तथा सन् 1979-80-81 में कितनी बोरी सीमेंट एलाट की गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

फैजाबाद जनपद के ब्लाक टाण्डा में सीमेंट का एक लाइसेंसी है । इन्हें वर्ष 1979-80 में 2,136 बोरी तथा वर्ष 1980-81 में 4580 बोरी सीमेंट आवंटित की गई ।

ग्राम सभा इटई, रामपुर एवं पिपरा इगडेंगा, जिला गोण्डा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की मांग

136--श्री मसरूर जाफरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम सभा इटई, रामपुर एवं पिपरा इगडेंगा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो रही है और कब तक इन दोनों ग्राम सभाओं में आयुर्वेदिक का चिकित्सालय खुलेगा ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1981-82 में प्रदेश में कुल 40 नए राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के खोले जाने की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है । इनमें से 38 चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे । जिन स्थानों पर यह चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे उसके बारे में नियमानुसार शीघ्र ही निर्णय लिया जाने वाला है ।

साधन सहकारी समिति टिकरी, ब्लाक मऊआइमा, जिला इलाहाबाद के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा उस पर कार्यवाही

137--श्री राजेश्याम पटेल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति टिकरी, त0 अब्दालपुर, विकास खंड मऊआइमा, जनपद इलाहाबाद द्वारा साधन सहकारी संघ, जमखुरी, विकास खंड मऊ आइमा, इलाहाबाद के सचिव तथ

सहकारी परिवेक्षक श्री टी० पी० सिंह के खिलाफ रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांकित 10-9-80 निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बासुदेव सिंह--

साधन सहकारी समिति, टिकरी तालुके अब्दालपुर के तत्कालीन सभापति श्री बाबू लाल ने साधन सहकारी समिति, टिकरी तालुके अब्दालपुर के सचिव के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान शाखा सहकारी समिति, उ० प्र० को शिकायती-पत्र दिनांक 7-9-80 भेजा था जिसकी प्रतियां अन्य अधिकारियों के साथ-साथ निबन्धक, सहकारी समिति, उ० प्र० को भी पृष्ठांकित की गई थी। सहकारी संघ, जमखुरी के सम्बन्ध में शिकायत नहीं थी।

उक्त शिकायती-पत्र की जांच कराई गई एवं साधन सहकारी समिति, टिकरी तालुके अब्दालपुर के सचिव श्री हृदय नारायण तिवारी द्वारा अपहरण करना पाया गया। सचिव निलम्बित हैं एवं उसके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी 22-6-81 को दर्ज कराई जा चुकी है।

138--श्री राधेश्याम पटेल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गजपुर, भौवापार व पिपरौली बाजार, जिला गोरखपुर में टाउन एरिया सृजन की मांग

139--श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गजपुर, भौवापार व पिपरौली बाजार, जिला गोरखपुर में टाउन एरिया सृजन विषयक पत्र दिनांक 26 जून, 1980 को प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री को सम्बोधित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां।

गजपुर की आबादी तथा आय टाउन एरिया सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है तथा कस्बे के दोनों ओर राप्ती नदी बहती है, आवागमन के साधन भी कम हैं। अतएव यहां टाउन एरिया सृजन का प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया। भौवापार व पिपरौली में भी आय व आबादी कम होने के कारण टाउन एरिया सृजन का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

140--श्रीमती गौरी देवी--

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में अलग होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना

141--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य स्तर पर होम्योपैथिक का अलग निदेशालय स्थापित होगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति--

प्रदेश में पृथक होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना हो चुकी है और निदेशक होम्योपैथिक की नियुक्ति की जा चुकी है ।

142--श्री मो0 अबरार अहमद--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बदायूं में सहकारी समितियों द्वारा संचालित आवश्यक वस्तुओं की अनियमित दुकानों का निलम्बन व निरस्तीकरण

143--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में वर्ष 1980-81 में सहकारिता विभाग के पास आवश्यक वस्तुओं की कितनी दुकानें थीं ? और उनमें से कितनी दुकानें अनियमित रूप से कार्य करने के कारण निलम्बित या निरस्त की गयीं ? क्या निलम्बित या निरस्त की गई दुकानों पर जो कर्मचारी दोषी पाए गये थे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

जनपद बदायूं में वर्ष 1980-81 में सहकारी समितियों द्वारा संचालित कुल 234 दुकान आवश्यक वस्तुओं की थीं । 23 दुकानें अनियमित रूप से कार्य करने के कारण निलम्बित या निरस्त की गयीं ।

दोषी पाये गये 27 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अथवा पुलिस कार्यवाही की गई ।

प्रयोगशाला, महिला अस्पताल के प्राविधिक श्री श्रीकृष्ण द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत पर कार्यवाही

144--श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रयोगशाला प्राविधिक महिला अस्पताल, लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1981 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री लोक पति--

जी हां ।

शिकायत थी कि श्री श्रीकृष्ण प्रयोगशाला प्राविधिक का महिला अस्पताल, लखनऊ में महिलाओं के साथ आचरण अच्छा नहीं रहा । श्री श्रीकृष्ण को पुनः महिला अस्पताल में तैनात नहीं करना चाहिए ।

श्री श्रीकृष्ण का स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया । श्रीकृष्ण ने रक्तकोष मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

लखनऊ नगर में लाइसेन्सदार रिक्शा चालक, उनसे नगर महापालिका को आय तथा उन्हें प्रदत्त सुविधायें

145--श्री राम लाल वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में वर्ष 1980-81 में कितने लाइसेन्सदार रिक्शा चालक हैं तथा उनसे नगरमहापालिका, लखनऊ को कितने रुपये वार्षिक की आय होती है। नगरपालिका द्वारा रिक्शा चालकों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री श्री कृष्ण गोयल--

वित्तीय वर्ष 1980-81 में लखनऊ नगर में रिक्शा चालकों की कुल संख्या 38,005 है और उनसे कुल रु0 1,14,015 वार्षिक आय हुई ।

लाइसेन्स शुल्क नगर में चलने वाले रिक्शों को वस्तुतः नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है । नियमों में रिक्शा चालकों को सुविधा दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है । फिर भी नियमान्तर्गत महापालिका द्वारा इन रिक्शा चालकों का लाइसेन्स लेने के पूर्व शारीरिक परीक्षण निःशुल्क कराया जाता है ।

विकास खंड, फैजाबाद तक जल निगम की सप्लाई लाइन बढ़ाने की मांग

146--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, टांडा-फैजाबाद तक जल निगम की सप्लाई लाइन बढ़ाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 26-3-1981 को एक पत्र द्वारा मांग की गई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां, वर्तमान सप्लाई लाइन से विकास खंड टांडा की दूरी 1 कि0 मी0 है । पानी की अपर्याप्त मात्रा तथा कम प्रेशर को देखते हुए वर्तमान पाइप लाइन का विस्तार विकास खंड टांडा तक करना सम्भव नहीं है । टांडा नगर हेतु पुनर्गठन पेयजल योजना का विरचन किया गया है । जिसकी अनुमानित लागत 71.90 लाख रुपये हैं ।

जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के कम वितरण की शिकायत

147--श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल माह में केवल एक लीटर ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

रामपुर जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल वर्तमान में दो लीटर प्रतिमाह प्रति कार्ड के हिसाब से वितरित कराया जा रहा है । प्रश्न के शेष भाग का सवाल नहीं उठता ।

गाजियाबाद जिले में सीमेन्ट न मिलने के कारण निर्माण/विकास कार्यों के बन्द होने की शिकायत

148—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले में सीमेन्ट न मिलने के कारण निर्माण विकास कार्य बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार गाजियाबाद विकास के लिए सीमेन्ट आदि निर्माण सम्बन्धी सामग्री की व्यवस्था तुरन्त कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि गाजियाबाद जिले में सीमेन्ट न मिलने के कारण निर्माण/विकास कार्य बन्द पड़े हैं । प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत सरकार से सीमेन्ट का कोटा न मिलने के कारण अन्य जिलों की भांति गाजियाबाद जनपद को जन-वितरण कोटे में आवश्यकताओं के अनुरूप सीमेन्ट का आवंटन नहीं हो पा रहा है । अन्य विकास कार्यों के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों को भी सीमेन्ट आवंटित किया जाता है ।

149—श्री सुरेन्द्र कुमार—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अधिशासी अभियन्ता द्वितीय (विकास परिषद्) शाखा उत्तर प्रदेश, जल निगम गाजियाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायती-पत्र

150—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अधिशासी अभियन्ता द्वितीय (विकास परिषद्) शाखा उत्तर प्रदेश, जल निगम, गाजियाबाद के भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक धन का दुरुपयोग विषयक पत्र दिनांक 5-2-81 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

जनपद बांदा में बिलगांव को टाउन एरिया घोषित करने सम्बन्धी जानकारी

151—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा स्थित बिलगांव को टाउन एरिया घोषित किए जाने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि हां, तो अब तक इसे टाउन एरिया न घोषित किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

निर्धारित मानदंड के अन्तर्गत न आने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री के० सी० कर्दम, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां जिला बदायूं को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी एवं निलम्बन

152—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जिला बदायूं के श्री के० सी० कर्दम को अक्तूबर, 1976 में उनके कार्यालय में सौ-सौ रुपये का दो नोट रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया गया ? उसके बाद उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि श्री के० सी० कर्दम को चार्ज-शीट 18 अप्रैल, 1980 को दी गई ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

श्री के० सी० कर्दम, दिनांक 1-12-76 को श्री असर्फी लाल कामदार से रुपया दो सौ उत्कोच लेने के आरोप में सतर्कता पुलिस द्वारा ट्रैप में पकड़े गये थे। श्री कर्दम तब से निलम्बित हैं ।

श्री कर्दम के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दिनांक 11 दिसम्बर, 1979 को दी गयी है।

श्री कर्दम को न्यायालय में चार्जशीट देने में इसलिए विलम्ब हुआ कि कतिपय माननीय विधायकों द्वारा इस मामले में कई विशिष्ट तथ्य शासन की जानकारी में लाये गये थे जिनके सम्बन्ध में अग्रेतर जांच कराया जाना आवश्यक हो गया था ।

लखनऊ नगरमहापालिका के मकानों का एक हजार रुपये से अधिक बकायेदारों का विवरण एवं वसूली के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

153—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ के अन्तर्गत कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक हजार से ऊपर मकान का किराया बकाया है ? उनके नाम तथा पते क्या हैं ? क्या सरकार उसकी एक लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? इसकी वसूली के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से भी अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर महापालिका लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ऐसे लोगों की संख्या जिन पर 31-3-81 तक एक हजार से अधिक मकान का किराया बकाया है क्रमशः 9 व 117 हैं । नाम तथा पते की सूची संलग्न है । नगर महापालिका लखनऊ द्वारा ऐसे सभी मामलों में किराया वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर करने की कार्यवाही या तो कर ली गयी है अथवा की जा रही है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि प्रत्येक माह में इन लोगों से दो माह का किराया उनके वेतन से वसूला जाय ताकि सम्पूर्ण वसूली शीघ्र हो सके ।

(देखिए नत्थी 'झ' अगले पृष्ठ 657 पर ।)

विदेशी आर0 बी0 डी0 पाम आयल की अनियमित बिक्री

154—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 27 मा 1980 को 18 बैगन विदेशी आर0 बी0 डी0 पाम आयल को खाद्य विभाग के बिक्री-कर अधिकारी, वाराणसी ने पकड़ा था उसका लाइसेन्स किस कार्य के लिए दिया गया था और क्या यह सत्य है कि जैन फर्म गाजियाबाद की है ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत आर0 बी0 डी0 पाम आयल वाराणसी कैन्ट रेलवे स्टेशन के माल गोदाम से पकड़ा गया था तथा उसके लिए वाराणसी जिले से कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया था । शासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि जैन फर्म गाजियाबाद की है । मेसर्स जैन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसके कार्यालय का पता डी-20, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली बताया गया है ।

पकड़े गए 18 वैगन विदेशी पाम आयल का हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा छोड़ा जाना

155—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 मार्च, 1980 को 18 बैगन विदेशी पाम आयल को माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद ने किस तारीख को छोड़ दिया ? क्या यह सत्य है कि माननीय हाईकोर्ट में शासन की ओर से केस को नहीं देखा गया ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस एडवोकेट को दी गयी थी ?

श्री वासुदेव सिंह—

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्रश्नगत पाम आयल छोड़ा गया था । यह सही नहीं है कि उच्च न्यायालय में शासन की ओर से केस को नहीं देखा गया था । उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी शासन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा की गयी थी ।

पकड़े गए पाम आयल को डालडा के रूप में बेचे जाने की अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच की मांग

156—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पाम आयल को केमिकल्स डालकर डालडा के रूप में बेचा जाता है ? यदि हां, तो इसकी जांच की गयी ? क्या यह सत्य है कि वाराणसी में डालडा रिफाइन्ड करने का कोई कारखाना नहीं है ? यदि हां, तो उक्त 18 वैगन पाम आयल (वाराणसी के पते पर) कहां तथा किन-किन फर्मों को देने की योजना थी ? और क्या इस मामले में पूरी जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराई जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

ऐसी कोई जानकारी शासन को नहीं मिली है ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

चूंकि प्रश्नगत माल रेलवे स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया था, तथाकथित प्रस्तावित योजना की जानकारी ही नहीं हो सकी ।

चूंकि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पकड़ा गया पूरा माल अक्तूबर, 1980 में ही छोड़ दिया गया था अब मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

ग्राम ताड़ी, बरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में एलोपैथिक अस्पताल हेतु भूमि की व्यवस्था

157—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ताड़ी या ग्राम बरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में कितनी भूमि एवं कितने कमरे के मकान की व्यवस्था ग्राम सभाओं द्वारा दान के रूप में एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिए सरकार को चाहिए ? क्या सरकार उक्त भवन का नक्शा देगी या गांव सभा अपने हिसाब से मकान की व्यवस्था कर दे ? क्या सरकार भवन एवं जमीन के बारे में एक रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति—

ग्रामीण क्षेत्रों मे एलोपैथिक अस्पताल हेतु कम से कम आधा एकड़ भूमि तथा अस्पताल में 6 कमरे होने चाहिए । इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चार आवास गृह होने चाहिए ।

2—उक्त रूपरेखा के आधार पर ग्राम सभा ताड़ी या ग्राम बरही नेवादा, जिला वाराणसी द्वारा यदि दान में भवन तथा भूमि मिलती है तो वहां पर एक अस्पताल खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है ।

3—ग्रामीण अस्पताल भवन का मानक नक्शा माननीय विधायक महोदय को पृथक् से उपलब्ध करा दिया जायगा ।

158—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

आयुर्वेदिक चिकित्सा मन्दिर, इमिलिया बुजुर्ग व रामनगर, जिला जालौन को दिया गया अनुदान तथा उसे तथाकथित बोगस होना

159—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1827(8)/5-80-11-540-75, दिनांक 8 दिसम्बर, 1980 के द्वारा स्थान इमिलिया बुजुर्ग

व रामनगर, जिला जालौन को निःशुल्क चिकित्सा मन्दिर को जो आयुर्वेदिक है, वर्ष 1978-79 व 1979-80 का 16 हजार छः सौ रुपया का अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, झांसी मंडल ने निदेशक आयुर्वेद को अपने अ० शा० पत्र संख्या जी-4/76-78-310-2, दिनांक 10-9-78 के द्वारा रिपोर्ट भेजी है कि यह संस्था फर्जी है और महालेखाकार ने अपने पत्र संख्या ओ० ए० डी०-7(11)1-एम-77/77-78-3629, दिनांक 11-1-78 द्वारा कहा है कि यह संस्था बोगस है इसको जो कुछ अनुदान दिया गया उसे रिकवर किया जाय ? यदि हां, तो उसको पुनः अनुदान 16 हजार से ऊपर क्यों दिया गया ?

श्री लोकपति--

जी हां, 16,600 रु० अनुदान दिया गया है ।

क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, झांसी मंडल, का दिनांक 10-9-78 का पत्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान से चिकित्सालय भवन निर्माण कराने के विषय में था ।

आडिट आपत्ति में मुख्य चिकित्साधिकारी, उरई के कार्यालय के निरीक्षण के समय वहां के अभिलेखों के अनुसार स्थिति बताई गई थी तथा मामले की जांच किए जाने की अपेक्षा की गयी थी । महालेखाकार की अपेक्षानुसार मामले में उप निदेशक, आयुर्वेद तथा जिलाधिकारी, उरई द्वारा की गयी जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि संस्था बोगस नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी ब्लाक पिंडरा स्थित सीमेन्ट स्टाकिस्ट दीनानाथ सन्तोष कुमार की दुकान का निलम्बन तथा वैकल्पिक व्यवस्था

160--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडारा, जिला वाराणसी के सीमेंट स्टाकिस्ट दीनानाथ सन्तोष कुमार स्थान पिंडरा की दुकान को सस्पेन्ड किया गया है ? यदि हां, तो अब तक वैकल्पिक व्यवस्था या दूसरा स्टाकिस्ट न बनाने का कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

निलम्बन आदेश के विरुद्ध मेसर्स दीना नाथ संतोष कुमार की अपील मन्डलायुक्त, वाराणसी के समक्ष विचाराधीन है जिस पर निर्णय होने के उपरान्त ही किसी लाइसेन्सी की नियुक्ति का प्रश्न उठेगा । इस बीच प्रश्नगत लाइसेन्सी द्वारा उठाई जाने वाली सीमेंट की उठान इसी ब्लाक के अन्य लाइसेन्सी द्वारा कराई जाती है ।

सहकारी संघ फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी द्वारा सीमेन्ट न उठाया जाना

161--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को भी सीमेंट की एजेन्सी दी गयी थी ? यदि हां,

तो क्या यह सत्य है कि कई महीने से सीमेंट नहीं लाया जा रहा है ? अब तक उक्त लाइसेन्स को निरस्त करके दूसरी व्यवस्था सीमेंट के लिए न करने का कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

द्वितीय त्रैमास (अप्रैल-जून), 1980 में सहकारी संघ, फूलपुर द्वारा ट्रक उपलब्ध न होने व अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण सीमेंट की उठान नहीं की गई जिस आधार पर उनकी प्रतिभूति से 300 रुपये राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किये गये ।

द्वितीय त्रैमास, 1981 में उक्त संस्था को सीमेंट का आवंटन किया गया है । बीच की अवधि में उसी क्षेत्र के अन्य लाइसेंसी को सीमेंट उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया था ।

कानपुर में मदीना टेनरी के पास, दरगाह शरीफ चौराहा रोड, सिद्धनाथ घाट तथा मकदूम नगर मेन रोड पर रोशनी की व्यवस्था

162--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर कानपुर में मदीना टेनरी के पास 150 फिट रोड व दरगाह शरीफ चौराहा, सिद्धनाथ घाट मकदूम नगर मेन रोड, दरगाह शरीफ रोड पर रोशनी की कोई व्यवस्था नगर महापालिका द्वारा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मदीना टेनरी के पास 150 फीट रोड पर पांच ट्यूब लाइटों की व्यवस्था कर दी गई है । दरगाह शरीफ चौराहे पर एक तथा सिद्धनाथ घाट जहां पर पहले से ही प्रकाश व्यवस्था थी, पर तीन मरकरी बल्ब की व्यवस्था कर दी गई है । मकदूम नगर मेन रोड व दरगाह शरीफ रोड पर आठ नये पोल लगाकर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है ।

जनपद गोंडा के सेवा-निवृत्त जिलापूर्ति अधिकारी (श्री वी0 एस0 सिकरवार) द्वारा सीमेन्ट का चादरों की हेराफेरी में मुअत्तली तथा न्यायालय द्वारा बहाली

163--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के सेवा निवृत्त जिला पूर्ति अधिकारी (श्री वी0 एस0 सिकरवार) को वर्ष 1958 में प्रदेश सरकार ने अठारह टन सीमेंट की चादरों की हेरा-फेरी करने तथा नकली फर्म चलाए जाने के आरोप में मुअत्तल किया था ? यदि हां, तो क्या न्यायालय द्वारा श्री सीकरवार को वर्ष 1980 में कोई आरोप सिद्ध न होने पर बरी किया है ? यदि हां, तो अब प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि का भुगतान श्री सीकरवाल को वेतन व अन्य खर्चों के सम्बन्ध में देना पड़ेगा ? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह—

श्री बी० एस० सिकरवार, सेवा निवृत्त जिला पूर्ति अधिकारी, गोंडा को वर्ष 1963 में कानपुर के कतिपय व्यापारियो द्वारा जी० सी० सीट्स की काला-बाजारी करने के कार्य में सहयोग देने के आरोप के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था और उनके विरुद्ध अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोंडा के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। अक्तूबर, 1980 में न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया, किन्तु न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक अनुज्ञा याचिका दायर की गयी है जो एडमीशन के लिये विचाराधीन है। अतएव, श्री सिकरवार को वेतन व अन्य खर्च देने का प्रश्न नहीं उठता और इस सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न भी नहीं उठता।

शाहजहांपुर, तहसील तिलहर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में घटिया ईंटें व मसाला लगाने का आरोप

164—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में जो राजकीय चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसमें अत्यन्त ही घटिया किस्म की ईंट व अत्यन्त कम सीमेंट के मसाले का प्रयोग हो रहा है ? क्या शासन इसकी शीघ्र जांच करायेगा ?

श्री लोकपति—

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण में कहीं भी घटिया किस्म की ईंटों अथवा कम सीमेन्ट के मसाले का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

भेलूपुर वाराणसी विकास योजना में सम्मिलित भूमि के मालिकों का विवरण

165—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भेलूपुर वाराणसी विकास योजना नं० 5 की स्वीकृति कब दी गयी थी और इस योजना में किन-किन किसानों की कितनी भूमि शामिल की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत् योजना को स्वीकृति दिनांक 27-8-51 को दी गई।

जिन व्यक्तियों की भूमि योजना में शामिल की गई थी उसका विवरण† संलग्न है।

भेलूपुर विकास योजना से वाराणसी कालोनाइजर्स की जमीन का छोड़ा जाना

166—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका ने भेलूपुर विकास योजना क्षेत्र नं० 5 से वाराणसी प्लानर्स कालोनाइजर की जमीन को छोड़ दिया है और नक्शा विन्यास (ले आउट) पास कर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ?

†छापा नहीं गया।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां,

प्रश्नगत जमीन निम्नांकित शर्तों के अधीन छोड़ी गयी थी--

1--कालोनी का विकास एक वर्ष के अन्दर पूरा कर दिया जायेगा।

2--कालोनी से होकर 100 फिट चौड़ी रविन्द्रपुरी लंका महायोजना मार्ग बनवाने की जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भेलूपुर विकास योजना की जमीन को श्री गंगा सहाय पान्डेय व श्री लक्ष्मी प्रसाद को पट्टे पर दिया जाना

167--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 30-4-77 के द्वारा आराजी नं0 2544/2 एवं 2546/2, मौजा भदैनी जो विकास योजना नं0 5 भेलूपुर में थी उसे गंगा सहाय पान्डेय को पट्टे पर दिया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां।

168--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव संख्या 9, दिनांक 28-9-78 के द्वारा भेलूपुर विकास योजना नम्बर 5 से आराजी नम्बर 2511/4, मौजा भदैनी को श्री लक्ष्मी प्रसाद को पट्टे पर दिया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्राधिकरण ने प्रभावित भूमि को छोड़ कर शेष भूमि श्री लक्ष्मी प्रसाद को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भेलूपुर विकास योजना से श्री अयोध्या प्रसाद आदि की भूमि को न निकालना

169--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भेलूपुर विकास योजना नं0 5 से आराजी नं0 2545/2 रकबा 73 डि0 मौजा भदैनी, परगना देहात अमानत को मुक्त करने तथा उन्हीं शर्तों पर देने हेतु श्री अयोध्या प्रसाद वगैरह पी0 28/71 डी0 घसियारी टोला दुर्गाकुंज, वाराणसी ने भी 31-1-81 को प्रार्थना-पत्र वाराणसी प्राधिकरण को दिया है उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जिन तीन लोगों को जमीन छोड़ दी गयी है उनकी जमीन से इनका नम्बर तथा आराजी सटी हुई है ? तो न छोड़ने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

श्री अयोध्या प्रसाद वगैरा की समादेश याचिका माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । प्राधिकरण ने अपनी संकल्प संख्या--27, दिनांक 3-11-80 द्वारा उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर निर्णय लिया कि उच्च न्यायलय से मुकदमा निर्णीत होने के पश्चात् इस भू-खन्ड में भवन बनाये जायें । श्री अयोध्या प्रसाद वगैरह की भूमि श्री गंगा सहाय एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद की भूमि के निकट ही है परन्तु वस्तुस्थिति यह है श्री गंगा सहाय पान्डे एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद की भूमि में से 100 फिट चौड़ी रवीन्द्र पुरी लंका मार्ग प्रस्तावित है इसके विपरीत श्री अयोध्या प्रसाद की भूमि में से कोई महायोजना मार्ग प्रस्तावित नहीं है । दूसरा अन्तर यह है कि श्री गंगा सहाय पान्डे की कुल भूमि 1.22 एकड़ थी जिसमें से 0.505 एकड़ अर्थात् 41 प्रतिशत भूमि उन्होंने निःशुल्क सड़क हेतु दे दिया है । श्री लक्ष्मी प्रसाद की कुल भूमि 0.455 एकड़ है जिसमें से .22 डिस्मिल अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत भूमि सड़क के लिए निःशुल्क दे दी गयी है । श्री अयोध्या प्रसाद की जो भी भूमि है उसमें कोई रास्ता प्रस्तावित नहीं है । अतः श्री अयोध्या प्रसाद वगैरह की स्थिति श्री गंगा सहाय पान्डे एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद से भिन्न है । इन्हीं कारणों से विकास प्राधिकरण ने पूर्ण विचारोपरान्त उनकी मांग अस्वीकार कर दिया है ।

नगर पालिका तिलहर, शाहजहांपुर के जलकल विभाग में 5 वर्ष से कार्यरत जूनियर इंजीनियर

170--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका तिलहर के जल कल विभाग में लगभग 5 वर्षों से लगातार एक ही जूनियर इजीनियर कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित विभाग निरन्तर घाटा दिखा रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगर पालिका तिलहर में श्री रमेश चन्द्र शर्मा दिनांक 13 सितम्बर, 1976 से कार्यरत थे । इनका स्थानान्तरण दिनांक 16 जून, 1981 को कर दिया गया है तथा वह दिनांक 6 जुलाई, 1981 को कार्यमुक्त भी हो चुके हैं । जी हां जल विभाग की आय में अब वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप घाटे की राशि कम हो रही है ।

टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग नगर में पुरुष तथा स्त्री रोगों के चिकित्सक

171--श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग नगर में एक भी पुरुष तथा स्त्री रोगों के चिकित्सक कितने समय से नहीं हैं और सरकार वहां चिकित्सक कब तक भेजने की व्यवस्था कर देगी ?

श्री लोक पति--

जनपद टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग नगर में एक पुरुष तथा एक महिला अस्पताल है । पुरुष अस्पताल में चिकित्सक का पद दिनांक 8-7-1980 से रिक्त

था और उस पर दिनांक 18-6-1981 के आदेश द्वारा पुरुष चिकित्सक को तैनाती की गई है । महिला अस्पताल में चिकित्सक का पद 11-3-1980 से रिक्त था और उक्त पद को दिनांक 23-5-1981 के आदेश द्वारा भरा गया है । उपयुक्त दोनों पदों पर चिकित्सक इस समय कार्यरत हैं ।

आयुर्वेदिक अस्पतालों से नियुक्ति हेतु डाक्टरों तथा कम्पाउन्डरों के पदों के लिए साक्षात्कार एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति

172--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 में आयुर्वेदिक अस्पतालों में नियुक्ति हेतु वैद्यों (डाक्टरों) तथा सहायक वैद्यों (कम्पाउन्डर्स) के पदों के लिए जो साक्षात्कार लिए गये थे उनमें से चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः कितनी-कितनी है उक्त सूचियों को अभी तक प्रकाशित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त चयनित सूची में से कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये भी जा चुके हैं ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र के अस्पतालों में अब तक कितनी नियुक्तियां की गयीं ?

श्री लोक पति--

माह मई, जून, 1980 में चिकित्साधिकारियों का कोई साक्षात्कार नहीं किया गया । कम्पाउन्डर के पदों पर नियुक्तियों हेतु माह मई, 1980 में साक्षात्कार किया गया था । चयन के आधार पर चयनित सूची में आयुर्वेद के सामान्य अभ्यर्थी 97, अनुसूचित जाति के 30, पिछड़ी जाति के 20, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 4, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित 1, यूनानी सामान्य के 14 तथा पिछड़ी जाति के 3 हैं ।

2--पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी चिकित्सालय 1980-81 में स्थापित किये गये थे उन सभी में उक्त चयन सूची में से योग्यता क्रमानुसार एवं शासन द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधानुसार नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं । भविष्य में जैसे-जैसे चिकित्सालय रिक्त होंगे उक्त सूची में से अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जावेंगी ।

शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सीमेन्ट के परमिट जारी करने में कथित अनियमितता

173--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सीमेन्ट के परमिट जारी करने में भयंकर अनियमितताय बरती जाने की माह सितम्बर, 1980 से 1 मई, 1981 तक तहसीलदार व परगनाधिकारी तिलहर एवं जिला पूर्ति अधिकारी व जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस मामले की खुली जांच कराके दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

शाहजहांपुर जनपद की तहसील तिलहर में सीमेन्ट के परमिट जारी करने में भयंकर अनियमितताएं बरते जाने की माह सितम्बर, 1980 से 1 मई, 1981 तक तहसीलदार व परगनाधिकारी, तिलहर एवं जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः मामले में जांच कराने या किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रसाद पाण्डेय मेल नर्स मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर गोण्डा की पेन्शन स्वीकृति में विलम्ब

174—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सूर्य प्रसाद पाण्डेय, मेल नर्स, मेमोरियल चिकित्सालय, बलरामपुर, जिला गोंडा, दिनांक 1-7-77 को रिटायर हुये ? यदि हां, तो क्या उन्हें पेन्शन या ग्रेच्युटी की सुविधा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी जानकारी है कि श्री सूर्य प्रसाद पाण्डेय ने इस सन्दर्भ में कई आवेदन-पत्र अपने ग्रेच्युटी और पेन्शन प्राप्ति के लिए शासन को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोक पति—

जी हां। श्री सूर्य प्रसाद पाण्डेय के पेन्शन आदि की सुविधा अभी तक स्वीकृत नहीं की जा सकी है क्योंकि इस मामले में महालेखाकार ने श्री पाण्डेय की पूर्व सेवाओं के बारे में कुछ बातों पर स्पष्टीकरण चाहा है, जो शासन स्तर पर देखा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में श्री पाण्डेय का आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुआ है जिस पर उक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

महिला चिकित्सालय बांदा के भवन का निर्माण

175—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बांदा नगर में महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण शासन द्वारा शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री लोक पति—

महिला चिकित्सालय, बांदा के भवन निर्माण का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

बांदा जनपद में स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

176—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या दुगुनी करने का निर्णय शासन ने हाल ही में लिया है ? यदि हां, तो इसको कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति--

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः इसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा में विकास प्राधिकरण का गठन

178--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने बांदा विकास प्राधिकरण गठित करने की घोषणा कर दी है ? यदि हां, तो इसका गठन कब तक हो जायेगा तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

शासन स्तर पर बांदा में विकास प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगर पालिका, बांदा को घाटा पूर्ति हेतु धनराशि

178--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, बांदा को घाटा पूरा करने हेतु वर्ष 1980-81 में शासन ने कितनी धनराशि दी तथा वह किस-किस मद में व्यय की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

घाटा पूरा करने हेतु नगरपालिका, बांदा को वर्ष 1980-81 में शासन द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गयी ।

बांदा विधान सभा क्षेत्र में जल निगम द्वारा पेयजल की सुविधा

179--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के बांदा विधान सभा क्षेत्र में नगर और कितने गांवों में जल निगम द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध की गयी है ? तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

बांदा विधान सभा क्षेत्र में मात्र बांदा नगर में पेयजल सुविधा उपलब्ध है । ग्रामीण क्षेत्र के लिए दो योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे 28 ग्राम लाभान्वित होंगे । विसन्डा नगर क्षेत्र समिति की योजना तकनीकी रूप से स्वीकृत हो चुकी है ।

नगरपालिका, बांदा में पेयजल हेतु नलकूपों की स्वीकृति

180--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत नगरपालिका, बांदा में पेयजल की समस्या हल करने के लिए

शासन द्वारा नलकूप लगाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक नलकूप न लगाने के क्या कारण हैं और भविष्य में कब तक लग जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां, किन्तु बांदा नगर की भूगर्भीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि नलकूपों का निर्माण सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही किया जाना सम्भव है । आशा है कि नलकूपों का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

जिला बांदा में क्रय-विक्रय समितियां तथा सहकारी उपभोक्ता भंडार

181--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-81 को जिला बांदा में क्रय-विक्रय समितियां कितनी हैं ? और सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं ? सरकार ने हिस्से के रूप में कितना-कितना रुपया इन समितियों में लगाया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

दिनांक 31-3-81 को जनपद बांदा में 4 सहकारी क्रय-विक्रय समितियां तथा 31 सहकारी उपभोक्ता भंडार थे । सरकार ने सहकारी क्रय-विक्रय समितियों में पांच लाख इक्यावन हजार रुपये (5,51,000 रु0) और सहकारी उपभोक्ता भंडारों में चार लाख पैंतालिस हजार रुपये (4,45,000 रु0) हिस्से के रूप में लगाया है ।

महिला चिकित्सालय, बांदा, में महिला चिकित्सा अधीक्षिका तथा महिला डाक्टरों के रिक्त पद

182--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, बांदा में महिला चिकित्सा अधीक्षिका एवं अन्य 6 महिला डाक्टरों के पद गत 6 माह से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या शीघ्र इनकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

प्रश्न की तिथि को महिला अस्पताल बांदा में अधीक्षिका का पद एवं अन्य महिला डाक्टरों के 7 पदों में से 4 पद रिक्त थे । इन सभी रिक्त पदों पर महिला डाक्टरों की तैनाती के आदेश समय-समय पर जारी किये गये थे परन्तु अभी तक केवल एक अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया है । अधीक्षिका तथा अन्य महिला डाक्टरों के तीन रिक्त पदों के भरने के लिए प्रयास जारी हैं ।

प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, केराकत, जौनपुर के मृत स्वास्थ्य सहायक श्री राम सागर राम के आश्रित को नौकरी का प्रार्थना-पत्र

183--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राम सागर राम स्वास्थ्य सहायक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, केराकत, जिला जौनपुर की मृत्यु 12-11-80 को हो गयी ? क्या यह सही है कि उसकी विधवा ने सरकार से प्रार्थना किया था कि उसके देवर राम अलम राम को स्वास्थ्य विभाग में कोई जगह उनके पति के स्थान पर दे दिया जाय, क्या निदेशक ने अपने पत्र संख्या 4क/3/स्वा0 स0-1081/974, दिनांक 27-1-81 के द्वारा यह आदेश दिया है कि राम अलम राम को उनकी योग्यता के मुताबिक जगह दे दी जाय ? यदि हां, तो जिला मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर ने उनको कोई पद दे दिया है ?

श्री लोकपति--

जी हां, श्रीमती राम सागर राम का प्रार्थना-पत्र मिला था कि उनके पति के स्थान पर उनके देवर को रख लिया जाय ।

सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को ही उनकी योग्यतानुसार कोई पद देने का नियम है । आश्रितों की श्रेणी में देवर नहीं आते । इसलिये श्री राम अलम राम को उपरोक्त नियमानुसार पद नहीं दिया जा सकता ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त शिक्षा अधीक्षक (श्री हरदयाल शर्मा) द्वारा अधिशासी अधिकारी पद पर कार्य करने सम्बन्धी मानदेय का भुगतान

184--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

संदर्भित मामले पर प्रशासक, नगरपालिका फर्रुखाबाद का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है । अतः सन्दर्भित भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला नेत्र चिकित्सालय मुरादाबाद को वार्षिक अनुदान की धनराशि

185--श्री जीतेन्द्रपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतने की कृपा करगे कि जिला नेत्र चिकित्सालय, मुरादाबाद को वार्षिक अनुदान स्वीकृत कराने के लिए वर्ष इस कितनी धनराशि मांगी गयी थी और कितनी धनराशि दी गयी ? यदि कम की गयी, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981–82 में अभी तक जिला नेत्र चिकित्सालय, मुरादाबाद द्वारा अनुदान हेतु कोई धनराशि नहीं मांगी गई है । अत: शेष प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी समितियों को चीनी आवंटन तथा उनकी जांच

186—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन सहकारी समितियों को जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 तक कितनी-कितनी चीनी आवंटित की गई ? क्या इन कोटेदार समितियों की जांच की गई तथा कोई अनियमितताएं पाई गयीं ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना संलग्न है ।

जी हां । समितियों की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

(देखिये सन्थी 'अ' अगले पृष्ठ 665 पर ।)

टाउन एरिया कमेटी माधोगंज, मल्लांवा एवं कुरसठ, हरदोई के स्वीकृत सड़क अनुदानों का उपयोग

187—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की टाउन एरिया माधोगंज, मल्लावां एवं कुरसठ को वर्ष 1982–81 में सड़क निर्माण की मद में दी गई धनराशि का उपयोग करके पूरा करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वर्ष 1980–81 में टाउन एरिया कमेटी माधोगंज, मल्लावां एवं कुरसठ को स्वीकृति सड़क अनुदानों का पूर्ण उपयोग अभियंत्रण स्टाफ के अभाव में जिला परिषद् व सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों के आगणन आदि बनवाने में विलम्ब होने तथा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराये जाने में निर्धारित उपयोगावधि का समय व्यतीत हो जाने से सम्भव नहीं हो सका । उक्त कमेटियों द्वारा अपेक्षित समय वृद्धि शासन से स्वीकृति ली गई है तथा स्वीकृत सड़क अनुदानों का अधिकांश भाग उपयोगित किया जा चुका है और शेष भाग को उपयोगिता किए जाने की कार्यवाही की जा रही है । इसमें किसी कर्मचारी/अधिकारी की उदासीनता परिलक्षित नहीं होती है । अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है ।

188—श्री मोती लाल बेहलवी—

[4थे मंगलवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

189--श्री मोती लाल वेहलवी--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

टाउन एरिया मड़ियाहूं, जौनपुर की सड़कों पर अनधिकृत कब्जे तथा नालियों की व्यवस्था

190--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया मड़ियाहूं, जौनपुर के अन्तर्गत सड़क की दोनों पटरियों पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? क्या यह भी सत्य है कि इन अनधिकृत कब्जों से आवागमन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया है और सड़क के किनारे नालियां न होने से उक्त कस्बे में सदैव गन्दा पानी सड़क पर बहता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनधिकृत कब्जों को हटवाकर लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी और क्या सड़क के किनारे जल निकासी हेतु नालियां खुदवाकर गन्दा पानी निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अनधिकृत कब्जों को हटाने तथा नालियों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है ।

अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सक तथा उनमें पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षित चिकित्सकों की भर्ती

191--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की रानीखेत तहसील के ग्रामीण अंचलों में कब से किस-किस चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं हैं ? पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षित चिकित्सकों के आवेदन करने पर भी उनकी नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में रिक्त चिकित्सकों के पदों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न* है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक पृथक् उपसंवर्ग बना दिया दिया गया है जिसमें नियुक्तियां करने हेतु विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र भी प्राप्त कर लिए गए हैं । शीघ्र ही चयन के उपरान्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

*(देखिये नत्थी 'ट' अगले पृष्ठ 667 पर ।)

पी0 जी0 आई0 के गठन सम्बन्धी कमेटी की बैठकें, सब कमेटियों के अध्यक्ष, डा0 डी0 एन0 शर्मा को चेयर मैन बनाना, शासन की प्राप्त रिपोर्ट में कतिपय डाक्टरों का योग दान, कमेटी पर व्यय तथा उक्त संस्था पर निर्धारित व्यय में केन्द्र तथा राज्य सरकार का अंश

192--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

विधान सभा के 26-2-81 के अ0 सू0 प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 जी0 आई0 के गठन से सम्बन्धित कमेटी की पहली और आखिरी बैठकें कब-कब और कहां हुयीं ? उनमें किस-किस सदस्य ने भाग लिया ? क्या उनमें नियमानुसार कोरम पूरा था ।

श्री लोक पति--

संलग्नक क्रम में है ।

यह समिति पी0 जी0 आई0 की रूप रेखा के बारे में संस्तुतियां देने के लिये बनाई गई थी अतः इसमें कोरम का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' अगले पृष्ठ 668 पर)

193--फिरंगी प्रसाद विशारद--

जो सब कमेटी बनी वे किस-किस की अध्यक्षता में बनीं और उनकी कितनी बैठकें कब-कब कहां-कहां हुई तथा उनकी अलग-अलग संस्तुतियां क्या थीं ?

श्री लोक पति--

पी0 जी0 आई0 कमेटी के अतिरिक्त और कोई सब कमेटी/कमेटियां शासन द्वारा नहीं बनाई गई ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या यह सही है कि डा0 डी0 एन0 शर्मा को केवल अस्पताल खोलने और उनको चलाने का अनुभव है और उनको पी0 जी0 आई0 जैसी संस्थाओं में कार्य करने तथा रिसर्च वर्क का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ? यदि हां, तो उनको पी0 जी0 आई0 गठन की कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखा गया ?

श्री लोक पति--

यह सही नहीं है । डा0 डी0 एन0 शर्मा के अनुभव एवं ज्ञान पर भली-भांति विचार करने के उपरान्त उन्हें पी0 जी0 आई0 समिति का अध्यक्ष बनाया गया था ।

195--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या यह सही है कि पी0 जी0 आई0 के गठन की कमेटी में डा0 एम0 एल0 धर, डा0 डी0 एस0 नेगी व डा0 बी0 राम लिंगा स्वामी ने किसी भी स्टेज में भाग नहीं लिया ? यदि हां, तो जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है वह किसने बनाई ?

श्री लोक पति—

यह सही नहीं है।

रिपोर्ट शासन को पी0 जी0 आई0 समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी।

196—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 जी0 आई0 के गठन सम्बन्धी कमेटी के गठन से लेकर उसके रिपोर्ट भेजने तक इसमें कुल कितना व्यय अलग-अलग मदों में हुआ ?

श्री लोक पति—

कुल 23,000 रु0 का व्यय हुआ, इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिक व्यय पर—	10,000
(2) वेतन एवं भत्ता पर—	13,000
कुल ..	23,000 रु0

197—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

पी0 जी0 आई0 के लिए जो 35 करोड़ रुपये के व्यय का प्राविधान किया गया है उसमें कितना केन्द्र सरकार देगी और कितना राज्य सरकार ?

श्री लोक पति—

पी0 जी0 आई0 की स्थापना में करीब 35 करोड़ रु0 व्यय का अनुमान था। 35 करोड़ रुपये का प्राविधान नहीं किया गया है।

198—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[दिनांक 29-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 69 द्वारा उत्तरित।]

नगर महापालिका वाराणसी के एक कम्पाउन्डर द्वारा बिना अनुमति बी0 ए0 एम0 एस0 की उपाधि प्राप्त करने सम्बन्धी जांच

199—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका वाराणसी में किसी कम्पाउन्डर ने महापालिका सेवा में रहते हुए वर्ष 1978 में बी0 ए0 एम0 एस0 की उपाधि बिना प्रशासक की अनुमति के प्राप्त की थी ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध प्रशासक ने जांच कराई थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

प्रशासक ने जांच किये जाने के आदेश दिये थे। किन्तु अभी जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

200—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मुनीन्द्र पाल सिंह के निधन पर शोकोद्गार

[12 बजकर 15 मिनट]

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मुझे बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि श्री मुनीन्द्र पाल सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का निधन 6/7 सितम्बर की रात्रि को हो गया है। जिस वक्त उनका स्वर्गवास हुआ, वह 61 साल के थे। स्व0 मुनीन्द्र पाल सिंह का जन्म 27 अप्रैल, 1920 को एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उसके बाद उनकी शिक्षा बरेली कालेज, बरेली में हुई और वहां से उन्होंने इन्टरमीडिएट पास किया। उसके बाद 1952 के सामान्य निर्वाचन में वह पहली बार चुनकर इस माननीय सदन में आये। फिर सन् 57 व 67 के सामान्य निर्वाचन में वह पी0 एस0 पी0 के टिकट पर निर्वाचित घोषित हुए और इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। तत्पश्चात् फिर 1977 में वह चुनकर जनता पार्टी के टिकट पर इस सदन में सदस्य हुए। उनका सारा जीवन एक मिसाल था। समाज सेवा में और राजनीतिक सेवा में उन्होंने अपने जीवन भर जनता की सेवा की और बराबर वहां के जो दलित लोग थे वह उनकी सेवा करते रहे। उनको खास शौक था शिकार का और घुड़सवारी का। इसके साथ-साथ बराबर वह अपने क्षेत्र की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाते रहे और सारे जीवन में उन्होंने लोगों की सेवा की। आज उनके न रहने से हम एक कमी महसूस करते हैं, जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। हम निवेदन करते हैं, माननीय, आपसे कि आप हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, श्री मुनीन्द्र पाल सिंह के निधन के सम्बन्ध में जो संवेदना के शब्द माननीय अम्मार रिजवी ने पेश किये हैं, मैं और मेरा दल अपने आपको उससे सम्बद्ध करता है। स्वर्गीय श्री मुनीन्द्र पाल सिंह एक शिष्ट और मृदुभाषी व्यक्ति थे। सन् 1977 में मुझे भी कुछ अवसर उनके साथ काम करने को मिला। वह अपने व्यवहार से हर एक को इम्प्रेस करते रहे। वह अपने जनपद की अनेक शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे हैं। इसलिये उनके निधन से हमने निश्चित रूप से एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को खोया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने अद्धेय मुनीन्द्र पाल सिंह के आकस्मिक निधन पर जो संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं स्वयं को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। निश्चित रूप से वह एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और गरीबों के प्रति उनके हृदय में बड़ी सहानुभूति थी, वह हमेशा उनकी मदद करते थे। साथ ही वह एक अच्छे समाज सेवी और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन से हमको, हमारे समाज को और प्रदेश को जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करना मुश्किल है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप मेरे और मेरे दल की ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

स्वर्गीय श्री मुनीन्द्र पाल सिंह जी के सम्बन्ध में जो उद्गार संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (अर्स) ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय मुनीन्द्र पाल सिंह जी बहुत दिनों से मेरे परिचित थे। मुझे उनके सम्पर्क में आने और साथ-साथ काम करने का मौका भी मिला है। वे जनता को राहत दिलाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे हैं। आज कल वे विधायक नहीं थे तो भी अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं के हल के लिए सतत् संघर्ष करते रहे। वे 10 सितम्बर को हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उसके पहले कुछ दिन पूर्व लखनऊ में ही काफी देर तक मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था। आज भी उनके जीवन में सामाजिक प्रखरता नजर आती है इससे वे सदैव श्रद्धा के पात्र रहे और हर सामाजिक कार्य-कर्त्ता उनसे प्रेरणा लेता रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से एवं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा और मेरे दल की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भाखा लाल--

श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुनीन्द्र पाल सिंह जी के प्रति माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से आप संवेदना का संदेश उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो उद्गार स्वर्गीय श्री मुनीन्द्र पाल सिंह जी के बारे में प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

माननीय मुनीन्द्र पाल सिंह जी से मिलन 1977 में चुनाव के बाद यहां सदन में हुआ था। वे बहुत मृदुलभाषी और तेजस्वी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से उस जिले और समाज को बहुत क्षति हुई है। मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना अर्पित करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय स्वर्गीय श्री मुनीन्द्र पाल सिंह जी के प्रति श्रद्धा के जो शब्द माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य सभी नेताओं द्वारा माननीय मुनीन्द्र पाल सिंह जी के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये उद्गारों से अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

को सम्बद्ध करता हूं। माननीय मुनीन्द्र पाल सिंह जी एक बहुत ही कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और वे सदैव ही अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते थे। मैं आपकी संवेदनायें उनके परिवार को पहुंचा दूंगा।

अब हम दो मिनट के लिए खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

परिवहन निगम की बस गंगा में डूबने से मृत व्यक्तियों पर शोक संदेश व शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

पहले नियम 301 हो जाने दीजिए।

श्री भीखालाल--

मैंने एक शोक प्रस्ताव दिया है लेकिन ऐसे गम्भीर विषय पर कोई मान्यवर कोई वाद विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। एक मिनट मुझे कृपया सुन लें। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कल जो कानपुर में गंगा के पुल पर बस गंगा में गिरी है उसमें 50 व्यक्तियों के मरने की खबर है और यह एक बहुत ही भयानक दुर्घटना है। मैंने एक प्रस्ताव शोक प्रस्ताव की शकल में आपके पास भेजा है। उसके लिए अगर नियमों में कोई प्राविधान न हो या सरकार उसे न लाना चाहे मैं उस पर कोई वाद विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस गम्भीर मामले पर प्राथमिकता अगर आप दे सकें तो अच्छा होगा। सरकार की तरफ से आप कोई उसका विवरण दिलवा दें। जो मेरे हैं उनके दुखित परिवारों के लिए सरकार क्या कर रही है, यह सदन इतना जानना चाहता है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने जो कल की दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है मैं समझता हूं कि केवल इस सदन के माननीय सदस्यों को ही नहीं वरन् सदन के बाहर उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को इस दुर्घटना का बेहद दुख है। यह एक बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है। कितने लोग उसमें डूबे इसका पता लगाया जा रहा है। जो बातें सामने अब तक आयी हैं वे यह हैं कि परिवहन निगम की एक बस जिसका नं0 9120 था वह प्रतापगढ़ डिपो की थी, और 16-9-81 को, रात को लगभग ढाई बजे यात्रियों को लेकर कानपुर से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुई। जब पुल पर पहुंची बीच में पुल पर एक भैंस जख्मी पड़ी हुयी थी। उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने प्रयास किया और उसी में वह संतुलन खो बैठा और बस गंगा में गिर गयी। 4 यात्री उसमें से निकल सके। बाकी लोग नहीं बचाये जा सके। बस 40 फुट गहराई में गिरी। उसके बाद क्रेन मंगाये गये। एयरफोर्स के क्रेन भी आये, एक कम्पनी के भी आये। यह क्रेन 11 टन क्षमता के थे, जब इनसे भी काम नहीं चला तो 30 टन की क्षमता का क्रेन मंगाया गया और उसके द्वारा बस को निकाला जा सका। अभी तक कुल 13 शव निकाले

जा सके हैं । बाकी की तलाश जारी है । घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के सारे लोग, परिवहन विभाग के वरिष्ट अधिकारी, अध्यक्ष वगैरह, मौके पर गये । माननीय परिवहन मंत्री भी गये और उन्होंने घोषणा की कि एक कमेटी इसकी जांच करेगी जिसमें प्रधान प्रबन्धक, उप सचिव, उप प्रधान प्रबन्धक, मध्य जौन, आदि लोग होंगे ।

मान्यवर, जो यह दुर्घटना हुई इससे हम सभी को बेहद अफसोस है । जो जख्मी लोग थे उनको तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया ।

और 500 रुपये की तुरन्त सहायता दी जाय, जो मृतक थे, उनके जो वारिश मिल सके, उनको घोषणा की गई 1 हजार रुपये की । लेकिन इसके साथ-साथ स्टेट गवर्नमेन्ट को जो देना है 20 हजार रुपये वह भी देगी, जब उनके वारिश का पता लग जायगा । अभी तक यह नहीं पता लग सका है कि कितने लोग वहां पर डूबे, क्योंकि हमारे पास जो सूचना आई है उसमें 28 टिकट काटे गये थे और 3 लोग बाद में और आये थे और कुछ सूचना तमाम सूत्रों से मालूम हुई कि सफर करने वाले ज्यादा थे । इसकी इन्क्वायरी चल रही है और लाशों की तलाश जारी है । मान्यवर, हमारी शोक-संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो परिवार ही नहीं मालूम है । जब परिवार मालूम हो जाएगा, तब संवेदना भेजी जायेगी ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, सदन की तरफ से आप कुछ कह देते ।

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि माननीय भोखा लाल जी ने कहा, सदन को इस घटना पर अत्यन्त दुःख है और निश्चित रूप से पता लगने पर उनके जो प्रभावित परिवार हैं, उन्हें जितनी भी शासन सम्भव सहायता कर सके करना चाहिए और परिवारों का पता लगने पर संवेदना भी उनके परिवारों तक पहुंचा दी जायेगी ।

हरदोई जिले में सस्ते मूल्य की कापियां उपलब्ध कराने हेतु आवंटित कागज के कोटे में गोलमाल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गतसूचना

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि हरदोई जिले में सस्ते मूल्य की कापियां उपलब्ध कराने हेतु आंवटित कागज के विशेष कोटे में भारी गोलमाल किया गया है । मान्यवर, कागज कोटेदारों को जिलाधिकारी द्वारा एलाट किया गया था परन्तु कोटेदारों ने कापियां बनवाने के बजाय पुस्तक प्रकाशकों, बैंकों तथा कार्यालयों को ऊंची दर पर बेंच दिया । इसकी शिकायत की गई । शिकायत पुलिस को भी की गई । शिकायत में बैंक का

[श्री जय शंकर सिंह]

एक फार्म भी पेश किया गया जो नियंत्रित मूल्य के उक्त कागज पर छापा गया था। इस गड़बड़ी में जिला प्रशासन के हाथ भी रंगे हैं। मान्यवर, शासन के आदेश को कापियां स्कूलों के माध्यम से बांटी जायेगी। परन्तु फिर भी निर्माता फर्म को फुटकर बिक्री के लिए 25 से 50 प्रतिशत कोटा तय कर दिया गया।

इस भ्रष्टाचार से छात्रों को कापियां न तो मिली और न मिलने की सम्भावना है।

अतएव निवेदन है कि मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कराकर दोषी जिला प्रशासन तथा कोटेदार आदि के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय तथा छात्रों को कापियों उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही हो।

मान्यवर, लोक महत्व की इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर तुरन्त प्रभावी हस्ताक्षेप की मांग करता हूं।

ललितपुर जनपद में बाल सुधार गृह में अधिकारियों की लापरवाही से बालकों में क्षय रोग के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

महोदय, आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन की संज्ञान में लाना चाहता हूं।

ललितपुर जनपद के बाल सुधार गृह में अधिकारियों की लापरवाही से कर्मण्यता के कारण उक्त सुधारगृह के सभी बालक क्षय रोग से पीड़ित हैं। जिससे गत तीन मास में तीन बालक काल के ग्रास बन गये हैं। उन पर अमानुषिक यातनाओं के कारण एक बालक छप्पर फाड़कर भाग गया है। इस सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों द्वारा कई पत्र मंत्री महोदय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को भी दिए गए हैं। परन्तु खेद है कि शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार मारने पीटने तथा भरपेट भोजन न मिलने के कारण बालक बीमार होकर मौत के मुंह को जा रहे हैं।

अतः शासन से अनुरोध है कि—

1—सुधार गृह की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

2—सभी बालकों के स्वास्थ्य की परीक्षा करवाई जाय।

3—बालकों के पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाय।

4—नियमानुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक निवास में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सामूहिक हड़ताल तथा उनकी मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि राज्य विधान मन्डल के माननीय सदस्यों की सेवा करने वाले विधायक निवास के कर्मचारियों की सेवाओं की दशा में सुधार करने हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग सदा कतराता रहा ह । सदा आश्वासन मात्र पाने परन्तु उनका कार्यान्वयन न होने से कर्मचारियों में भीषण असंतोष व्याप्त है । असंतोष ने गहन होकर आन्दोलन का रूप ले लिया है । मान्यवर आज वह सामूहिक हड़ताल पर हैं, जिसके कारण माननीय सदस्यों को अति असुविधा हुई । कमरों में झाड़ू तक नहीं लगा ।

मान्यवर, उनकी मांग हैं कि--

1--साप्ताहिक एवं राजपत्रित अवकाश अविलम्ब दिया जाय ।

2--79-81 की हुई पदोन्नतियों की धांधली गर्दी को अविलम्ब रोका जाय एवं ज्येष्ठता के आधार पर किया जाय ।

3--चतुर्थ श्रेणी स्नातकों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाय ।

4--निर्धारित समय पर वर्दियों का वितरण किया जाय ।

5--स्थायी करण वरिष्ठता के आधार पर किया जाय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करते समये वरिष्ठता का ध्यान अवश्य रखा जाय ।

6--हमारे कर्मचारियों को कार्य स्थल से एक किलोमीटर के अन्दर आवास व्यवस्था सुलभ कराई जाय या विधायक निवासों में बने कर्मचारियों के आवासों में वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जाय ।

इन मांगों को पूरा करने एवं नियमित कार्य करने का वादा राज्य-सम्पत्ति विभाग ने 18-8-81 को किया था । परन्तु मान्यवर, 7-9-81 को असंगत पदोन्नतियां करके वादा नकार दिया गया । वर्तमान आन्दोलन का मुख्य यही कारण है ।

अतएव मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर आशावान हूं कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें तुरन्त पूरा किया जाय । मान्यवर, एक प्रार्थना आपसे भी है कि यह कर्मचारी मा० सदस्यों की सेवा करते हैं और सदस्य आपके निर्णय पर्यवेक्षण में सुविधाये पाते हैं । इन कर्मचारियों पर होने वाले अन्याय से माननीय सदस्यों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है ।

अतएव कृपा पूर्वक आप मामले में हस्तक्षेप करें उचित रास्ता निकलवाने में पहल करें जिससे कर्मचारी राहत की सांस ले सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद फर्रुखाबाद के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र में डकैती व राहजनी की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

मैं आपकी आज्ञा से नियम 301 में एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

थाना मुहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद के क्षेत्र में लगभग 4 माह से अराजक तत्वों का साम्राज्य है, दो दर्जन से अधिक डकैती, लूट, राहजनी, और कत्ल की घटनायें घट चुकी हैं । उदाहरण के लिए हाल में जो घटनायें लूट डकैती की घटी हैं वह इस प्रकार हैं :--

दिनांक 28/29 अगस्त, 81 की रात्रि में ग्राम रसूलपुर में 6 घर लूटे गए और डकैत हजारों की सम्पत्ति ले गए । दिनांक 30/31 अगस्त की रात्रि में लल्लू नाई निवासी, खिनसेपुर के मकान में घुसकर लगभग 25000 की लूट करालो, दिनांक 4/5 सितम्बर, 81 की रात्रि में डकैतों ने श्री रघुनन्दन स्वरूप पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी ग्राम ज्योंता को लूटा और लगभग 30000 का माल लूट ले गए । दिनांक 5/6 की रात्रि में ग्राम नदना में 7 घर सर्वश्री बलराम सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह, जयपाल सिंह, महेश प्रसाद, रमेशचन्द्र, राजपाल सिंह और राजबहादुर सिंह के लूटे गए जिसमें लाखों रुपया की सम्पत्ति लूटी । इसी तरह बराबर लूट और राहजनी हो रही है । अराजक तत्व खुले आम घूम रहे हैं । इस कारण जनता में भय तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त है । पुलिस निष्क्रिय है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर शीघ्र व्यान देकर मुहम्मदाबाद क्षेत्र के जन मानस में जो भय, आतंक और असुरक्षा की भावना व्याप्त है, शीघ्र समाप्त हो ।

टाउन एरिया गंगा घाट उन्नाव में पंचशाला भवन कर के निर्धारण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती सिंह विशारद--

उन्नाव जनपद के टाउन एरिया गंगाघाट के निवासियों को प्रशासक टाउन एरिया गंगाघाट की ओर से हस्फ दफा 14 ऐक्ट सन् 1914 के अन्तर्गत इस समय उनके घरों पर टाउन एरिया कर्मचारियों की ओर से भवनकर का निर्धारण हेतु पंचशाला निर्धारण सालाना दिनांक 1-4-79 से बांधना प्रस्तावित है । इसी नोटिस में यह भी अंकित है कि यदि किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-9-81 तक लिखित रूप से टाउन एरिया गंगाघाट कार्यालय में उपस्थित कर दें । प्रशासक द्वारा इस समय अगस्त, सितम्बर, 1931 में दिनांक 1-4-79 से कर लगाये जाने, अनियमित ढंग से बढ़ा-बढ़ा कर अत्यधिक बड़ी राशि में भवन कर लगाने तथा कर निर्धारण हेतु नोटिसों को अनियमित ढंग से देने के कारण टाउन एरिया गंगाघाट के 10 हजार परिवारों और उनके 50 हजार सदस्यों में प्रशासक टाउन एरिया गंगा घाट उन्नाव द्वारा इन तमाम अवैधानिक अनियमित तथा जन-साधारण को प्रताड़ित करने वाली इन कार्यवाहियों से उक्त क्षेत्र में आक्रोश एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यदि टाउन एरिया गंगाघाट, उन्नाव में भवन कर निर्धारण के समय प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया गया तो हजारों असहाय लोगों के ऊपर निरर्थक हजारों रुपये का टैक्स बन्ध जायेगा ।

अतः मैं उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाना चहता हूं जिससे सम्पूर्ण तथ्य एवं विवरण सदन के संज्ञान में आ जाये और उस पर पुनः कर निर्धारण हेतु उचित कार्यवाही हो सके ।

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही को विवरण सूची†

[12 बजकर 42 मिनट]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (पंचम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार अष्टम विधान सभा, 1981 के प्रथम सत्र (दिनांक 27 जनवरी, 1981 से 4 अप्रैल, 1981 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने जो जानकारी दिया है उस पर मेरी, आपकी अनुमति से, आपत्ति है कि जिस करण का मंत्री जी ने संदर्भ दिया है उसके करण 14 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी किये गये पंचम संस्करण के नियम 14 को आप देखने का कष्ट करें । यह जो नियम 301 में हम लोग सूचनायें आपकी अनुमति से पढ़ते हैं उसके सम्बन्ध में करण संख्या 14(1) में प्राविधान किया गया है कि 7 दिन में उसका अन्तरिम उत्तर प्राप्त होगा और 1 महीने में अन्तिम उत्तर प्राप्त होगा । इसी संदर्भ में करण 14(3) में आपकी ओर से करण दिया गया है कि प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ से संसदीय कार्य मंत्री जो जानकारी पटल पर रखेंगे । यह जानकारी मिली । लेकिन जानकारी में देखें कि करण 14(3) में लिखा है कि पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लाई गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण दिया हो । लेकिन कार्यवाही के विवरण में मैं जानना चाहूंगा कि 7 दिन में क्या उत्तर दिया गया । यदि 7 दिन में सूचना न दी जा सके तो अन्तरिम उत्तर देंगे परन्तु उसका अन्तिम उत्तर एक महीने में अवश्य देंगे । तो 30 दिन में उत्तर दिया गया है कि नहीं इसको देखें क्योंकि इसमें 3 स्थान ऐसे हैं जिनमें आज तक उत्तर नहीं मिला है । शिक्षा विभाग का एक उत्तर मुझे परसों मिला है, 6 महीने के बाद ।

यहां सदन में अब तक परम्परा रही है कि जो पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसमें न उत्तर देने की तिथि रहती है और न समय । इसलिये सरकार ने जान-बूझकर तिथि इसमें से गायब कर दिया है कि जिससे आपत्ति न कर सकें । इस-

†छापी नहीं गयी ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

लिये एक महीने में उत्तर प्राप्त करने में हमारे अधिकारों का हनन किया है। इसलिये आपत्ति है कि हमारे विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये इस पत्र को आज वापस करा दें और 2-3 दिन में, 7 दिनों में, इसी सत्र में जानकारी मिलनी चाहिये। इसलिये 7 दिन में अन्तरिम उत्तर या एक महीने में अंतिम उत्तर दिया जाय। पिछली बार भी आपत्ति उठायी थी तो उस समय आपने व्यवस्था दिया, क्योंकि उस समय 14 सूचनायें ऐसी थीं जिनका उत्तर 2-3 महीने के बाद मिला था कि शासन को समय पर कार्यवाही करनी चाहिये और समय पर उत्तर दिये जांय अन्यथा यह हम लोगों का पढ़ना मात्र अरण्यरोदन है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। मैं आपसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी से इसको वापस करवायें और पूरी जानकारी हमको दी जाय। 30 दिन के अन्दर जिन-जिन सूचनाओं का उत्तर नहीं मिला है उसके सम्बन्ध में जांच करने की कृपा करें और हमारे हितों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध थी वह सम्मानित सदन के समक्ष रख दी गयी। कुछ सूचना माननीय सदस्य ने और मांगी है। मेरे पास 172 ऐसी सूचनायें थी जिनका जवाब जाना था। उनका जवाब आ गया है लेकिन अगर वह कुछ और सूचना चाहते हैं तो वह भी रख दी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो नियमावली में व्यवस्था है उसके अनुसार काम होना चाहिये। यह सदन को भ्रमित करने का तरीका है। नियमावली में यह व्यवस्था है कि जो सूचना सदस्य को मिलेगी उसकी एक प्रति मान्यवर के कार्यालय में जायगी। आपके कार्यालय में इस बात की जानकारी है कि किस मंत्री द्वारा किस सदस्य को कब सूचना दी गयी। पूरी जानकारी आपके सचिवालय में है। जानबूझकर माननीय मंत्री जी भ्रमित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

करण संख्या 14(1) में है "दी गयी सूचनाओं का उत्तर कोई मंत्री सदन को देने के लिये बाध्य नहीं हैं किन्तु यदि वे चाहें तो सदन को भी उत्तर दे सकते हैं। सम्बन्धित मंत्री ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर सम्बन्धित सदस्य को अपने ही हस्ताक्षर से 7 दिन में उत्तर देगें। यदि 7 दिनों में सूचना न दी जा सके तो मंत्री सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर देगें परन्तु उसका अन्तिम उत्तर अधिक से अधिक एक माह के अन्दर अवश्य माननीय सदस्य को भेज देगें।" इसकी मंशा स्पष्ट है कि 7 दिन के अन्दर सूचना मिलनी चाहिये और 7 दिन में किसी तरह संभव न हो तो अन्तरिम उत्तर देकर अन्तिम उत्तर एक महीने में मिलना चाहिये। इसके पालन के लिये कई बार कहा जा चुका है। मैं पुनः आपको इस सम्बन्ध में निदेश देता हूं कि इसका पालन होना चाहिये। जहां तक आज जो सूचना आयी है उसको वापस करने की बात तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इनका अंतरिम उत्तर कब दिया गया और

अन्तिम उत्तर कब दिया गया इसकी तिथियां भी इसमें अंकित होनी चाहिये ताकि हमारे सदस्यों को ज्ञात हो सके कि इनका अंतरिम तथा अंतिम उत्तर कब दिया गया । इसकी सूचना आप सदन को पूरक के रूप में दे दें ।

श्री अकमार रिजवी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन किया जायगा और मारी सूचनाये माननीय सदन के समाने रख दी जायंगी ।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, यह जो सूचना दी गयी है इसमें 80 और 121 नम्बर पर मेरे द्वारा उठायी गयी सूचना के बारे में कहा गया है कि अंतिम उत्तर दे दिया गया है लेकिन आज तक मुझे अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

सबकी व्यक्तिगत सूचनायें नहीं हो सकती हैं, मंत्री जी इसको देख लेगें ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना देनी है ।

पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री जमुना प्रसाद रावत सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) भारतीय दंड विधान की धारा 143/186/188 और क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये तथा वे नैनी जेल में भेजे गये ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी ने अपने वायरलेस, संदेश, दिनांक 15 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री जमुना प्रसाद रावत, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के पूर्वाह्न में नैनी जेल में दाखिल किया गया ।

इसी सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, बाराबंकी तथा परगना मैजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने अपने पत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुये में सूचित किया है कि श्री जमुना प्रसाद रावत, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) को भारतीय दंड विधान की धारा 188/186/143 तथा क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिया गया है ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक, जालौन ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 15 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि कुंवर दल गंजन सिंह, सदस्य, विधान सभा (जालौन) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में दिन के 12 बजे गिरफ्तार किये गये और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किये गये और बाद में जेल भेज दिये गये ।

[श्री अध्यक्ष]

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार, उरई ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि कुवंर दल गंजन सिंह, सदस्य, विधान सभा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत कोतवाली उरई में दर्ज अपराध संख्या 481/81 के सम्बन्ध में जिला कारागार, उरई में 14 सितम्बर, 1981 को सायंकाल दाखिल किये गये ।

(3) अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 14 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16, सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री मुहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा (रामपुर) को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के आदेश से जिला कारागार, रामपुर, में दाखिल किया गया ।

(4) नगर मैजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ने अपने पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री अनवार खां, सदस्य, विधान सभा (फर्रुखाबाद) को दंड प्रक्रिया की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को बन्दी किया गया और उन्हें केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में रक्खा गया ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 15 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री अनवार खां, सदस्य, विधान सभा को (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 107/116/151 के अंतर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(5) जिला मैजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 15 सितंबर, 1981, जो इस सचिवालय में 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राम करन, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी) एवं श्री राम नरायन तथा श्री राम धनी, सदस्यगण, विधान सभा (गाजीपुर) 15 सितम्बर, 1981 को अपराह्न 2 बजे कलेक्ट्रेट कंपाउंड में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत कोतवाली पुलिस, गाजीपुर द्वारा गिरफ्तार किए गए और सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेशानुसार जिला कारागार, गाजीपुर में रक्खे गए।

इसी सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 15 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचना दी है कि श्री राम करन, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी) एवं श्री राम नरायन और श्री रामधनी, सदस्यगण, विधान सभा (गाजीपुर) सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर के आदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत थाना कोतवाली में दर्ज अपराध के सम्बन्ध में दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को 5 बजकर 16 मिनट पर जिला कारागार, गाजीपुर में दाखिल किये गये । उन्हें विशेष श्रेणी दी गयी है ।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री मुख्तार अनीस—

माननवर, मैंने मुख्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी और मोहन सिंह की, दोनों सूचनायें माननीय मुख्य मंत्री को भेज दी गई हैं ।

श्री मोहन सिंह—

माननवर, सूचनायें पढ़ दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की सूचना पढ़ने की परम्परा तो है नहीं ।

श्री मोहन सिंह—

माननवर, अगर विशेषाधिकार की कोई सूचना है तो वह इस आदरणीय सदन के सामने पढ़ी जाती है । उसके बाद आप तफतीश करते हैं और निर्णय देते हैं ।

तो माननवर, सूचना कृपा पूर्वक पढ़ दें, यही माननवर, लोक सभा की भी परम्परा है और यहां पर भी पुरानी परम्परा यही रही है कि सूचना विशेषाधिकार की होती है, वह सदन में पढ़ दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो सदन को इस बारे में अवगत होता, इसकी पूरी सूचना तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इसके भाव को बताए देता हूं । आपकी सूचना तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि विशेषकर मुझसे कोई पत्राचार नहीं हुआ है, यह सही नहीं है और इसी प्रकार मुख्तार अनीस साहब की सूचना है, जिसमें उन्होंने एक अखबार में श्री शकधर के वक्तव्य को कोड किया गया है, इन दोनों सूचनाओं को मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दिया गया औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा—

एक औचित्य का प्रश्न मैंने दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

जो औचित्य का प्रश्न आपने दिया है, उसमें कृपाकर मुझे ही बोलने दें, आप कृपया न बोलें, इसलिए कि जो औचित्य का प्रश्न आपने दिया है, उसमें जो कुछ हुआ है, वह हाईकोर्ट की अवमानना से सम्बन्धित है, तो यह जहां की अवमानना का प्रश्न है, वहीं इसको जाना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इसका सम्बन्ध मान्यवर, न्याय पालिका से कतई नहीं है, मैं केवल इसी को तो बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी आप कृपया बैठें, मैं अब इस सम्बन्ध में एक शब्द भी यहां नहीं सुनना चाहता, अगर आपको इस सम्बन्ध में कुछ बताना ही है तो कृपया मेरे कक्ष में आ जाएं और मुझे संतुष्ट कर दें कि यह मामला हाईकोर्ट से नहीं सम्बन्धित है ।

दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2-4-81 को श्री प्रभु नारायण सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि मान्यवर, इस योजना के स्वीकृत हुए वर्षों बीत गए और श्रीमन्, उस क्षेत्र के किसानों को आज्ञा दी गई थी कि उसको खाद और बीज वहां पर मिलने लगेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिए आपने कितना धन आबंटित किया था और क्या उस ठेकेदार को उसमें कुछ धन एडवान्स कर दिया गया था ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, 79.750 रु0 की लागत स्वीकृत है । दो बार ठेका दिया गया । एक बार कोई निविदा नहीं आई । दूसरी बार एक वीरेन्द्र बहादुर की आई । लेकिन वह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं । वह आ नहीं रहे हैं । नियमानुसार अब तीसरी बार निविदा मांगने की प्रक्रिया भी चलाई जायेगी और उस समिति को अस्वीकृत कर दिया जायेगा कि वह शीघ्र उस भवन का निर्माण करें ।

उक्त उत्तर में गोदाम के लागत मूल्य का विवरण ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है । मान्यवर, 72,000 रुपये की लागत स्वीकृत है । दो बार ठेका दिया गया । एक बार कोई निविदा नहीं आई । दूसरी बार एक वीरेन्द्र बहादुर की आई । लेकिन वह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं । वह आ नहीं रहे हैं । नियमानुसार अब तीसरे बार निविदा मांगने की प्रक्रिया भी चलाई जायगी और उस समिति को अधिकृत कर दिया जाएगा कि वह शीघ्र उस भवन का निर्माण करें ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

[मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ 670 पर ।]

दिनांक 29 जनवरी, 1981 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर का शोधन वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, 29 जनवरी, 1981 को श्री सूबेदार सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था :—

"कानपुर तथा मैनपुरी में 31-10-1980 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कोई मेडिकल आफिसर निलम्बित नहीं रहे । एटा

में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डा0 एस0 के0 सक्सेना दिनांक 29-4-1976 से निलम्बित हुए जो अब बहाल कर दिए गए हैं। डा0 सक्सेना को दिनांक 29-4-1976 से 26-2-1976 तक नियमित निर्वाहन भत्ता मिला। दिनांक 29-2-1978 से किन परिस्थितियों में नियमित निर्वाहन भत्ता बंद किया गया, इसकी जांच कराई जा रही है।"

श्रीमन्, उपरोक्त उत्तर अशुद्ध था, संशोधित उत्तर इस प्रकार है :--

"कानपुर तथा एटा जिलों में दिनांक 31-10-1980 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दो चिकित्साधिकारी निलम्बित थे। मैनपुरी में दिनांक 31-10-1980 तक कोई मेडिकल आफीसर निलम्बित नहीं रहे। कानपुर में डा0 एस0 के त्रिपाठी दिनांक 14-5-1970 से तथा एटा में डा0 एस0 के0 सक्सेना दिनांक 29-4-1976 से निलम्बित थे। डा0 एस0 के0 त्रिपाठी को निर्वाहन भत्ता दिनांक 1-6-1975 से बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें अदालत द्वारा सजा दे दी गई थी। डा0 एस0 के0 सक्सेना का निर्वाहन भत्ता दिनांक 1-3-1978 से मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बंद कर दिया गया था। किन परिस्थितियों में यह निर्वाहन भत्ता बंद कर दिया गया था, इसकी जांच कराई जा रही है।"

कृपया दिनांक 29-1-1981 को दिए गए उत्तर को इस परिप्रेक्ष्य में संशोधित समझा जाय। पूर्व में दिए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए मैं सदन से क्षमा प्रार्थी हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे समक्ष कार्य-स्थगन की 11 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से पहली सूचना माननीय श्री खैरुल बशर साहब की यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं तिब्बमोलुलतिब्ब कालेज, लखनऊ के प्रांतीयकरण करने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, जो कि नेशनल हैरल्ड ग्रुप, लखनऊ में 6-3-79 में हुई तालाबंदी को उ0 प्र0 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (द्वितीय) द्वारा गैर कानूनी घोषित किए जाने वाले निर्णय को अभी तक लागू न कराए जाने से सरकार के प्रति व्याप्त असंतोष के विषय में है।

तीसरी सूचना माननीय मोहन सिंह की है, जो लोकदल द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री मित्रसेन यादव जी की है, जो कि राजकीय बस के गंगा में गिरने से 50 व्यक्तियों की मृत्यु तथा बचे हुए लोगों को राहत कार्य दिए जाने के सम्बन्ध में है। इसी प्रकार की सूचना माननीय श्री मुख्तार अनीस, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री शंकर सिंह जी की है।

[श्री अध्यक्ष]

नवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य होने के बावजूद धारा 144 जाप्ता फौजदारी लगाने से जनमानस में असंतोष के विषय पर है ।

दसवीं सूचना श्री कुबेर भंडारी की वेतन पुनरीक्षण की घोषणा किए जाने के पश्चात् उसे लागू न किए जाने से उत्पन्न असंतोष के विषय पर है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय व श्री नंद किशोर सिंह जी की है, जो कि फर्जी मुठभेड़ों के विरोध में 20 हजार से ऊपर लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है ।

जहां तक बस के गिरने की सूचना है, इसके सम्बन्ध में माननीय भोलाभाल जी ने एक प्रश्न उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने, जो सूचना उनको प्राप्त थी, उसकी सूचना आपको दे दी है । अतः इस सम्बन्ध में कार्य स्थगन का प्रश्न अस्वीकार किया जाता है ।

जहां तक यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं तकमीलुस्तिब कालेज, लखनऊ के प्रांतीयकरण करने का विषय है, यह ऐसा विषय नहीं है, जो कार्य स्थगन के लिए विचारणीय हो । इसे भी अस्वीकार किया जाता है ।

यह दूसरा माननीय राजेन्द्र कुमार जी का है नेशनल हेराल्ड के विषय में । यह 6-9-79 में हुआ है कि ताला बन्दी को उ० प्र० इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (द्वितीय) द्वारा गैर कानूनी घोषित किए जाने वाले निर्णय को अभी तक लागू न कराये जाने के सम्बन्ध में । इसमें विलम्बनीयता का अभाव है, इसलिए कार्य-स्थगन अस्वीकार किया जाता है ।

तीसरा माननीय कुबेर भण्डारी जी का है कि वेतन पुनरीक्षण की घोषणा किए जाने के पश्चात् उसे लागू न किए जाने से उत्पन्न असन्तोष के बारे में । यह सभी बातें सम्भावना पर आधारित हैं, यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर भी आ चुका है । इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है ।

चौथा है माननीय मोहन सिंह जी द्वारा दिया गया कि लोकदल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सत्याग्राहियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर, उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में । यह भी कार्य-स्थगन के लिए स्वीकार नहीं..

श्री मोहन सिंह—

ऐसी नृशंसतापूर्वक घटनाएं हुई हैं, मान्यवर, बाराबंकी में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है ...

श्री अध्यक्ष—

यह सर्वश्री राम आसरे वर्मा, शिवानन्द नौटियाल, कुंवर सिंह नेगी तथा नरेन्द्र सिंह भण्डारी का है गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य होने के बावजूद धारा 144 जाप्ता फौजदारी लगाने से जनमानस में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

गढ़वाल में धारा 144 लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं। यह लिखा नहीं जायेगा जो वर्मा जी बोल रहे हैं।

दफा 144 लगाना या न लगाना यह प्रशासन का कार्य है। सरकार ने दफा 144 लगायी। इस सम्बन्ध में यहां क्या बहस हो सकती है? क्या सरकार जहां धारा 144 लगाये उस बात की जांच यहां होगी कि क्यों धारा 144 लगायी गयी है? यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (श्री राम आसरे वर्मा के पुनः खड़े होने पर) वर्मा जी, आप कृपया बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, मैं गढ़वाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, यह बहस का मामला नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, वहां पर धारा 144 लगा दी गयी है...

श्री अध्यक्ष—

इसके सम्बन्ध में मुझे कहना होगा कि..

श्री विद्यासागर नौटियाल—

यह एक अलग मामला है—

श्री अध्यक्ष--

यह अलग मामला नहीं है। मैं पहाड़ के मामले को सुनूंगा। आपकी आंखें जितना सीतापुर और हरदोई को देखेंगी उतना गढ़वाल को नहीं देख सकतीं इसलिए मैं उनको सुनूंगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, 27 अगस्त से गढ़वाल मण्डल के गढ़वाल और चमोली जिले में सरकार ने बिना किसी कारण के धारा 144 लगा दी। बहुगुणा जी का कार्यक्रम 27 तारीख को था और वहां पर 25 तारीख से 144 धारा लगा दी गयी। धारा 144 में तमाम दूकानदारों को पीटा व गिरफ्तार किया जा रहा है। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, जब मैंने उस धारा की नकल लेने की चेष्टा की तो कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश कर रहे हैं। मान्यवर, वहां के डाक बंगले में मैंने देखा कि तमाम जगहों पर बाहर से आकर तमाम असामाजिक तत्व कब्जा किए हुए हैं। तमाम डाक बंगलों में हमें जगह नहीं मिलती और बाहरी तत्व भरे पड़े हैं। इस प्रकार से मान्यवर, लोगों को डराया, धमकाया ही नहीं जा रहा है। जितने मंत्री वहां पर जाते हैं, सभी को मीटिंग होती है और हो रही है जिसमें श्री बीर बहादुर सिंह की मीटिंग हुई लेकिन अन्य लोगों को मीटिंग जिसमें हम लोग शामिल हैं, हमको मीटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। धारा 144 बिना कारण के लगायी जा रही है। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है मान्यवर, कि इसको रोका जाय।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यह तो प्रशासनिक दृष्टिकोण है, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

(श्री विद्यासागर नौटियाल से) गढ़वाल में 144 लगाने मे कार्य-स्थगन कैसे आता है ?

श्री विद्यासागर नौटियल—

गढ़वाल के अन्दर कोई ऐसी स्थिति नहीं थी केवल दूसरे राजनीतिक दलों को आतंकित करने के लिए 144 लगायी थी। कांग्रेस आई के लोग सादी वर्दी में हथियार बन्द होकर घूम रहे हैं और याहिया खां की फौजें जिस प्रकार पूर्वी बंगाल की जनता को आतंकित करती थीं वैसी ही हालत है। अतः गढ़वाल के अन्दर चन्द्र मोहन सिंह नेगी और दूसरे तमाम मंत्रीगण लोगों को धमका कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं...

(श्री राम आसरे वर्मा द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर)।

श्री अध्यक्ष—

आप यह परम्परा डालना चाहते हैं कि जहां-जहां 144 लगायी जाये उसके बारे में हम यहां निर्णय करें कि उचित था या नहीं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

एक मिनट सुन लें, मान्यवर। मान्यवर, नियमावली के नियम 58 के उप-नियम (3) में कहा गया है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा। गढ़वाल के बारे में यह निश्चित विषय है जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, 144 लगायी जा रही है साथ ही साथ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोकदल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्धित सत्याग्राहियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगत प्रस्ताव की सूचना

श्री मोहन सिंह--

(खून लगा हुआ कपड़ा दिखाते हुए) मैं आपको तथ्यों से भी अवगत कराते हुए अपने विषय की ग्राह्यता पर कुछ कहना चाहता हूं। 14 तारीख से पूरे प्रदेश में शान्तिपूर्ण सत्याग्रह की सूचना सरकार को दी। पूरे प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में लगभग 25 हजार सत्याग्रही सत्याग्रह किये लेकिन बाराबंकी में कुछ अभूतपूर्व घटना हो रही है। वहां श्री जमुना प्रसाद जी 14 को पकड़े गये और जो अपने पढ़ कर सुनाया, 16 को नैनी बारागार में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। पूरी रात कोतवाली में रखा गया, दुर्व्यवहार किया गया, लगभग 400 लोगों को लाठियों से पीटा गया, लगभग 2 बजे रात में वहां के ए0 डी0 एम0, डा0 रामशंकर सिंह कहे जाते हैं, उसने नशे में धुत्त हो कर अपने हाथ से लाठियां चलायीं, अभी तक आपके कार्यालय में इसकी सूचना नहीं आयी है। दूसरे दिन 15 तारीख को एक दूसरे विधायक रामसागर के नेतृत्व में 400 लोगों ने सत्याग्रह किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बिठाये रखा रात भर। कल दूसरे दिन लगभग 15 सौ लोग और गये और उन सबको लाठियों से पीटा गया, पीट कर भगाया। रामसागर का भी मारा गया। जब हम लोगों ने टेलीफोन किया कि माननीय नेता विरोधी दल आ रहे हैं तो रात के 11-00 बजे ले जाकर उन लोगों को रायबरेली के जेल में बन्द किया गया। 22 सत्याग्रहियों को निर्ममता से पीटा गया, उनके पूरे शरीर पर घातक निशान हैं, अभी हम लोग देखकर सुबह 10.00 बजे लौटकर आए हैं। 22 सत्याग्रहियों को, उनके साथियों को जो गांधी जी के बताये रास्ते पर शान्तिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, उन पर फर्जी बलवे का आरोप लगाकर उनको लाठियों से पीटा गया। 300 सत्याग्रहियों को रात के 2.00 बजे मारकर भगा दिया और रामसागर तथा 21-22 लोगों को जिनमें से कुछ के कपड़े में मान्यवर, आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। मान्यवर, इस प्रजातन्त्र के जमाने में अगर कोई अपनी बात शान्तिपूर्ण ढंग से कहना चाहता है तो फर्जी मुठभेड़ के नाम पर उसको मारा जा रहा है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, निरीह लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा है इससे गन्दी और घिनौनी बात और क्या हो सकती है मान्यवर और वह भी एक जन प्रतिनिधि के ऊपर। एस0 डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 स्वयं अपने हाथ में लाठी लेकर लोगों को पीटें इससे अधिक लज्जाजनक बात और कोई नहीं हो सकती इसलिए इस पर आप चर्चा अवश्य करायें। हम लोगों ने पूरक भेजा है वह कुछ समय के बाद आया लेकिन हमने पहले जो भेजा था इसको उसी में जोड़ लिया जाय और उसको स्वीकार करते हुए मान्यवर, इस पर चर्चा अवश्य करवायें। इसी तरह से एक एम0 पी0 रघुनाथ सिंह को जेल के अन्दर मारा गया तो मान्यवर, इस पर आप चर्चा अवश्य करवाइये।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री प्रदीप कुमार यादव के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायें।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम आसरे वर्मा जी आप बैठेंगे या खड़े ही रहेंगे । नहीं बैठेंगे तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है उस विषय में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन जिस कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय मोहन सिंह जी ने दी उस पर अवश्य दो बातें कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है कहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रजातन्त्र में अपनी न्यायोचित मांगों के लिए शासन का ध्यान शान्तिपूर्ण ढंग से आकृष्ट करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है लेकिन जिस तरह से सत्याग्रहियों के स थ व्यवहार किया गया और उनको पीटा गया इससे बड़ी गम्भीर बात प्रजातन्त्र के लिए और क्या होगी । उन्होंने न किसी प्रकार की तोड़-फोड़ की और न हिंसा की तब भी उसके बाद उन लोगों को लाठियों से मारा जाय इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है और जब अभी माननीय मोहन सिंह अपनी बात कह रहे थे और जिस समय खून से रंगे कपड़े दिखा रहे थे उस समय उधर के माननीय सदस्य हंसकर कह रहे थे कि क्या बकरे का खून है यह अत्यन्त ही हास्यास्पद है । यदि कोई अपने मानवीय अधिकारों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इससे अधिक गम्भीर घटना और कौन हो सकती है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विषय की अविलम्बनीयता और ग्राह्यता को देखते हुए मैं अपनी इस बात पर पुनः बल देता हूं कि इस पर आप चर्चा अवश्य करावें । जहां एस० डी० एम० और ए० डी० एम० मद मदान्ध हो सत्तारूढ़ दल की चाटुकारिता करने के लिए लोगों को लाठियों से पीटें तो इससे अधिक लज्जाजनक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है अतएव मान्यवर, आप इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करें और हमको अपनी बात करने का मौका दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सबको नहीं सुनूंगा ।

श्री भीखालाल--

अध्यक्ष महोदय, जो कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय मोह न सिंह ने दिया है उसके पूरक प्रश्न पर मेरा भी हस्ताक्षर है । यह विचारणीय प्रश्न है कि इस प्रदेश की स्थिति बड़ी ही गम्भीर है । जब विरोधी दल किसी समस्या को जनता के सामने और शासन के सामने रखना चाहता है और वह भी शान्तिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है तो सरकार उन समस्याओं को भी शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं रखने देना चाहती है । एक महीने से लोकदल व अन्य दलों के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और शान्तिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई हिंसक कार्य नहीं

करते हैं लेकिन उन लोगों के ऊपर भी जिलों से सरकार की तरफ से बराबर अत्याचार होने के समाचार आ रहे हैं । जब सत्याग्रही लोग अहिंसक तरीके से सरकार के सामने समस्याओं को लाना चाहते हैं, तो उनके साथ भी इस तरह से बर्बरता का व्यवहार किया जाता है जिससे मालूम होता है कि सरकार की तरफ से पुलिस राज कायम हो गया है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से सरकार किसी को हिंसक रास्ता अपनाने के लिये प्रेरित न करे । इस तरह की जर्जर अव्यवस्था है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लाठी गोली के जरिये लोगों को दबाया नहीं जा सकता है । आज के युग में प्रदेश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये ।

श्री सूबेदार सिंह--

अध्यक्ष जी, यह बड़ी गम्भीर समस्या है । संविधान में हमें यह अधिकार प्रदत्त है कि राजनीतिक लोग सत्याग्रह के जरिये अपनी मांगों को पेश करें और जनता तथा प्रदेश की सरकार का ध्यान उन तमाम समस्याओं की ओर आकृष्ट करें । मान्यवर, सबसे गम्भीर बात यह है कि जबकि कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार पुलिस के हाथ में अपना अधिकार सौंप दे.... ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में केवल सामान्य नागरिकों के साथ ही नहीं बल्कि प्रतिनिधियों के साथ भी अत्याचार हो रहा है । उनको लाठियों से पीटा जाता है । मुझे मैनपुरी के बारे में जानकारी है कि वहां के लोक दल के संसद सदस्य को गम्भीर चोटें आयी हैं । मालूम होता है कि वहां की पुलिस के हाथ में ही सारा प्रशासन दे दिया गया है । इसीलिये आपसे मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिये आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, पूर्व घोषणा के अनुसार 14 से 18 तारीख तक लोकदल की तरफ से सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप उसी बात को बार-बार दोहरायें नहीं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

लोकदल की तरफ से इस बीच बराबर सत्याग्रह चलता रहा । अभी परसों 15 तारीख को श्री रामसागर जी व श्री कपिल देव वर्मा सैकड़ों सत्याग्रहियों के साथ वहां गये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

क्या माननीय मोहन सिंह ने यह बात नहीं कही थी ? आप वही बात दोबारा कह रहे हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का मामला है, इसलिये कुछ न कुछ तो मुझे जरूर कह लेने दें । मैं कह रहा था कि जब श्री कपिलदेव वर्मा और रामनगर जा सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं के साथ सत्याग्रह करने गये तो उनको लाठियों से मारा गया जिससे उन लोगों को गम्भीर चोटें आयी हैं । दूसरी तरफ जब श्री रामपाल जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर तहसील में गये तो उनको भी लाठियों से पीटा गया । चारों तरफ से पुलिस फोर्स को लगाकर गेट बन्द करके लोगों को लाठियों से पीटा गया ।

जैसा कि अभी श्री मोहन सिंह ने श्री रमाशंकर सिंह के बारे में बतलाया वे वहां के ए0 डी0 एम0 हैं जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं । नशे की हालत में वे हमेशा अनपशनप बकते रहते हैं । साथ ही वे अपने को मुख्य मंत्री का रिश्तेदार भी बतलाते हैं जिनकी वजह से जिले के तमाम अधिकारी उनसे डरते हैं । ऐसी हालत में कोई भी अधिकारी वहां सही काम नहीं कर सकता है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय, प्रश्न है, इसलिये इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये ।

श्री रजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, माननीय मोहन सिंह जी और हमारे विपक्ष के नेताओं ने बाराबंकी में जो सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज हुआ है उसके बारे में अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न बताते हुये कुछ बातें कहीं । श्रीमन्, मैं भी यह बताना चाहता हूं कि 14 तारीख से सत्याग्रह चल रहा है । सीतापुर की एक सूचना मुझे दिन में मिली । हमारे करीब 900 सत्याग्रहियों को सीतापुर जिला प्रशासन ने पंजाबी धर्मशाला में बन्द कर रखा है जहां पर मुश्किल से 150 आदमी रह सकते हैं और 900 आदमी बंद किये हैं । हमारा परपज यह नहीं है कि इस माननीय सदन की कार्यवाही किसी तरह से डिस्टर्ब हो । मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क किया और कहा कि मुख्य मंत्री जी जहां डेढ़ सौ आदमी रह सकते हैं वहां नौ सौ आदमी रखे जा रहे हैं, वहां पर कोई व्यवस्था खाने की नहीं है, लेट्रीन की नहीं है । मेरे सामने उन्होंने खन्ना जी को टेलीफोन किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास यह रहा कि सदन के माननीय सदस्यों को किसी भी तरीके से सहायता पहुंचायी जा सके तो पहुंचाने का प्रयास करें ।

(व्यवधान)

मेरे आंखों में आंसू हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू होने चाहिये अपने साथियों के खून को देखकर के ।

मुझे रात में 7 बजे सूचना मिली बाराबंकी में इस तरह की वारदात हुई । मैंने माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री से पौने बस बजे प्रयास किया कानटेक्ट करने का । माननीय रिजवी साहब जानना चाहें तो अपने घर पर अपने सेक्रेटरी से पूछ लें मैंने टेलीफोन किया था । तीन बार मैंने प्रयास किया ।

श्रीमन्, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी नियत क्या है, हम क्या चाहते थे। जब रात पौने दस बजे कानटेक्ट नहीं हो सका तो मैंने इसी बीच विधान परिषद् में हमारे विरोधी दल के नेता माननीय महिपाल सिंह शास्त्री को कानटेक्ट किया कि हम सुबह वहां देखने जायेंगे। दस बजे टेलीफोन से डी० एम०, बाराबंकी को हम लोगों ने कहा कि हम सुबह आ रहे हैं। हम लोग सुबह गये। डी० एम०, एस० पी० से हमारी बातचीत हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन का एक सदस्य होने के नाते मुझ पर विश्वास करते हैं तो डी० एम० ने यह कहा कि राम सागर के साथ 15 तारीख को जो जुलूस निकला वह पूर्णतया शांतिप्रिय था। कोई झाड़ा नहीं कर रहे थे। जब मैंने यह प्रश्न किया कि शीशे क्यों टूटे तब उन्होंने कहा कि बाद में रात को झगड़ा हुआ। मैंने कहा कि मेरी सूचना यह है डी० एम० महोदय, एस० पी० महोदय कि शीशे आप ने तोड़े हैं उन लोगों ने नहीं तोड़े, वे लोग शांतिप्रिय बैठे रहे, 15 तारीख से बिठलाये रखा। 15 तारीख की दोपहर से 16 तारीख तक उनको बिठलाये रखा, चालान नहीं किया 144 लगी हुई थी। मैं अपने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह खून बकरे का खून नहीं है। मैं कहता हूं यह उनके साथी का खून है, मानव का खून है, आपके सत्याग्रही का खून है, आपके साथी का खून है बकरे का खून नहीं है। मैं नहीं कहता कि इसमें शासन का कोई हाथ है।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन आपको बदनाम करने के लिए हमारे साथ यह कर रहा है। रमा शंकर सिंह के बारे में जनता पार्टी के सत्याग्रहियों ने सूचना मुझे जेल में दी। उन्होंने बताया कि बाराबंकी का रमा शंकर सिंह अपने को मुख्य मंत्री का रिश्तेदार कहता है। बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह चीज है। मुझे सूचना दी गई। जनता पार्टी के आदमियों ने कहा। रमा शंकर सिंह ने खुद हमारे विधायक को मारा है, उनके चोटें हैं। साढ़े नौ बजे तक कोई भी आदमी, कोई भी डाक्टर या कम्पाउन्डर उनकी मरहम पट्टी करने के लिये जेल के अन्दर नहीं पहुंचा। वहां पर कोई श्रीवास्तव थे, हमने उनसे कहा कि इनकी डाक्टरी तो आप करवा दें, तो उनका कहना था कि करवा देंगे। राम सागर को हमारे 10 बजे तक टेलीफोन करने के बाद डी० एम० ने रायबरेली ट्रांसफर कर दिया। हम रायबरेली सदन में आने से पहले तो जा नहीं सकते थे। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो, सदन के कार्य को स्थगित करके इस पर चर्चा हो। माननीय बाजपेयी जो बैठे हैं, वे हमारी इस बात पर विश्वास करेंगे और बतायेंगे कि रमा शंकर जो वहां पर ए० डी० एम० हैं, वे किसके आदमी हैं। रमा शंकर सिंह बदायूं में शुगर कारपोरेशन में रिसीवर थे। भूतपूर्व मंत्री बेनी प्रसाद जी ने इनको वहां से कई चार्जेज में हटाया था। इसलिए बदला लेने की दृष्टि से उन्होंने इन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है....।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप हमको संरक्षण दें। यह मैं मानता हूं कि आपने हमको समय दिया। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी हमको मिल गये होते तो आज सदन का समय इतना न लेते। इसलिए मान्यवर, सदन की कार्यवाही स्थगित करके आप हमारी बात को सुन लें और इस पर चर्चा करा दें।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इतनी देर तक चर्चा करने के लिये जो आपने मौका दिया उसमें केवल एक ही बात निहित है कि क्या आप इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न मानते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि इसकी ग्राह्यता हो सकती है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिये हम सरकार से कह सकते हैं या नहीं। कुछ बातें तो इसमें दूसरे पक्ष से भी स्वीकार हैं। मान्यवर, इस प्रदेश का एक-एक आदमी जानता है कि हमारे कुछ राजनीतिक दल इस तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा जन मानस से सम्बन्धित जो आवश्यक सेवायें हैं उनके खिलाफ वे सरकार को मजबूर कर रहे हैं और उसका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। यह भी मान्यवर, सही है कि इन सत्याग्रहियों में से कुछ लोगों को जेलों में बन्द कर दिया गया। विवाद का विषय यह है कि एक पक्ष यह कहता है कि उनके ऊपर लाठियां चलाई गईं और दूसरा पक्ष यह कहता है कि 144 तोड़ी गई। इतना ही साबित हो जाय और इसको साबित करने के लिये जुडीशियल कोर्ट ही सक्षम है। तब तक इसकी ग्राह्यता और अविलम्बनीय लोक महत्व के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसकी ग्राह्यता निश्चित रूप से इस माने में है कि अन्याय हुआ, लाठियां चलाई गईं, बेरहमी से उनको पीटा गया। यहां पर यह भी कहा गया कि ये जो कपड़े हैं, इन पर बकरे का खून है। इसको साबित करने के लिये कि यह बकरे का खून है या इन्सान का खून है इसके लिये न तो निर्धारित एजेन्सी इधर के बैठने वाले हैं और न उधर के बैठने वाले हैं। इस प्रश्न पर आप विचार कर लें और सरकार से स्टेटमेंट दिलावें। कम से कम दो घंटे की इस पर चर्चा आप करवा दें।

मान्यवर, अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह समझा जायेगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इससे असन्तोष बढ़ेगा। जब असन्तोष बढ़ता है तो कल क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। लोकतंत्र की आधारशिला, जो हमने मानी है, उसमें विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष की भावना को जानने के लिए उधर के लोगों को कुछ मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिये। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसके वास्ते आक्षेप हो रहे हैं कि यह बकरे का खून है। इसके पहले भी इस सदन में कई दफा निर्देश दिये जा चुके हैं और समय-समय पर आपने सहृदय होने का परिचय दिया है। मैं चाहता हूं किसी तरह की चीज से ऊपर उठ कर इसकी ग्राह्यता को स्वीकार करें और इसे अविलम्बनीय लोक महत्व का समझ कर सरकार को मजबूर करें कि इस सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट दें और दो घंटे की चर्चा का मौका दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी--)

मान्यवर, इस पर पूरी चर्चा की तरह बात हो गयी है। जहां तक मैं समझता हूं इसके महत्व का जो सम्बन्ध है जो तथ्य सामने आये हैं उनको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले की जांच की जाय। किसी एम0 एल0 ए0 की ही बात नहीं बल्कि किसी भी नागरिक की सुरक्षा या उस पर किसी तरह की चोज होती है और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसकी जांच करे और उसके लिए जो भी अधिकारी दोषी हो या जो लोग दोषी हो उ के खिलाफ कार्यवाही की जाय। यहां दो-तीन बातें कही गयीं। एक बात तो यह कि माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ सूचनायें दी सीतापुर और बाराबंकी के सम्बन्ध में उसमें जो हुआ उसकी पूरी जांच कराकर उनको सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी जायेगी, जो-जो सुविधायें सीतापुर में लोगों को मिलनी चाहिये वह मुहैय्या की जायेंगी और कोई ऐसी बात नहीं होगा कि जो सत्याग्रही हैं उनको कष्ट हो।

माननीय मोहन सिंह जी ने जिस घटना की तरफ इशारा किया, कुछ कपड़े भी दिखाये इसके मुताल्लिक पूरी जांच करके आपके समक्ष रख दी जायेगी। यह आपका अधिकार है कि आप हमसे वक्तव्य देने के लिए कहें। इसमें मजबूर करने का सवाल नहीं है जैसा कि माननीय राज मंगल पाण्डेय जी ने कहा कि सरकार को मजबूर किया जाय। आपका आदेश शिरोधार्य होगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

अगर आप मानेंगे नहीं तो कैसे निवेदन करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी--

अगर आप कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो जो कुछ भी कहेंगे वह हमें शिरोधार्य होगा और सदन के सामने उस सूचना को रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी ग्राह्यता और उसके साथ-साथ जो तथ्य सामने आये उनको सुना और सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और इसे कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार कर रहा हूं किन्तु इस पर शासन की ओर से वक्तव्य और उस पर दो घंटे की चर्चा होगी, बाकी कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं।

श्री संदल बख्श--

मान्यवर, मेरा यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं तकमीलुत्तिब कालेज, लखनऊ के प्रान्तीयकरण के बारे में है। इस पर हमें जरा सुन लें। दो मिनट हमें भी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981।†

[1 बजकर 36 मिनट]

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सा विद्यालय को शासन ने अपना लिया था और अभी जून महीने में केन्द्रीय स्वास्थ्य बोर्ड की बैठक हुई 17 जून, को उसमें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत ले लिया गया।

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री लोकपति त्रिपाठी—]

हमारे प्रदेश में होम्योपैथी शिक्षा की स्थिति मेरी समझ से असन्तोषजनक, असन्तोषजनक शब्द भी मेरी समझ से उपयुक्त नहीं है, थी । बच्चे पढ़ते थे लेकिन उनकी समुचित शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और चिकित्सकों की व्यवस्था अपूर्ण रही । यह एक बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है । होम्योपैथिक जगत के छात्रों ने सन् 70 से बराबर होम्योपैथी शिक्षा पद्धति के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रयास किया, तत्कालीन सरकार से उन्होंने वार्ता की । फिर एक स्थिति आ गई कि वह सत्याग्रह पर चले गये और बहुत दिनों तक उनका सत्याग्रह चलता रहा । 4 मई, 1979 को पूर्ववर्ती शासन ने एक अध्यादेश द्वारा प्रदेश की होम्योपैथी शिक्षा संस्थाओं के ऊपर ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया । जब वर्तमान शासन आया तो उन्होंने यह प्रयास किया कि ऐसा अध्यादेश एक कानूनी रूप में सदन के समक्ष आ जाए और 81 का बजट जब मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो उस समय मैंने यहां कहा था कि दिसम्बर-जनवरी, 81 तक यह होम्योपैथी बिल सदन के सामने उपस्थित करूंगा । लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के बीच में आ जाने के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका और यह बिलम्ब हुआ, किन्तु आज यह सदन के सम्मुख उपस्थित है और मुझे विश्वास है कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा तथा उत्तर प्रदेश के चिकित्सा जगत में विशेषकर होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में एक नये अध्याय की स्थापना होगी तथा अच्छी शिक्षा व्यवस्था होम्योपथिक संस्थाओं में लड़कों को उपलब्ध हो सकेगी ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

राम आसरे वर्मा मेरी जगह रखेंगे, आप इनको अवसर दे दें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कहीं उसकी मूल भावना से हर आदमी सहमत होगा और यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि होम्योपैथी शिक्षा जगत के लिए जितना माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं । प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव इसलिए रखा गया है कि जब कोई नया कदम उठाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं, जिनकी तरफ उस समय ध्यान नहीं पहुंच पाता, अतः व्यापक रूप से हर समस्या का अध्ययन करने के लिए उसमें मौका मिल जाता है । गहन अध्ययन करने के बाद यदि ऐसा विधेयक यहां लाया गया होता तो इसमें जो कमियां रह गई हैं वह न रहती । मैं सदन का और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक की धारा 3 देखें जिसमें प्रबन्ध ग्रहण तो कर लिया गया है और उसके साथ-साथ जो भी सम्पत्ति विद्यालयों की थी, उस सम्पत्ति को भी विद्यालय ने अपनी सम्पत्ति मान लिया लेकिन मान्यवर, इन विद्यालयों के पास जो सम्पत्ति थी उसको तो शासन ने ले लिया लेकिन खून पसीना बहाकर जो इन

विद्यालयों को चलाने वाले थे उनके प्रति सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को नकारा है । 4 मई, 1979 को जब एक प्रबन्ध ग्रहण का विधेयक यहां पर आया था उसके पहले का वेतन तमाम अध्यापकों और कर्मचारियों का पड़ा हुआ है । उसके भुगतान के लिए इस विधेयक में कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि धारा 6 (1) में यह कहा गया है अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के बारे में कि नियत दिन से पहले जो रूप था वही लागू होगा इस विधेयक के जरिये से । मान्यवर, अगर हम यह कहें कि जिन विद्यालयों को सरकार ने लिया है, जिनका प्रान्तीयकरण किया है, उनमें काम करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता की नीति शासन ने नहीं अपनायी है, तो उचित होगा । इससे पहले भी यहां पर राज्य सरकार द्वारा होम्योपैथिक कालेजेज चलते हैं उनमें जो अध्यापक और कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए एक वेतनमान है । जब राज्य सरकार ने इन विद्यालयों को भी ले लिया, उनकी सारी सम्पत्ति को ले रहे हैं तो उनके अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतनमान भी उनके समान ही होने चाहिए जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे होम्योपैथिक कालेजों में हैं । इस बारे में भी इस विधेयक में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मैं यह नहीं कहता कि शासन की नीति समान करने की नहीं है लेकिन ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनके नतीजे कभी-कभी बड़े घातक हो जाते हैं ।

अब आप धारा 17 को देखें जिसके अनुसार 4 मई, 1979 का जो अधिनियम था उसको निरसित किया गया है । 1951 का भी एक ऐक्ट है तो जब आप एक नये दौर में कदम रख रहे हैं तो पुराने जो हमारे ऐक्ट्स हैं उनको भी निरसित किया जा सकता था । इससे मालूम होता है कि नये और पुराने ऐक्ट की खिचड़ी बन गयी है । कितने दिन यह काम करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

इसमें एक मुख्य चीज यह भी छूट गयी है या जानबूझकर नहीं ली गयी है कि जिन विद्यालयों का सरकार, प्रान्तीयकरण कर चुकी है उन विद्यालयों को किस विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जायेगा । यह भी प्राविधान इस विधेयक में किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया है ।

दूसरी चीज और एक आप देखें । केन्द्र सरकार की सेवा में जो डिप्लोमाधारी हैं, उनको भी और जो डिग्री धारी हैं, उनको भी ले लिया जाता है लेकिन यहां पर अभी तक हमारी सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है और न ही इस विधेयक में कोई इस प्रकार का ही प्राविधान किया गया है । मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं कि अच्छा यह होता कि इस बात को स्पष्ट कर देते कि होम्योपैथी जगत में एक समान नीति अपनायी जायेगी । डिग्री होगी, डिप्लोमा खत्म कर दिया जायेगा । इससे होम्योपैथिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता । चूंकि इन छोटी-छोटी बातों को इस विधेयक में समावेश नहीं किया गया है इसलिए यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाता तो इन तमाम परिस्थितियों का गहन अध्ययन हो जाता और उसके बाद प्रवर समिति अपनी सिफारिश के साथ 30 दिन के अन्दर इसे सदन में प्रस्तुत कर देती । मुझे विश्वास है कि वह सदन मेरे प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम आसरे वर्मा जी द्वारा रखे गये प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह सरकार जब होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय को अपने हाथ में ले रही है तो हमें यह भी देखना होगा कि शिक्षा देने वालों की, शिक्षा प्राप्त करने वालों की और चिकित्सा आदि की क्या व्यवस्था होगी और क्या यह जो कुछ हम कर रहें हैं वह चिकित्सा पद्धति के लिए उपयोगी होगा । इन सारी बातों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक ह कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाये और वहां पर सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार हो । जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह विधेयक लाया गया है वह पूरी नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां रह गयी हैं । हमको ऐसा विधेयक लाना होगा जिससे होम्योपैथी शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी बन सके ।

मान्यवर, इस विधेयक में कहीं यह बात देखने को नहीं मिली कि यह विधेयक पास हो जाने के बाद और राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिल जाने के बाद तुरन्त प्रभावी हो जायेगा । उसके लिए सरकार कोई तिथि तय करेगी । सरकार की नियत पर हम कोई शंका नहीं करना चाहते, पर इसमें निश्चित तिथि का होना भी आवश्यक था । अच्छा यह होता कि इसमें व्यवस्था यह की जाती कि यह विधेयक राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात तत्काल प्रभावी होगा ।

अधिग्रहण के बाद सारे असेट्स और लेखा जोखा सारा सरकार के कब्जे में आ जायेगा । यह बात भी इसमें स्पष्ट होना चाहिए थी । प्रबन्धक लोग जो उसकी सम्पति को हड़पने की कोशिश करेंगे उसको भी रोकना आवश्यक है । उसके लिए भी इसमें कुछ होना चाहिए था ।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस विधेयक की धारा 4 को आप देखें इसमें लिखा है--

नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे । मान्यवर, इसमें यह साफ नहीं है कि अधिग्रहण करने के बाद किस तरह से प्रशासन होगा, कैसे एडमीशन्स होंगे, किस प्रकार नियुक्तियां अध्यापकों की होंगी, इस सब की कोई व्यवस्था इसमें नहीं दिखायी पड़ती । क्या जिस तरह से प्री-मेडिकल टेस्ट होते ह उसी तरह की व्यवस्था एडमीशन्स के लिये होगी । इसका कुछ तो जिक्र कहीं होना चाहिये था । इसलिये इस सब पर विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में जाना जरूरी है ।

यह बात तो इसमे कही गयी है कि जब यह विधेयक पास हो जायेगा तो अध्यापकों को वही ग्रेड और सुविधायें दी जायेंगी जो पहले मिलती रही हैं, पर यह नहीं बताया जा रहा ह कि उसको राजकीय कर्मचारियों की भांति मिलने वाली सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है । उसका कोई कारण नहीं बताया गया ह । कुछ विद्यालय इसलिये तोड़ दिये गये कि उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया, लेकिन जो अध्यापक वहां काम कर रहे थे उसमें उनका क्या दोष था ? वे किस दोष के कारण निकाले जायेंगे ? जो सर्विस से निकाल दिये गये हैं, उनको, जब छात्रों को रख लिया गया, तो उनको किसी न किसी

विद्यालय में नौकरी जरूर दे दी जाय । हां, आपकी नियत है, मैं इस पर शंका नहीं कर रहा हूं । आगे-आगे जो विद्यालय सरकार के अधीन हो जायेंगे, उनमें जब-जब रिक्तियां हो जायेगी, तब-तब आप रखते चले जायेंगे । इसमें न जाने कितने वर्ष लग जायें । तो इसलिये आप सभी को रख लीजिये । दुबारा रखने में न जान कितना समय लग जायगा । इसलिये प्रत्येक अध्यापक जो-जो उस विद्यालय के बन्द कर देने से बेरोजगार हो गये हैं, उनको उसी शर्त पर पुनः समायोजित कर लीजिये । अधिग्रहण करने के दो वर्ष के पहले जितनी नियुक्तियां हुई थीं, उन सबके बारे में विचार तो किया ही जायगा । क्या वह नियुक्तियां सरकार की सहमति के अलावा हुई है ? यदि सरकार की सहमति से हुयी हैं, तो उन पर फिर विचार करने की क्या आवश्यकता है ? नये विद्यालय के खुलने पर तो भर्ती निषेध कर दी जायगी । ये विद्यालय दूकानें नहीं होनी चाहिये । जिस पवित्र उद्देश्य से विद्यालय चलाये जाते हैं, यदि उस उद्देश्य से नहीं चलाये जा रहे हैं, तो उनको बन्द कर दीजिये । यह बात कि अब पुनः विद्यालय खुलना नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री जयदीप सिंह—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कोरम का अभाव है, माननीय ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस विधेयक के अध्याय 3 पर, जहां महाविद्यालय खोलने पर निषेध कर दिया गया है, मन्त्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते समय स्वयं यह बात स्वीकार की कि चिकित्सा प्रणाली के प्रसार पर चर्चा करने की आवश्यकता है । जो भी शासन की प्रक्रिया हो, अगर कोई महाविद्यालय खोलना चाहता हो, तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिये । उसके बाद भाषायी और उपासना पद्धति के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनको विद्यालय खोलने को तो आपने अनुमति दी ही है, मैं तो सभी को देने के लिये कह रहा हूं । मैं स्वयं इस मत का हूं कि अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के विद्यालय चलाने की आजादी होनी चाहिये, वह चलायें, लेकिन आप देखें जब वह विद्यालय चलायेंगे, उनमें काम करने वाले अध्यापकों पर इस विधेयक का प्रतिबन्ध रहेगा । जहां पर अनुच्छेद 30 आजादी देता है, वहीं अनुच्छेद 29 में यह है कि एडमीशन, अध्यापकों की नियुक्ति आदि में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा । इसलिये पूर्णरूप से अगर हम इसको स्वीकार करलें, तो वहां पर जो अध्यापक कार्य करेंगे, उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी । पिछली बार जब विश्वविद्यालयों पर विचार हो रहा था तो मैंने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला था और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री यहां थीं, ने खड़े होकर कहा था और आश्वासन दिया था और मेरी बात से सहमति प्रकट करते हुये कहा था कि जहां अनुच्छेद 30 को संरक्षण देना चाहिये वहीं जो अध्यापक काम कर रहे हैं उनकी पूरी-पूरी सुरक्षा की बात भी होनी चाहिये । विद्यालय खोलने की आजादी देकर हम उनका गला काट देंगे ।

मैं तो यह कहता हूं कि सभी को आजादी देनी चाहिये । अनुच्छेद 30 के तहत आजादी है, इसका प्राविधान किया जाय किन्तु विद्यार्थियों के चयन में भेदभाव न किया जाय, और जो अध्यापक काम करेंगे उनकी सेवा की पूरी

[श्री जयदीप सिंह---]

गारन्टी शासकीय और प्राकृतिक नियमों के तहत जरूर दी जायेगी। इन सब बातों पर विचार करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, चिकित्सा मन्त्री नहीं थे इसलिये मैं दुबारा कह देना चाहता हूं, जिन उद्देश्यों से उन्होंने इसको रखा मैं उससे सहमत हूं किन्तु उस उद्देश्य को कैसे प्रभावी ढंग से किया जा सके, इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजना चाहिये। यह तत्काल प्रवृत्त नहीं होगा, शासन तिथि तय करेगा तो मेरे नाम, संशोधन के समर्थकों के नाम पर 30 दिन और विलम्ब मन्त्री जी कर लें, क्योंकि समिति में इधर और उधर के सदस्य होंगे और समितियों में हम दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं, समिति इस पर विचार करले ताकि इसमें जो कमियां हैं वह दूर की जा सके और नये रूप में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा सके। ताकि होम्योपैथिक प्रणाली चिकित्सा सही माने में सेवा कर सकें तथा अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन पर पुनः बल देता हूं।

*श्री चन्द्रवली ब्रह्मचारी--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे होम्योपैथिक विधेयक पर विचार करने का अवसर दिया। मैं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र के चन्द्रेश्वर स्थान से आता हूं। वहां पर मैंने स्वयं होम्योपैथिक कालेज खोल रखा है। मैं इस काम के लिये, जो हमारे स्वास्थ्य मन्त्री ने विधेयक रखा है, का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और इसके लिये धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, होम्योपैथिक शिक्षा के विद्यार्थी विगत 4 वर्षों से अपनी आवश्यक मांगें कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई-लिखाई का प्रान्तीयकरण होना चाहिये। उन्होंने बड़े ही सुचारु ढंग से सत्याग्रह किया। चार वर्ष का समय बीत गया लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुयी किन्तु गत वर्ष जब यह सरकार आयी है तो मौजूदा स्वास्थ्य मन्त्री ने आश्वासन देकर उन लड़कों और अध्यापकों की परेशानियों को दूर किया, इसलिये मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी सफलता का एक लक्षण जरूर हैं, जो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आयुर्विज्ञान कालेज को स्थापन, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्ष बाद जो कामना थी, वह इन्हीं स्वास्थ्य मन्त्री के समय में पूरी हुयी हैं। दूसरे होम्योपैथिक शिक्षा में जो लड़कों और अध्यापकों की परेशानी थीं उनको मन्त्री जी दूर करने के लिये यह विधेयक लाये हैं जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, प्रबन्ध समितियां जिन्होंने होम्योपैथी विद्यालयों को खड़ा किया मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसी में मैं भी हूं। प्रबन्ध समिति इस भार को वहन नहीं कर रही थीं, मैं उनके नजदीक हूं। चन्द्रशेखर होम्योपैथिक विद्यालय, जितने विद्यालय हैं, उनमें अग्रणी है, इसलिये मन्त्री जी ने जो यह काम किया है वह अच्छा है कि प्रान्तीयकरण किया जाय। प्रबन्ध समितियों को हटा कर जो होम्योपैथी कालेजों का अधिग्रहण किया गया उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि जल्दी से जल्दी, इस विधेयक के पारित होने के बाद, लड़कों की परीक्षा करा दी जाय। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि अभी पहले स्वास्थ्य मन्त्री जी से बात किया था कि इन कालेजों में अध्यापकों का कई महीनों से वेतन नहीं मिला है जो कि उन्हें दिलाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय, तो मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि बकाया वेतन दे दिये जायेंगे, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि शासन के अधिकारियों को इस दिशा में देर नहीं करना चाहिये ।

प्रबन्ध समितियों के बारे में दूसरा सुझाव है कि प्रशासक को तुरन्त समाप्त कर दिया जाय । चूंकि कलेक्टर के जिम्मे काम बहुत रहता है, तो वह अपने तहसीलदार स्तर के अधिकारी को इस काम को दे देते हैं जिनको पढ़ाई और दवा के बारे में पता नहीं है । इसलिये आपके विभाग के जो निदेशक हैं उनसे कहा जाय कि जो विद्यालय लिये जा रहे हैं उनमें ठीक से काम शुरू करायें ।

जो विद्यालय नहीं लिये जा सके हैं उनके छात्रों को आपने समावेश कर लिया नजदीक के स्कूलों में लेकिन उनके कर्मचारी जो हैं उनको समावेश करने की व्यवस्था आपने नहीं किया है जो करें चूंकि उन्होंने बहुत दिनों तक उसमें काम किया है, इसलिए उनको कठिनाई नहीं होनी चाहिये । आपने यह जो व्यवस्था किया है उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं । लेकिन इस व्यवस्था को आगे आप इतना अच्छी बना दें जिससे होम्योपैथिक शिक्षा और पद्धति का लोग अनुसरण कर सकें । होम्योपैथिक दवाओं के प्रति लोगों को झुकाव नहीं होता है क्योंकि इसमें राज्याश्रय बहुत कम प्राप्त है ।

मान्यवर, तमाम अस्पताल खुले हैं । स्वास्थ्य मन्त्री जी चाहते हैं लेकिन डाक्टर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं । आपके पास एलोपैथिक लड़के उतने नहीं मिलते हैं जितनी जरूरत है, तो आप होम्योपैथिक के जो लड़के हैं उनको इनकी जगह पर नियुक्त करिये तदर्थ आधार पर । आपके पास बजट नहीं है तो कुछ समय के लिये आप उनको नियुक्त करें और कोई भी शहर या टाउन एरिया का अस्पताल ऐसा न बचे जिसमें कम से कम एक लड़का होम्योपैथिक का न लिया जाय । इस बात का भी आप ध्यान दें कि जो होम्योपैथिक डाक्टर होते हैं वह एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल न करें । जब डाक्टरों की कमी है, बजट की कमी है, दवायें नहीं पहुंच पा रही हैं तो होम्योपैथिक की जो सस्ती दवायें हैं उनका लाभ उठायें । इसी तरह से जिस तरह से होम्योपैथिक की तरफ प्रयास किया है, इतिहास आपको धन्यवाद देने के लिए तैयार रहेगा, उसी तरह से यूनानी और अन्य जो पद्धतियां हैं उनकी तरफ प्रयास करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मान्यवर, मैं तो कभी-कभी बोलता हूं और पार्टी वाले मेरा नाम भेजते हैं या नहीं इसको मैं नहीं जानता हूं । मैं तो कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो वह बातें कर रहा हूं जिस पर ठोस लाभ है, बजट का लाभ है, पब्लिक का लाभ है । अगर उपाध्यक्ष जो सोचते हैं कि मैं समय-का अपव्यय कर रहा हूं तो मैं चुप हो जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समय का अपव्यय नहीं कर रहे हैं, मैं सदन को लाभ कराना चाहता हूं ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मैं पुनः इस विधेयक के लाने वाले स्वास्थ्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और इसी कामना के साथ चर्चा समाप्त करता हूं कि जो काम आपने किया है उसमें आप पूर्ण सफलता पायें ।

श्री खैरुल बशर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं सबसे पहले होम्योपैथिक के उन छात्रो को जिन्होंने लम्बे संघर्ष के साथ सरकार को इस स्थान तक आने के लिये बाध्य किया है । उनकी अभूतपूर्व और ऐतिहासिक लड़ाई और उनके संघर्ष को बधाई देता हूं और अभिनन्दन करता हूं कि उस संघर्ष और जन आंदोलन से यह बिल सदन में आया । मैं स्वास्थ्य मन्त्री को बधाई जरूर दूंगा कि आखिर उन्होंने सच्चाई को समझा और इस विधेयक को लाकर उन्होंने हमारे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया है, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । लेकिन साथ-साथ मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव किया है, प्रवर समिति को सुपुर्द करने का, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसलिये कि जो कमियां हैं इस विधेयक के अन्दर उनकी पूर्ति कर ली जाय और इसे ठीक रूप में कायम किया जाय और जो चीजें सुझायी गयीं, में उनका इसमें समावेश कर लिया जाय, में इसलिये इस संशोधन का समर्थन करता हूं । साथ-साथ 15 जो कालेज हैं उनमें 9 होम्योपैथिक कालेजों का प्रांतीयकरण किया गया है लेकिन 6 को छोड़ दिया गया है । उनके छात्रों को दूसरे कालेजों में जाने का अवसर प्रदान किया गया है ।

तो मैं मांग करता हूं कि टूटने वाले कालेज (1) बो० एल० डी० होम्यो-पैथिक कालेज, आजमगढ़, (2) आई० आई० डी० होम्यो० कालेज, जौनपुर, (3) ग्राम विकास होम्यो० कालेज, जौनपुर, (4) इलाहाबाद होम्यो० कालेज, इलाहाबाद, (5) जनवादी होम्यो० कालेज, कानपुर तथा (6) मलिकपुरा होम्यो० कालेज, गाजीपुर, इन कालेजों का भी प्रान्तीयकरण कर लिया जाए इसके साथ-साथ, जो कर्मचारी वहां पर काफी समय से कार्यरत हैं, उनको भी इसमें लिया जाए, जिस तरह छात्रों को समायोजित करने की व्यवस्था है और जब आपने प्रान्तीयकरण 9 कालेजों का किया है तो क्या कारण हैं कि इन यूनानी मेडिकल्स छात्रों को ऐसी दशा में छोड़ दिया जाए । जबकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके पिछले प्रथम सत्र में अपने भाषण के दौरान यह आश्वासन दिया था कि इन यूनानी कालेजों का भी प्रान्तीयकरण कर दिया जाएगा और मैंने इससे पहले जो काम रोको प्रस्ताव किया, वह इसी से सम्बन्धित था, क्योंकि इससे विद्यार्थी बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना दिये बैठे हैं और उनमें से कुछ लड़के तो आमरण अनशन की भी धमकी दे रहे हैं और कल भी कुछ लड़के मेरे पास आये और कह रहे थे कि इलाहाबाद हो० कालेज के जो प्रिन्सिपल हैं, वह ही इस कालेज के मैनेजर भी हैं, लेकिन वह ही इस कार्य में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन माननीय मन्त्री जी इस विषय में काफी चिंतित हैं, उनकी बातों से तो ऐसा ही आंभास हुआ कि उनके दिल में इसके लिए जगह है और वह इसके लिए कुछ करना चाहते हैं । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह होम्योपैथिक छात्रों ने आंदोलन करके आज सरकार को मजबूर किया ऐसा विधेयक लाने के लिए और आज आया भी है, उसी प्रकार से इनको ऐसा मौका न दें

करने के लिए और मैं जहां तक समझता हूं कि माननीय मन्त्री ऐसा अवसर नहीं आने देंगे और यूनानी मेडिकल छात्रों का जो हक है, वह उनको जरूर दिलायेंगे समय से, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं । श्रीमन्, ऐसा सीधा-सादा और सुन्दर विधेयक को देखने के बाद मैं यह नहीं समझता कि इस पर किसी प्रकार की वाद-विवाद की आवश्यकता होगी, लेकिन विरोध पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया है वह महज विरोध में होगे के खातिर । ऐसे सुन्दर विधेयक को तो बिना किसी बहस के पारित किया जाना चाहिए था । सदन के अन्दर श्रीमन् जितने भी माननीय विपक्षी सदस्यों ने संशोधन रखें हैं, उन सब ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सराहना ही की है । लोकतन्त्र के अन्दर और संविधान में विरोध पक्ष के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन की पूर्ण स्वतन्त्रता है, याद उसी के अनुसार . . .

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, बेहतर होगा यदि वह विधेयक के बारे में ही कहें और विरोध पक्ष को जिम्मेदारियों को विरोध पक्ष पर ही छोड़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं तो उनको कैसे कहा जाए कि वह केवल विधेयक पर ही बोलें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौ ल--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यदि विरोध पक्ष को कुछ संशोधन लाना ही है, या विरोध करना ही है तो उनसे यह उपेक्षा की जाती है कि वह कोई स्वस्थ विरोध करें या कोई रचनात्मक विरोध करें ।

आप महज विरोध की खातिर विरोध न करें और इस विधेयक में, मैं समझता हूं कि यह जो प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन, है, इसका कोई औचित्य नहीं है ।

मुझको याद है, जब मैं विरोध पक्ष में बैठता था, तब जब उधर बैठे हमारे माननीय सदस्य इधर बैठे हुए थे और इस प्रदेश के होम्योपथिक छात्र अपने आन्दोलन को चला रहे थे, उस समय उन पर जो अत्याचार किये गये, मुझे पूरी जानकारी है । इसी विधान सभा के गेट के सामने सड़क के ऊपर विगत शासन ने, जो उन पर अत्याचार किये, उनको घसीटा गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेलों में बन्द किया गया । एक गम्भीरतम मुजरिम जो होता है, उसको जो सजा दी जाती है वहीं सजा उनको दी गयी । हमने उस समय जो सवाल उठाया था, उसी के निराकरण के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं अपेक्षा करता था कि विरोध पक्ष के द्वारा संशोधन प्रस्ताव के बजाय अगर आभार प्रदर्शन का प्रस्ताव लाया गया होता तो अच्छा होता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० टर कृष्ण वीर सिंह कौशल---]

श्रीमन्, यह आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक महाविद्यालय किस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से चाय और पान की दुकानें खुल जाती हैं, वही इनकी हालत थी, वे व्यापारिक संस्थान हो गये थे। छात्रों की सुविधा का कोई ध्यान नहीं था। उनके भविष्य को अन्धकारमय बना दिया गया था, जिससे कि चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिर रहा था। जिन छात्रों ने प्रवेश ले लिया था, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। जिन कमियों की बात विरोध पक्ष ने रखी। कमियां तो हर चीज में होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन जिस नेकनियती से विधेयक लाया गया है, एक अच्छे काम के लिये प्रयास किया गया है, वह सराहनीय है। इसमें जो कमियां हैं, वह जादू के डन्डे से एक साथ दूर नहीं हो जायेंगी। जब यह विधेयक आ जायगा, तो जो कमियां रह जायेंगी, उनका भी निराकरण स्वतः ही हो जायगा। जहां तक कुछ होमियो महा विद्यालयों को और इसमें जोड़ने की बात है, तो मैं इस मत का हूं कि किसी भी महाविद्यालय को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और भी जो महाविद्यालय हैं उन्हें भी इसके अन्दर लाना चाहिये। अध्यापक हैं, छात्र हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करना चाहिए।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने जिस नेकनियती से एक अच्छे कार्य की शुरूआत की है, उसके लिये यह शासन एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी बधाई के पात्र है लेकिन आज जो एलोपैथिक महाविद्यालयों की दुर्दशा है, वह खामियां इसमें नहीं आनी चाहिये। इन्हें अगर आप रोकेंगे तो निश्चय ही जिस अच्छे उद्देश्य के लिये आप विधेयक लाये हैं, वह उद्देश्य सफल होगा और आने वाली पीढ़ियां स्वास्थ्य मन्त्री जी आपको याद रखेंगी और आपको दुआ देंगी कि छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उसे आपने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही मेरा विरोध पक्ष के लोगों से अनुरोध है कि यह बड़ा सुन्दर विधेयक है इसे सर्वसम्मति से पारित करें। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को और शासन को पुनः धन्यवाद देता हूं कि वे इतना अच्छा विधेयक लाये हैं।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधयक का विरोध करने के साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन का समर्थन करते हुए कि इसको प्रवर समिति में विचार करने के लिये सौंप दिया जाय। इसकी आवश्यकता पर मैं इसलिये बल देना चाहता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष चाहे होम्योपैथिक शिक्षा हो, चाहे एलोपैथिक शिक्षा हो, इसमें छात्रों के प्रवेश की जो पद्धयति अपनायी गयी है, वह एक सी ही है। आज जो होम्योपैथिक विद्यालय चलते है, उनकी सम्पूर्ण व्यवस्था को देखकर ऐसी मनःस्थिति बनती है कि यदि सरकार के हाथ में यह विद्यालय आ जायेंग तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की सम्भावना कम ही है। सरकार से इस बात की तो सम्भावना है कि वह अध्यापकों तथा कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का प्रबन्ध कर दे, अन्य साधन जुटा दे, पर शिक्षा पद्धति में सुधार लाये या उसे अच्छी कर सके, ऐसी सम्भावना नहीं है। होम्योपैथिक की सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया गया है। ऐलोपैथिक शिक्षा के लिये बजट बहुत रहता है, उसके लिये इतना बजट रखा जाता है कि उसकी शिक्षा का

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

अच्छे से अच्छा प्रबन्ध किया जाय, इस पर शासन समय-समय पर विचार करता रहा है। लेकिन इस विधेयक के पढ़ने के बाद कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आयी, इसमें मन्त्री जी कहीं भी संकेत करते कि एक अच्छे डाक्टर के उपलब्ध कराने पर, उसकी व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। उनका प्रवेश डाक्टरी में एलोपैथिक विद्यार्थियों के समान होता है, लेकिन उनका स्टेटस समान नहीं है जब कि वह भी उतना समय अपनी पढ़ाई में लगाते हैं जितना कि एक एलोपैथिक का विद्यार्थी अपना सम्पूर्ण समय लगा कर पढ़ता है।

श्रीमान जी, अब तो इस बात के लिये हम पुष्टि चाहते हैं कि चाहे होम्योपैथिक का छात्र हो या चाहे एलोपैथिक का छात्र हो, उसको प्रवेश के लिये समान परीक्षा देनी पड़ती है। उसके उत्तीर्ण होने पर वरीयता की सूची में से 50 प्रतिशत एलोपैथिक छात्रों के लिये योग्यता प्राप्त करना जरूरी होता है और होम्योपैथिक के विद्यार्थियों के लिये भी 50 प्रतिशत होना आवश्यक है। लेकिन आज प्रदेश में दोनों की शिक्षा देने की व्यवस्था जो है, उसके प्रबन्ध में महान अन्तर है। जिससे स्पष्ट होता है कि आज भी किसी राजनैतिक दबाव के कारण से हमारे होम्योपैथिक के छात्रों को जो उन्होंने अपनी मांगों के लिये प्रदेश में आन्दोलन किया है, उन्होंने इसलिये नहीं आन्दोलन किया था। उन्होंने आन्दोलन इसलिये किया था कि हमको प्रबन्ध व्यवस्था के साथ-साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था भी सुधारी जाय और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमको समान स्टेटस दिया जाय। लेकिन इस विधेयक के अन्दर, जैसी कि हमारी मन्त्री महोदय से उनके कमरे में बातचीत हुई थी, इसमें वह बात नहीं लायी गयी है और मैं यह मांग करता हूं कि आज होम्योपैथिक चिकित्सा के विद्यार्थियों का स्तर प्रदेश में ऊंचा किया जाय, जैसा कि एलोपैथिक के विद्यार्थियों को प्राप्त है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक में यह एक बात देखने को मिली है कि केवल 9 होम्योपैथिक महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया जा रहा है और उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था में 5 लाख रुपये बजट में रखे गये हैं। मैं पूछता हूं कि 5 लाख रुपयों से क्या होगा ? इसके बारे में मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहता हूं कि यह अधूरा बजट है, धोखे वाला बजट है। इससे प्रबन्ध की व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन जो हमारे होम्योपैथिक शिक्षा के छात्र हैं उनके लिये किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है कि उनके लिये उसके लिए अध्यापक, पुस्तकालय, औषधि निर्माण केन्द्र आदि के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिए इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। कोई आफत, कोई पहाड़ नहीं टूटा पड़ रहा है कि 30 दिन के अन्दर अगर यह न हुआ तो यह चौपट हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर और विचार कर लें इसके लिए संशोधन को स्वीकार किया जाय।

एक छोटी सी बात और कहनी है मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि योग्यतानुसार, जब अध्यापकों की आवश्यकता होगी, हम उनका प्रवेश कर लेंगे। अगर 4-5 साल तक आवश्यकता न हुई और काम कर रहे हैं तो उनकी जीविका का प्रश्न खड़ा हो जायेगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जो प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं 9 विद्यालयों का, उनको सर्विसेज जिनका प्रान्तीयकरण किया जा रहा है, इसमें समावेश किया जायेगा। इतना कह कर मैं पुनः मांग करता हूं कि यह और सुन्दर बन जायेगा। सुन्दर होते हुए भी कलिख लगा है मत्थे पर। इसलिए यह आवश्यक है कि सुन्दरता में और सुन्दरता आ जाये। अतः संशोधन को मान कर प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक विधेयक पर जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आजादी के विगत 30 वर्षों के बाद इस सदन के अन्दर होम्योपैथी के सम्बन्ध में, उसकी शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने जिस बुलन्दी के साथ आवाज उठाया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष इस बात को सर्वदा याद रखेगा कि लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मन्त्री ने होम्योपैथी में सुनहरा काम किया है, यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। जिस नीति को बुलन्द किया है, वह सर्वदा इस बात को साक्षी, गवाह होगी कि यह पद्धति ऐसी है जिसे डा० हनीमैन ने, सारा ज्ञान, टेक्नालाजी जानने के बाद भी वह मजबूरियां आया जिन्होंने इस पद्धति को ईजाद किया, बुलन्द किया कि संसार से, दुनिया से मनुष्य को सही रूप में अगर स्वस्थ करने के लिए कोई दवा है, कोई इलाज है तो शायद वह होम्योपैथी है और उसी को दृढ़ता और विश्वास के साथ रखा और निरन्तर मैं देख रहा हूं कि दिन-प्रति-दिन तरक्की के रास्ते पर बुलन्दी के साथ अग्रसर होते जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज से 5 वर्ष पहले होम्योपैथिक के छात्रों ने जितनी कुर्बानियां दीं, जितना त्रस्त रहे, इसी जनता रिजीम में मैं देखता था कि बेचारे बेसहारा विद्यार्थी अपने हक की मांग कर रहे थे। और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षा के मामले में आप जितनी कड़ाई कर सकें वह करें और वह होनी चाहिए और सेम क्वालिफिकेशन तथा सेम डिग्री रखें। आपने समान शिक्षा रखा है अगर यही पद्धति आपने एलोपैथिक में भी रखा है तो मेरा आपसे एक आग्रह होगा कि उस पद्धति को अवश्य रखें लेकिन उसके साथ ही आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा कि अगर सेम क्वालिफिकेशन के लड़के आते हैं और अगर वही इकानोजी बैकोलोजी उनको पढ़ाई जाती है और अगर वही आयुर्वेद के विद्यार्थी को और अगर वहीं एलोपैथी में पढ़ाया जाता है और अगर सेम डिग्री उनको दी जाती है तो मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि उनका वेतन भी समान होना चाहिए। उनको एलोपैथिक के समान ही वेतन देना चाहिए। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने सूचना दी कि हर जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सक के रूप में एक होम्योपैथ का भी रहेगा तो इसके लिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को पूरे प्रदेश के लोगों की तरफ से बधाई देता हूं और उनका सर्वदा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने जो नई चेतना और विवेक पैदा किया है।

[2 बजकर 36 मिनट]

हमारे वर्मा जी ने अधिग्रहण के सम्बन्ध में कहा। अधिग्रहण आपने किया, वह अच्छी बात है कुछ विद्यालयों को छोड़ दिया गया तो उसमें उन विद्यालयों और विद्यार्थियों का क्या दोष था जिनको छोड़ दिया गया, वह तो पुरानी चली आ रही व्यवस्था का दोष था। यदि आप उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक के छात्र को या गांव में बसने वाले गरीब को ऊपर उठाने की कोशिश में हैं तो मान्यवर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन विद्यालयों को भी निश्चित रूप से लेने की कृपा करें। आप जितनी कड़ाई कर सकें छात्रों के प्रवेश में वह करें, जो आपके नियम और नियमावली हों, तौर तरीके हों निश्चित रूप से उनके नीचे जाकर कोई काम न करें लेकिन वहीं मेरा एक आग्रह और होगा कि जो इस शिक्षा के अध्यापक रखे जायें वह निश्चित रूप से किसी अच्छे कालेज के हों और अध्यापक के योग्य हों और क्वालिफाइड हों तभी उनको रखा जाय। अन्यथा अभी तक प्रबन्ध समिति की बात चल रही थी। मैंने ऐसा देखा है, यह देख की बात न होगी और आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम ऐसे विद्यालय बनिये की दूकान की तरह से खोल लिये जाते हैं, छात्रों से फीस ले ली जाती है और अपने ऐशोआराम के साधन जुटा लिये जाते हैं और छात्र बेचारे जो दो चार साल पढ़ते हैं, फिर उनकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। और न सुचारु रूप से उनकी शिक्षा ही चल पाती है। ऐसी स्थिति में मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों को निश्चित तौर पर तोड़ दिया जाय और तोड़ कर जो सुन्दर व्यवस्था प्रबन्ध समिति के तहत कालेज खोलने व उसका चार्ज ग्रहण करने की उनके द्वारा की गयी है उसमें उन विद्यार्थियों का प्रवेश दिलाया जाय।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा विभाग के लिये जितना अनुपूरक बजट माननीय मंत्री जी ने मांगा है मेरी समझ में निश्चित रूप से वह कम है। अगर वे उसके लिये और अधिक बजट की मांग करते तो होम्योपैथी चिकित्सा विभाग का उद्धार कर सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से यह उम्मीद करता हूं कि आगे चल कर होम्योपैथी के बजट में और ज्यादा वृद्धि होगी।

*श्री भगवती सिंह विशारद--

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और उसके सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारे होम्योपैथिक विद्यालयों और छात्रों की तरफ से बहुत समय से यह मांग चली आ रही थी कि हमारे इन महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया जाय। उनकी इस भावना के पीछे केवल यह भावना निहित थी कि अगर सभी महाविद्यालयों को एक स्तर पर लाया जायेगा तो इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, योग्य चिकित्सक वहां से निकलेंगे। साथ ही प्राध्यापकों का दृष्टिकोण यह था कि अगर सभी विद्यालय एक व्यवस्था के अन्तर्गत आ जायेंगे तो उनको सेवा सुविधाओं में भी उनको लाभ होगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पिछले आश्वासन को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया और इस विधेयक को इस सदन के समने प्रस्तुत किया है। अपने आश्वासनों की पूर्ति तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमेशा से करते रहे हैं। जब उन्होंने होम्योपैथी के लिये अलग से एक निदेशालय खोल कर एक निदेशक की नियुक्ति की थी तो उस समय भी मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दी थी और इस बार भी उनको बधाई देता हूं कि आज उनका आश्वासन पूरा हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती सिंह विशारद---]

माननीय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर जो संशोधन रखा गया है उसका विरोध मैं इसलिये कर रहा हूं कि होम्योपैथिक विधेयक को पास होने में इस तरह से दो चार महीने की और देर हो जायेगी। इस समय हमारी व्यग्रता यह है कि जल्द से जल्द यह विधेयक पारित हो जाय और अधिनियम बन कर यह शीघ्र से शीघ्र लागू कर दिया जाय। इस व्यग्रता में माननीय गुप्त जी का जो संशोधन है वह बाधक है। इसलिये मैं चाहता हूं कि छात्रों व प्राध्यापकों की भावना का आदर करते हुए शीघ्र से शीघ्र इस विधेयक को अधिनियम के रूप में परिवर्तित करके इसे लागू करा दिया जाय जिससे उनका स्थान भी प्रतिष्ठित हो सके और उनके अधिकारियों का आदर हो सके।

एक बात की तरफ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं कि बहुत से विद्यालयों के छात्रों को परीक्षायें नहीं हो सकी हैं तो उनकी परीक्षा का प्रबन्ध भी शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते समय इस बात की घोषणा आज ही कर देंगे कि कब तक होम्योपैथिक छात्रों की परीक्षा हो जायेगी। शासन की तरफ से एक घोषणा हुई थी कि सन् 79 के अगस्त, सितम्बर या जून तक प्राध्यापकों को जो वेतन प्राप्त होता था, वही वेतन प्रशासक की नियुक्ति के बाद दिया जायेगा। लेकिन उसमें कठिनाई यह है कि सन् 79 के बाद जब प्रशासकों की नियुक्ति की गयी तो बहुत से विद्यालयों की तरफ से अपने प्राध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गयी थी। लेकिन सरकार ने सिर्फ मापदण्ड रखा है कि जून या मई, 1979 में जो वेतन प्राप्त होता था वही वेतन देय रहेगा। जो बीच में वेतन वृद्धि हो गई है उस वृद्धि को भी समायोजित करना चाहिए और प्रशासन को निर्देशित करना चाहिए कि जो वेतन उनको इस समय प्राप्त हो रहा है वही वेतन उनको प्रदान किया जायेगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह आशा करूंगा कि जो 6 विद्यालय रह गये हैं उनके लिए कोई न कोई आधार शासन की ओर से घोषित होना चाहिए जिससे कि वे भी प्रान्तीयकरण की पद्धति में शामिल किये जा सकें। वहां पर छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के संशोधन का विरोध करते हुये यह आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को बहुमत से पारित करेगा और शीघ्रातिशीघ्र अधिनियम बना कर इसे लागू करेगा।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया। वैसे मैंने अध्ययन तो इसका नहीं किया है सिर्फ चाहता हूं कि कुछ बोलूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का मैं भारी समर्थक हूं और यह चाहता हूं कि इस चिकित्सा पद्धति का अधिक से अधिक प्रचार हो और इसका लाभ लोगों तक पहुंचे । लेकिन आज तक जो मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास कर रहे हैं और यह विश्वास दिलवाने का श्रेय जो हमारे मित्र बैठे हैं सत्तारूढ़ दल में उनको जाता है । यह ठीक है कि प्रान्तीयकरण इनका हो जाएगा, महाविद्यालयों का, छात्रों का, कर्मचारियों का लाभ जरूर होगा लेकिन मुझे इस पर शंका है कि जिन ग्रामीण गरीबों के लिए यह चिकित्सा पद्धति चलाई गई उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इतना जरूर जानना चाहूंगा कि आज तक जो सुविधा आप दे रहे हैं एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पद्धति से उससे आप कितना लाभ जनता को पहुंचा रहे हैं । मान्यवर मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं इससे कुछ हट कर । गत वर्ष भी मैंने जब माननीय मन्त्री जी यहां पर एक प्रश्न का उत्तर देते समय बोल रहे थे कहा था कि मेरे जनपद में स्वीपर दवा लगभग डेढ़ वर्ष से बांट रहे हैं । अभी तक उन क्षेत्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं की । ठीक है वाह-वाही लूटने के लिए आज इन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक छात्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई जरूर देंगे लेकिन मेरा जैसा आदमी जो है वह डेढ़ वर्ष से लगातार इस सदन में आकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से उनके चरण कमलों में नत मस्तक होकर निवेदन कर रहा है कि मान्यवर हमारे ग्रामीण अंचलों में जहां पर स्वीपर दवा बांट रहा है चिकित्सकों की व्यवस्था, कम्पाउन्डरों की व्यवस्था करा दीजिए । अनेक पर्वतीय अंचलों में चिकित्सक जाना चाहते हैं । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मिला । उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे एक लिस्ट दे दीजिए उन चिकित्सकों की जो वहां सेवा करना चाहते हैं । मैंने कहा कि मैंने तो स्वास्थ्य मंत्री जी से कई बार निवेदन किया है । आपको भी लिस्ट दूं इसका औचित्य मेरे समझ में नहीं आता । यह तो टरकाने की बात है । यह वाह-वाही कमाने की जो बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है इसमें वाह-वाह जरूर लेंगे क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूं कि जो हमारे नेता हैं उन्होंने वाह-वाही खूब ली और उनका लाभ आम जनता को नहीं मिला । अखबारों में और रेडियो में यह बात आ जायेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में जो आप आजतक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सके हैं तो जो आप इन होम्योपैथी के महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं, उनसे निकले हुये जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं वे ग्रामीण अंचलों को कहां तक सेवा कर पायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता है । मान्यवर, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज गांवों में क्या हालत है । आप जायेंगे तो वहां कुछ व्यवस्था तो मिल जायेगी लेकिन ग्राम जनता के लिए वहां कुछ भी नहीं है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र सल्ड में एक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर दो चिकित्सक होने चाहिए....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप परिधि के बाहर जा रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में 2 डाक्टर

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---]

होने चाहिए, महिला चिकित्सालय भी वहां पर कोई नहीं है । वहां पर भिख्यासेन में से उधार में दो दिन के लिए डाक्टर सल्ड लाये गये ताकि यदि मन्त्री जी का तबीयत खराब हो तो उपचार किया जा सके । मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बात को गारन्टी दें मेरे क्षेत्र में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें वे गरीबों को दें । जो लोग निर्धन हैं, निर्बल हैं, उनको ओर चिकित्सा सम्बन्धी ध्यान सरकार का नहीं गया है... ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

समय तो समाप्त हो ही गया है । लेकिन आप गारन्टी दिला दें कि स्वास्थ्य मन्त्री रानीखेत और अल्मोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की व्यवस्था करा देंगे । मैं शर्मिन्दा हूं, इस बात को कहने के लिये कि आज प्रदेश में चिकित्सकों को कमी नहीं है....।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप विराजें । वह कहने का यह उचित समय नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

थोड़ा सा और कह दूं । यदि आप वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था की घोषणा आज ही कर देते तो मैं आपको बधाई देता और धन्यवाद देता । वहां पर हम लोग तड़फ रहे हैं, कोई डाक्टर नहीं है । वहां पर प्राइवेट डाक्टरी करके लोगों को लूटा जा रहा है । इसलिये इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप ध्यान दें और व्यवस्था कर दें ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, इस विधेयक पर प्रस्तुत मेरे संशोधन के पक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनको धन्यवाद देना चाहूंगा । चर्चा में कुछ बातें इसके सम्बन्ध में ऐसी उठीं जैसे कि इस विधेयक और लोकतंत्र को एक तराजू पर तौलने की बात कही गई । मैं लोकतंत्र को मान्यता के आधार पर यह पूछना चाहूंगा कि यह कहां का लोकतंत्र है कि इन महाविद्यालयों की सम्पत्ति तो आप ले लें लेकिन जो उन पर दायित्व है उसको लेने की आप जिम्मेदारी नहीं समझते हैं । दूसरे, 15 महाविद्यालयों में से 9 का तो आपने अधिग्रहण कर लिया 6 को छोड़ दिया । विद्यालयों को तो आपने समायोजित कर लिया किन्तु उनके कर्मचारियों ओर अध्यापकों के बारे में आपने क्या सोचा ? यह कहीं नहीं लिखा है । यही आपका लोकतंत्र है ? इसे भी लोकतंत्र की मान्यता मानते हैं । शिक्षा में समानता न रहे, कहीं डिप्लोमा मिले और कहीं डिग्री मिले, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर मैंने संशोधन रखा है ।

जो कमियां इसमें रह गयी हैं वह रहने न पायें । यह बात मैंने पहले ही कह दी है कि होम्योपैथी शिक्षा और चिकित्सा के बारे में शासन ने जो भी कदम उठाये हैं उनकी सराहना हर आदमी करेगा । लेकिन यह कदम कोई स्वतंत्र रूप से नहीं उठाया गया उनके बीज बहुत पहले पड़े हुए हैं । 4 मई, 1979 को ही यहां पर एक अधिनियम बना था उस अधिनियम को आगे बढ़ाने

का काम माननीय स्वास्थ्य मन्त्री कर रहे हैं, कोई नयी चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो प्रयास आप कर रहे हैं, वे सराहनीय हैं। लेकिन इसके साथ ही आगे के लिए कमियां छोड़ दी जाती हैं जिनके लिए छात्रों ने संघर्ष किया, जिसको गाथा सत्ताधारी लोग गा रहे हैं कि छात्र दर-दर घूमते थे। उनका कोई सहारा नहीं था। आप ही सहारा बन कर क्यों नहीं आ गये जिसके कारण कहा जा रहा है कि पिछले शासन पर आंच आई तो उस अध्याय को अपने शासन में आप न दोहरायें। क्योंकि छात्र वही हैं, अध्यापक और कर्मचारी वही हैं अगर उनके साथ निष्पक्षता न बरती गयी तो संघर्ष का इतिहास इस बात का सबूत है कि आगे आने वाले दिनों में भी वे पीछे नहीं रहेंगे। यह मेरा विश्वास है।

मैं चाहता हूं कि जो संघर्ष का तूफान पिछले लोगों ने झेला है, उसका सामना माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को न करना पड़े इसी के लिए मैंने यह संशोधन रखा है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की जो भावना है होम्योपैथी शिक्षा चिकित्सा को आगे बढ़ाने की, इस संशोधन से उसको भी बल मिलेगा और इस जनोपयोगी चिकित्सा को भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने संशोधन पर बल देना चाहता हूं और विश्वास करता हूं कि संघर्ष की दुहाई देने वाले हमारे साथी, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले साथी इन मान्यताओं की कसौटी पर अपनी बातों को कस कर देखें और मेरे संशोधन का समर्थन करें।

श्री लोकपति—

मान्यवर, मैं आभारी हूं अन्य सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। मैं दुखी हूं कि माननीय राम आसरे वर्मा ने यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा कि 30 दिन के लिए इसे रोक दिया जाय। लोकतंत्र की बात की। श्रीमन्, उन्होंने तो जितने विन्दु उठाये हैं, उन सब पर हम पहले निर्णय कर चुके हैं, अगर मैं उनको बता दूं तो आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने जो विन्दु उठाया है अपने पहले भाषण में और इस भाषण में, अगर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री सब के बारे में हां कर दें तो मैं वापस लेने के लिए भी तैयार हूं।

श्री लोकपति—

मान्यवर, यह फैसला आपके सामने है। माननीय राम आसरे जी को यह सौभाग्य प्राप्त था कि उन्होंने होम्योपैथी छात्रों के संघर्ष का नेतृत्व किया और माननीय राम आसरे वर्मा जी को यह भी सौभाग्य प्राप्त था कि 4 मई, 1979 को जब यह आर्डिनेंस निकला उस समय इस सदन के सदस्य थे। उनको यह भी ज्ञात है कि 4 मई के आर्डिनेंस के बाद न कोई ऐसी प्रक्रिया बनी और न कोई विधेयक बना और न कोई चर्चा हुई और एक साल स्टेलमेंट में चला गया। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, काम इनका है, अध्यादेश इन्होंने जारी किया और आज 17 सितम्बर, 1981 का दिन है जब यह विधेयक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अगर इस सदन ने इसे स्वीकृति दी तो 4 मई, 1979 से लेकर आज तक उन बालकों का जिनकी शिक्षा नहीं हो सकी है, इन दिनों के लिए उनको सरकारी नौकरी के लिए एज में एग्जम्पशन दिया जा रहा है यह निर्णय हो चुका है।

[श्री लोक पति--]

अब राम आसरे वर्मा जी की अगली बात, लोकतन्त्र की वह भी है, जिस समय जुलाई, 1980 में मैंने एक अनुभव प्राप्त करने के लिए गाजीपुर में दो होम्योपैथिक कालेजों का समायोजन किया और यह जो विधेयक आया है किसी कालेज को लेने का विधेयक नहीं आया है। यह विधेयक है शिक्षा व्यवस्था को टेक-ओवर करने का और इसके अन्दर जितने भी होम्योपैथिक कालेज हैं सबका टेकओवर हो जाएगा। 9 कालेजों में पढ़ाई होगी, जिनमें हम विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे और अन्य 6 का हम समायोजन करेंगे और जब समायोजन करेंगे तो छात्रों और अध्यापकों को कोई परेशानी नहीं होगी, जो आपकी आशंका है। इसमें उन अध्यापकों को लिया जाएगा जो मूल रूप से अध्यापक हैं, जिनको उस चिकित्सा की जानकारी है, जो पढ़ा सकते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

श्रीमन्, लोकतन्त्र की बात हमारे मित्र ने उठाई है। जिस समय इस सदन में यह आश्वासन हुआ था कि होम्योपैथिक डायरेक्ट्रेट की स्थापना होगी, इस सम्मानित सदन के वर्मा जी सदस्य थे। उस दिन से जब तक पूर्व सरकार थी, डायरेक्ट्रेट की स्थापना उस शासन में नहीं हुई और होम्योपैथिक डायरेक्ट्रेट की स्थापना जब वर्तमान शासन आया, जो सचमुच में लोकतान्त्रिक है, उसने की। बात आई कि किस विश्वविद्यालय से इसका सम्बन्ध होगा? श्रीमन्, वह भी होगा आगरा विश्वविद्यालय को यह कार्य सौंप दिया गया है कि होम्योपैथी विद्यार्थियों की परीक्षाएं वह आयोजित करें। हमारी जानकारी है कि होम्योपैथी शिक्षा के लिए वहां एक रजिस्ट्रार भी नियुक्त हो गया है और हमारी अपनी जानकारी है कि आगरा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय एक टीम ने इन 9 का ही नहीं 15वें कालेज का सर्वेक्षण भी किया है। उस 7 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दी है और उसी के हिसाब से इन होम्योपैथी कालेजों का चयन किया गया है कि 9 को लिया है और 6 का समायोजन किया जाएगा। इसलिए हमने गाजीपुर में समायोजन का अनुभव प्राप्त किया है।

प्रश्न उठा डिग्री कोर्स का। इस वर्ष बी0 एच0 एम0 टी0 से होम्योपैथी छात्रों का चयन होगा। इस वर्ष जो ब्लाक इसमें चुने जायेंगे, विद्यालयों में जिनकी भर्ती होगी, उन सबका डिग्री कोर्स होगा। वर्तमान परिस्थितियों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जहां जो कोर्स है वह चलेगा। लेकिन हर विद्यार्थी, जो डिप्लोमा कोर्स करेगा, यदि वह डिग्री कोर्स चाहता है तो उसकी कराने की शासन सुविधा दे रहा है। हमारे माननीय मित्र ने जो बातें कहीं उन सबका मैंने हवाला दे दिया। अब एक बात आती है धारा 16 के बारे में, जो गुप्त जी ने उठाई। श्रीमन्, मेडिकल चिकित्सा की शिक्षा लोगों के जन-जीवन की सुरक्षा है, अन्य शिक्षा पद्धतियां और इस शिक्षा पद्धति में अन्तर है। सम्भवतः यह सदन और आप भी इससे सहमत होंगे। सन् 1972 में इस सदन ने एक फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कालेज नहीं रहेंगे। वह फैसला उस समय सदन ने किया था एलोपैथिक कालेजेज के सम्बन्ध में। गत वर्ष बजट भाषण के दौरान मैंने इस सम्मानित सदन के सामने कहा था कि चूंकि यह सदन उस बात का निर्णय कर चुका है कि चिकित्सा शिक्षा का दायित्व शासन का है, यह फैसला सन् 1972 में हो चुका था, तो हम उस प्रतिज्ञा को पुनः दुहरा रहे हैं। यही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए भी होगा। किसी भी चीज को कानूनी रूप देने में विलम्ब अवश्य होता है।

हम चाहते थे कि हम इस विधेयक को जनवरी में ले आते लेकिन हम इसको सितम्बर में ही ला सके। हमारा यह भी विचार है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के सम्बन्ध में भी बिल सदन के सामने प्रस्तुत कर दें और हमारा प्रयास होगा कि उनको अगले बजट सत्र में पेश कर सकें। यूनानी विद्यालयों का प्रान्तीयकरण नहीं होगा, यह किसी यूनानी छात्र का ही भ्रम है। जितने भी हमारे जिला स्तर के चिकित्सालय हैं हर एक में हम एक होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी कायम करेंगे और जितने चिकित्सालय हैं उन सब जगहों पर होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी सम्बद्ध रहेगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करानी है तो उसमें हमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी का सहयोग लेना पड़ेगा ताकि दूर अंचलों में हम चिकित्सीय सुविधायें दे सकें।

हमारे साथी ब्रह्मचारी और डाक्टर साहब ने कुछ बातें कहीं। परीक्षा की बात को ब्रह्मचारी जी ने उठाई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन इस सम्मानित सदन का आदेश हमको प्राप्त होगा, हम यह प्रयास करेंगे कि दिसम्बर, 1981 के अन्त होने के पूर्व जिन विद्यार्थियों की 3–4 वर्ष में परीक्षायें नहीं हुई हैं, उनकी हो जायें।

वेतन की बात यहां पर आई, श्रीमन्, आप अवगत हैं कि वेतन आयोग का गठन हो चुका है। श्रीमन्, आप इससे भी अवगत हैं कि उन्होंने अपनी संस्तुतियां भी दे दी हैं। आप इससे भी अवगत हैं कि वेतन आयोग की संस्तुतियां मंत्रि-परिषद् के सम्मुख हैं और शासन शीघ्र ही वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करेगा जिनमें होम्योपैथिक चिकित्सकों और अध्यापकों के वेतनमान का भी मामला है। तो जब ये विद्यालय या महाविद्यालय शासन के हो जायेंगे तो जो वेतन निर्धारित होगा वह इनको भी मिलेगा। वर्तमान वेतन के जो उनके मामले चल रहे हैं शीघ्र ही उनके वेतन का भी भुगतान हो जायेगा।

हमारे अग्निहोत्री जी यहां पर बोल रहे थे लेकिन वे स्वयं नहीं जान सके कि वे किस विषय पर बोल रहे हैं। मैं तो आश्वस्त करता हूं कि आपके आदेश के प्राप्त हो जाने के बाद होम्योपैथिक शिक्षा के लिए आवर्तक और अनावर्तक इस वर्ष के लिए 5 लाख का नहीं 15 लाख रुपये का प्राविधान किया है क्योंकि अब अक्तूबर से लेकर 31 मार्च तक का ही प्राविधान कर सकते थे और वह 15 लाख रुपये के लगभग किया गया है। शासन का सचमुच में उद्देश्य इस बात का है कि होम्योपैथी जगत से सम्बद्ध छात्रों और अध्यापकों का कल्याण हो या मान्यवर, संसदीय परम्परा के अन्तर्गत हमें यह अधिकार है कि हम कुछ बोलें। हमारे माननीय मित्रों ने जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विगत एक वर्ष के दौरान, जो भी सम्मेलन हुये और उसमें जो-जो सुझाव आये अध्यक्षों की ओर से, उन सब पर विचार करके उनका समायोजन इस विधेयक में किया गया है। अब अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाता है तो इसमें तो 30 दिन की बात कही गई है, इससे अधिक समय इसमें लगेगा और छात्रों का यह पूरा वर्ष ही नष्ट हो जायेगा जिसे कदापि न तो हमारे माननीय साथी राम आसरे वर्मा जी चाहेंगे और न माननीय गुप्ता जी इसे चाहेंगे। वे कभी यह नहीं चाहेंगे कि विद्यार्थियों का अकल्याण हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि माननीय राम आसरे जो अपना प्रस्ताव वापस ले लें और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बातें कह दीं उनसे ऐसा लग रहा है कि जो कमियां हैं उनको दूर करने का उनका इरादा नहीं है। इसलिए मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 17, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981

कतिपय गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों का अर्जन और प्रबन्ध करने और होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

चूंकि राज्य में गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्र काफी समय से ऐसे महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण करने के लिए आन्दोलन करते रहे हैं;

और चूंकि इन महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा उपयुक्त नहीं है;

और चूंकि राज्य में आवश्यकता से अधिक महाविद्यालय केवल धन-लोलुपता के अभिप्राय से चलाये जा रहे हैं और होम्योपैथिक विज्ञान में चिकित्सा शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसका समुचित संगठन करने और ऐसे विज्ञान में शिक्षा के स्तर और उपचार में सुधार करने और ऐसी बुराइयों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उन महाविद्यालयों का, जो अधिक उपयोगी हैं, अर्जन करना और शेष महाविद्यालयों को बन्द करना आवश्यक है:

अतएव, अब, भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित विनियम बनाया जाता है--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में--

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(ख) "होम्योपैथिक" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन अधिनियम, 1951 में दिया गया है;

(ग) "अनुसूचित महाविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1952

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में, "सोसाइटी" का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है जिसमें ऐसे महाविद्यालय का स्वामित्व और उसके कार्य-कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो ।

अध्याय--दो

अनुसूचित महाविद्यालयों का अर्जन

अनुसूचित महाविद्यालयों का राज्य सरकार में निहित होना

3--(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय और उसके साथ ही--

(क) ऐसी समस्त भूमि जिस पर ऐसा महाविद्यालय स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि पर और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्सचर;

(ख) ऐसे महाविद्यालय का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधित्र, उपकरण, यंत्र, भेषज औषधि, निर्माण-कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल, पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियां;

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार,

विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान, बही–ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय के कार्य–कलाप के प्रबन्ध के प्रभारी प्रशासक या किसी अन्य व्यक्ति, सोसाइटी या निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रही हो,

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायगी और पूर्ण रूप से उसमें निहित होगी और ऐसे महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जायगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और आस्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक दान–विलेख, विन्यास, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार में निहित हो गई हो, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता, बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले अन्य भारों से मुक्त और उन्मोचित हो जायेगी, और किसी न्यायालय या अधिकरण की ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित वाद या विद्यमान किसी कार्यवाही या वाद–हेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि वह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।

अनुसूचित महा–विद्यालयों का प्रशासन

4.—(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार समय–समय पर निदेश दे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि—

(क) एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों को बन्द कर दिया जायगा;

(ख) ऐसे दो या अधिक महाविद्यालयों को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायेगा;

(ग) ऐसे एक या अधिक महाविद्यालयों के छात्रों को ऐसे अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरित या समामेलित कर दिया जायेगा;

(घ) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कर दिया जायेगा ।

कब्जा देने का कर्तव्य

5--(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारों को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया जाये, तत्काल परिदत्त कर देगा, और कलक्टर या यथा पूर्वोक्त ऐसा अन्य आधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उसका लेखा-जोखा, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा।

(3) इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गई है, कब्जा लेने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करे ।

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

6--(1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय में या उसके कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित हो नियत दिन से राज्य सरकार का, यथास्थिथित, अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायगा और अपना पद उसी कार्यावधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और इसी प्रकार धारण करता रहेगा, जब तक कि उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित न कर दिया जाये :

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का हकदार होगा :--

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के वेतन के बराबर और किसी अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि, और

(ख) अन्य सुविधायें जो ऐसे महाविद्यालय में उसकी विगत सेवाओं के कारण उसे प्राप्त होती यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित महाविद्यालय में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय में (अनुसूचित महाविद्यालय से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते वह उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करता हो ।

कतिपय नियुक्तियों आदि का पुनर्विलोकन

7--(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गई वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार किसी अधिकारी को नाम निर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्त कर सकता है, और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस विषय में प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, कोई नियुक्ति या वेतनवृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकती है या वेतनवृद्धि को रद्द कर सकती है और ऐसी प्रत्येक सेवा-समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिए की गई प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के दिन को और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाये और ऐसी संविदा या अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में त्रुटि नहीं करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी :--

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या राज्य सरकार के हितों के लिये हानिकारक है, और

(ख) जब तक कि संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाये ।

अध्याय तीन

नए महाविद्यालय खोलने का निषेध

नये होम्यो-पैथिक महा-विद्यालय स्थापित नहीं किये जायेंगे

8—संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् :—

(क) होम्योपैथी में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने, या उसके संचालन, उसकी व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, या न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा;

(ख) होम्योपैथी में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में, चाहे फीस का भुगत न करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा;

(ग) होम्योपैथी में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के सम्बन्ध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये) नहीं लेगा;

(घ) होम्योपैथी में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि के व्याख्यान, परीक्षा के लिये तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ।

धारा 8 के उल्लंघन के लिये शास्ति

9—धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय चार

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का अधि-भावी प्रभाव होगा

10—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

शास्ति

11—ऐसा व्यक्ति, जो—

(क) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धृत किसी सम्पति या आस्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी सम्पति या आस्ति की धारा 5 की उपधारा (1) के उल्लंघन में सदोष विधारित करता है, या

(ख) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धृत किसी सम्पत्ति या आस्ति पर सदोष कब्जा लेता है या बनाये रखता है, या

(ग) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण के अधीन स्थित कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) के उल्लंघन में जान-बूझकर विधारित करता है या उनका लेखा-जोखा देने में विफल रहता है, या

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धृत किसी सम्पत्ति का सदोष उपयोग करता है, उसे हटाता है या नष्ट करता है,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

कम्पनी द्वारा अपराध

12—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो और उसके कार्य-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायेगा, और तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के, किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन अनुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

13--इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये सद्भावना जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या उसके से किये किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या गये कार्य अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । का संरक्षण

14--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए कोई अपराध का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य संज्ञान सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा ।

15--इस अधिनियम की कोई बात होम्योपैथी में तत्समय प्रवृत्त अल्प- किसी विधि के अधीन रहते हुये शिक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संख्यक के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक के अपनी रुचि की संस्थाओं किसी शिक्षण संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को के बारे में प्रभावित नहीं करेगी । व्यावृत्ति

16--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित नियम करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है । बनाने की शक्ति

17--(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध निरसन ग्रहण) अधिनियम, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य बनी रहेगी मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो ।

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिये]

महाविद्यालय का नाम

1--गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर ।

2--कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।

3--मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

4--श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चन्देशर, आजमगढ़ ।

5--डा० बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद ।

6--के० जी० के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद ।

7--टी० डी० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।

8--लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

9--होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, डिगरी मनकांवाला, नगीना, बिजनौर ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981†

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, अभी इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रस्तावना में कहना उचित नहीं समझा । मैं इस बात को समझ रहा हूं कि इसलिये कि पहले जो विधेयक पारित हुआ है, उसमें इन्होंने प्रकाश डाला है । मैं उनकी नियत पर शंका नहीं करता हूं । मान्यवर, जो हमारे सामने संदर्भित विधेयक है उसके उद्देश्य और कारण में यह बात दी गई है कि जिन उद्देश्यों से यह किया गया था, उसको हम पूरा नहीं कर पाये हैं । इसलिए मान्यवर, हमने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है । इसके पहले विधेयक पर बोलते हुए जो हमारे माननीय सदस्य, आगरा बोल रहे थ उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय होम्योपैथिक छात्र आन्दोलन करते थे और उनके ऊपर लाठी चलाई जाती थी । मैंने भी उस समय सदन का सदस्य रहने

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज मैं उनके दल की पीड़ा को समझ कर एक सुझाव देना चाहता हूं। वह हुआ जो हुआ। अब उनके ऊपर जो मुकदमें चल रहे हैं उनको वापस लेने पर तो विचार कर लीजिए कोई भी सरकार हो, कल हम सरकार में थे, आज आप सरकार में हैं। लेकिन जो जागरूक नागरिक हैं, वह शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना आन्दोलन करते हैं, उन विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया था। तो अब आप यह बात नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आपको उन छात्रों के साथ पीड़ा है उन्होंने हिंसा का भी काम नहीं किया है, तो यह बात सही है कि वह चाहे गृह मंत्रालय का काम हो या अन्य मंत्रालय का हो, लेकिन एक संयुक्त उत्तरदायित्व है। इसलिए वह इस बात का आश्वासन दें कि जो छात्रों पर मुकदमें चल रहे हैं, उनके मुकदमें वापस ले लिए जायंगे।

अब एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक अच्छी बात कहीं। मैंने भी इस बात पर बल दिया था और माननीय वर्मा जी ने भी बल दिया था। सरकार के कब्जे में विद्यालय हैं, उनके वेतन के बारे में वेतन कमेटी विचार करेगी, सबके साथ फैसले आयेंगे उन पर भी लागू होगा। जब वह सरकारी नियंत्रण में आ गये, तो इसमें कौन सी बाधा है कि जो सरकारी कालेज हैं, वहां पर जो आप ग्रेड दे रहे हैं, वही ग्रेड इनको क्यों नहीं देते हैं। जो सेवा की शर्तें उनकी हैं, जो वेतनमान, वेतन-वृद्धि उनकी है, यथावतरूप से इन अध्यापकों के ऊपर भी लागू की जांय।

अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह सब जिनके लिया हुआ है वह छात्र हैं। वह पढ़ लिखकर समाज में आयेंगे, चिकित्सा पद्धति जनोपयोगी बनाने के लिए उसको जनता तक ले जायेंगे। उनकी परीक्षायें 3 वर्षों से नहीं हुई। माननीय मंत्री जो आश्वासन दे मैं उन पर शंका नहीं करता कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करदें कि शान्तिपूर्ण ढंग से उनकी परीक्षायें हो जायं और यह आगे न बढ़े। एक मौका देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि कई वर्षों से परीक्षा रुकी है। जो विधेयक है वह अच्छा है लेकिन उसकी अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि इसको चलाने के लिए जो डायरेक्टरेट है, विद्यालयों को चलाने की जो एजेंसी है वह ठीक काम करें, उसमें विद्यालयों को चलाने की ठीक क्षमता हो। विद्यालयों को अपने कब्जे में ले लेने से, जब तक उनका प्रशासन, नियंत्रण और संचालन के बारे युक्तिपूर्ण ढंग से विचार नहीं करेंगे, काम चलने वाला नहीं है। इन थोड़े से सुझाव के साथ मैंने अपना संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि इसमें मंत्री जी को भी असहमति नहीं होगी और इसको प्रवर समिति को भेजने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, आपसे निवेदन है आप कम समय लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं केवल गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो कुछ कहना था पहले कह चुका। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इन विद्यालयों का प्रबन्ध शासन ने अधिग्रहण किया। इसके पीछे प्रबन्ध समितियां पहले विद्यालयों में भ्रष्टाचार करती थी और विद्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन चला और शासन

[श्री राम आसरे वर्मा--]

मजबूर हो गया उसको टेकओवर करने के लिए। मैं यह कहना चाहूंगा संशोधन का समर्थन करने के साथ-साथ मंत्री जी एक बात की तरफ ध्यान दें कि पहले कुछ समितियों द्वारा जो भ्रष्टाचार विद्यालय में व्याप्त था कहीं वह शासन की छत्रछाया में न पनप जाय। दूसरी बात जो गुप्त जी की कि विद्यार्थियों पर जो मुकदमा चल रहे हैं उनको वापस लेने के लिए मंत्री जी आदेश दें। मैं इस विश्वास के साथ पुनः संशोधन पर बल देता हूं और समर्थन व्यक्त करता हूं।

श्री लोक पति--

श्रीमन्, 4 मई, 1979 से और जब तक यह विधेयक सम्मानित सदन स्वीकार नहीं कर लेता, इस दौरान वह कालेज सरकारी नहीं है। उनके ऊपर केवल नियंत्रक है। नियंत्रण के दौरान वह वेतनमान स्थिर औचित्यपूर्ण नहीं है और सम्भव भी नहीं है, न यह हो पायेगा। जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि इसके सरकारीकरण होने के उपरान्त चाहे वह नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर का हो, वेतनमान स्थिर होगा, वेतन आयोग द्वारा वह दी जायेगी। जहां तक मुकदमें का सवाल है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं इस बात का प्रयास करूंगा और अनुरोध करूंगा कि मुकदमें वापस लिए जायें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, जो विधेयक अभी पास हुआ है, इसके पहले वह अधिनियम का रूप बन गया और जिस दिन यह अधिनियम लागू होगा उसी दिन से इस बात की व्यवस्था कर दी गई कि 4 मई, 1979 का अधिनियम निरसित हो गया। मान्यवर, जब उसका निरसन हो गया तो जो अधिनियम का रूप बना है उसके लागू होने के बाद प्रशासकों की जो नियुक्ति की गयी है वह समाप्त हो जायेगी। उसके बाद राज्य सरकार के हाथ में वह विद्यालय आ जायेंगे। तब यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है कि जो मंत्री जी ने कहा कि अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतनमान नेशनल होम्योपैथिक कालेज या जो भी राज्य सरकार के नियंत्रण में चल रहे हैं उनके वेतनमानों के बराबर घोषित न करें, इसका औचित्य प्रतीत नहीं होता है, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैंने कहा कि जब यह विधेयक सदन स्वीकार कर लेगा तो निश्चित ही वह नियंत्रक नहीं रहेंगे और तब वह निदेशक, होम्योपैथिक के अन्तगत विद्यालय आ जायेंगे और शासकीय विद्यालय हो जायेंगे। तो शासकीय विद्यालयों के जो वेतनमान हैं वह उनको दिये जायेंगे।

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लें और इसको सर्वसम्मति से पास करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने प्रार्थना किया था कि जो मुकदमें वापस ले लिए जायं तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रयास की बात कही है तो उस पर मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायेगा ।

(2) यह 2 मई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1979 की धारा 3 का प्रतिस्थापन

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 1 सन् 1981

"3--नियत दिन को और उसी दिन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी अनुसूचित महाविद्यालयों का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा ।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा था कि जब नियत्रक हट आयेंगे, तो विद्यालय शासकीय नियंत्रण में आ जायेंगे और आने के बाद जो शासकीय नीति है उसके अनुसार समान वेतन-भत्ते कर्मचारियों के होंगे। लेकिन मंत्री जी को एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ धारा 6(1) के अतर्गत कहा गया है कि नियत समय से पूर्व अध्यापकों एवं कर्मचारियों को जो वेतन दिए जाते थे, वह दिए जायेंगे। शासकीय नियमों के अन्तर्गत जो राज्य सरकार के अन्तर्गत विद्यालय चल रहे हैं, उनके वेतनमान दूसरे हैं और जो नियम समय से पूर्व की बात कही गई है वह दूसरी बात है। तो दोनों में विरोधाभास है। इसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें।

श्री लोकपति--

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वेतन आयोग ने होम्योपैथिक अध्यापकों, लेक्चरर, रीडर्स, सबके वेतनमान निर्धारित किये हैं। जब यह शासकीय विद्यालय हो जायेंगे, तो वह वेतनमान उन पर लागू होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबंध-ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक बहुत ही कांस्ट्रक्टिव सुझाव है, मैं समझता हूं कि माननीय गुप्ता जी इसको मानेंगे। अभी तक जो प्राविधान था, उसमें जो लोकल

†दिनांक 17 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

बाडीज थीं, उनको इस बात का अधिकार था कि वह सिनेमाघरों में जो एडवरटाइजमेंट दिखाये जाते हैं उन पर टैक्स लगायें और पैसा वसूल करें। लेकिन लोकल बाडीज इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहीं थीं कि वह टैक्स को रियलाइज कर सकें। इस बिल से एक पालिसी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बना दी गई है, जिसके अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट यह पैसा सिनेमा हाउसेज से वसूल करेगी और उन्हीं स्थानीय निकायों को जहां यह वसूल किया गया है, उनको दे देगी। इस तरह से स्थानीय निकायों के संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी और उससे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव पेश कर रहे हैं कम से कम गुप्ता जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन-कर विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, यह विधेयक प्रस्तुत करते समय इसके जो भारसाधक मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का भाषण मैंने सुना। इस बात से मैं सहमत हूं कि योजनाओं को पूरा करने के लिए शासन को संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन संसाधन बढ़ाते समय हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जो टैक्स हम लगाने जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा, अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी दृष्टि से मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। मान्यवर, कराधान, टैक्सेशन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिये, जिससे दुराचार को बढ़ावा न मिले। अगर दुराचार और भ्रष्टाचार कराधान की प्रक्रिया में निहित हो जायगा, तो रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घट जायगा। जिनकी टैक्स देने की कैपेसिटी है उन पर टैक्स लगाया जाय, तो मुझे और मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस टैक्स का प्रभाव कमजोर और गरीब जनता पर पड़ता है और मंहगाई को बढ़ावा देता है, तो उसका जरूर विरोध करना पड़ता है। इस पृष्ठ भूमि में इसको देखने की कृपा करें। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सिनेमाघरों में जो ट्रेलर डाकूमेंटरी रील, स्लाइड दिखाये जाते हैं, यदि कोई अन्य प्रकाशन किये जाते हैं, तो उन पर टैक्स लगेंगे और इस टैक्स की वसूलियाबी सिनेमा मालिकों के माध्यम से होगी, लेकिन उसमें जलाधिकारी को यह अधिकार जरूर दे दिये गये हैं कि वह किसी भी माम में छूट दे दें। लेकिन इससे जो दुराचार को बढ़ावा मिलेगा, उसका क्या कंट्रल होगा। इसको आप किस तरह से प्रमाणित करेंगे कि सिनेमा में कितनी सिलेटे दिखायीं गयीं। इसका प्राविधान तो यह है कि जितने स्लाइड्स दिखाई जानी हैं, मान लीजिए चार दिखाई जानी हैं, तो इन चारों स्लाइड्स को जिलाधिकारी द्वारा एक फार्म में भरा जायेगा और मान लीजिए उसमें से किसी एक स्लाईड का विवरण नहीं है, और दिखाई गयी हैं चार तो इसके लिए आप क्या करेंगे ? दूसरी बात जो आपने विधेयक में कही है कि विधेयक के उपबन्धों का कार्यान्वयन संयुक्त आन्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अतः विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर कोई अतिरिक्त व्यय भार अन्तर्ग्रस्त नहीं है। तो इससे यह बात सामने आयी कि जो मनोरंजन कर निरीक्षक होते हैं, उनके द्वारा कार्यान्वयन करवाया जायेगा। इनसे करवाने में कैसे सम्भव हो सकेगा, एक तो इनको आप कन्वेयन्स एलाउन्स या कोई अदर एलउन्सेज तो देते नहीं।

[3 बजकर 36 मिनट]

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान लीजिए किसी निरीक्षक के पास 3-4 सिनेमें हैं, तो वह इन सिनेमों को प्रमाणिकता के साथ 4-4 सिनेमाघरों को कैसे चेक करेगा और वह चेक करेगा मध्यान्तर में ही, क्योंकि उसी वक्त स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, जो किसी भी तरह सम्भव नहीं है, तो इसके परिणाम क्या होंगे, साफ जाहिर है सारा पैसा सिनेमा मालिक और अधिकारीगण खा जायेंगे। इसके लिए केवल एक रास्ता निकाल जा सकता है, वह यह कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, उन पर यह विज्ञापन टैक्स लगा दीजिये, जिनको टैक्स पे करने में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं होगी, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं छोटे-छोटे दुकानदारों पर, पान के टेलर तथा अन्य छोटी-मोटी दुकानों पर तो यह और मंहगाई को बढ़ावा देना होगा और इससे जो बढ़ने वाली आमदनी है, तो इससे सरकार को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह कि इससे कितनी आमदनी होगी, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है, अगर ऐसा कोई विवरण दिया गया होता और हम लोग समझते कि इससे काफी रेवेन्यू सरकार को मिलेगा तो हम कहते चलो पास हो जाने दो। लेकिन जब इसका कोई आंकलन नहीं है। हां, केवल उद्देश्य यह बताये गए हैं कि इससे जो आमदनी होगी वह स्थानीय निकायों को दे दी जायेगी। लेकिन नगर महापालिका पहले से ही 15 रु0 प्रति शो, जो टैक्स हर सिनेमाओं से वसूल कर रही है, तो क्या सरकार एक ही स्थान पर दो तरह के टैक्स वसूल सकती है, इसका कोई प्राविधान है या उस पहले टैक्स को माफ कर दिया है शासन ने।

दूसरी बात इस आमदनी का बटवारा किस आधार पर होगा, उसका कोई आधार होना चाहिए और तीसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि आपने जो टैक्स लगाया है, वह किस प्रकार फिक्स करेंगे। मान-लीजिए किसी सिनेमा घर में 9 सौ सीटें हैं, उसमें नौ सौ आदमी देख रहे हैं और किसी में 200 सीटें हैं और टूरिंग हाल में दिखाया गया है, इनकी कैपासिटी कम है, तो आपका आधार क्या होगा प्रमाण देने का ?

"सिटिंग कैपेसिटी" क्या है, इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। बिना किसी विवेक के इस विधेयक को बना दिया। जहां आंशिक रूप से मैं इस विधेयक की भावना से सहमत हो सकता हूं कि जो बड़े विज्ञापन देने वाले हैं, उनसे सरकार टैक्स ले ले, लेकिन उसके साथ-साथ जो छोटे लोग हैं जैसे छोटे-छोटे दुकानदार हैं, जो कि विज्ञापन देते हैं, उनके ऊपर भी अगर आप टैक्स बढ़ा दें तो मैं उसके समर्थन के लिए तैयार नहीं हूं। जब तक इनके बीच में एक रेखा न खींच दी जाय, डिमारकेशन न कर दिया जाय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूं। इस टैक्स का प्रभाव गरीब जनता पर पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक जो है यह दुराचार को बढ़ायेगा, सदाचार को नहीं। इन्टरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर्स इसकी जांच नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को अच्छा बनाने की दृष्टि से मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय। मेरा यह विश्वास है कि इस सुझाव को मन्त्री महोदय अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री खैरुल बशर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, विरोध इसलिये कर रहा हूं कि जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो सुझाव दिये

हैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये, वह ठीक है । अगर टैक्स सिनेमा के टैक्सों के साथ लिया जायेगा तो रिक्रियेशन कर पर बोझ बढ़ेगा । हमारे देश के अन्दर जनता की तफरीह का कोई साधन नहीं है । हमारी जनता के लिये सरकार ने कोई ऐसी चीज नहीं दी है कि जिससे कि वह तफरीह कर सके । यह तो ठीक है कि अगर यह टैक्स बड़ी-बड़ी कम्पनियों पर लगा दिया जाय तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन विज्ञापनों पर या वह जो फिल्मी विज्ञापनो में दिखाये जाते हैं उस पर अगर टैक्स लगा तो आम जनता और छोटे-छोटे दुकानदारों पर बोझा पड़ेगा। इसे ठीक ढंग से आप लागू नहीं कर सकते हैं और आपको कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जैसा आप कह रहे हैं कि नगरपालिका के बदले सरकार ले लेगी और उन्हें दे देगी । सरकार की पालिसी टैक्स लगाने की और जनता को सुविधा न देने की जो नीति है, वह बड़ी घातक है । इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं । इस बिल को प्रवर समिति के सामने जाने देना चाहिये, जो कि आपको इसकी सही रूपरेखा और सही सुझाव दे सकें ।

श्री धरमपाल—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बिल रखा है नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत चलने वाले चलचित्रों के अन्दर स्लाइडों आदि पर टैक्स लगाने का, तो मान्यवर ऐसा लगता है कि सरकार डकैती छोड़कर अब गिरहकटी का रास्ता अपनाने जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह शब्द आपत्तिजनक है ।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, यह सरकार के ऊपर है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार के ऊपर अगर आप संज्ञा की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपत्ति की जायेगी और यदि विशेषण के रूप में करेंगे तो आपत्ति नहीं उठेगी । आपने इसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया है ।

श्री धरमपाल—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि बिक्री कर के रूप में हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा कर लगे हुये थे । आज मंत्री जी ने घोषणा की थी कि व्यापारियों को छूट दी जा रही है कुछ प्रतिशत परन्तु स्लाइड के रूप में कर लगा कर जो इनको अभी तक क्षति हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिये इन्होंने जो लोग सिनेमा देखेंगे जनरली उसका कर उन पर पड़ेगा । मान्यवर, स्लाइड कौन दिखवाता है । छोटे-छोटे दुकानदार अपने विज्ञापन के लिये सिनेमाघरों में अपनी स्लाइड देखने के लिये देते हैं, यह कर डाइरेक्ट उन पर भी पड़ेगा । इसके अलावा कुछ बड़े पूंजीपति अपनी फर्मों के विज्ञापन एडवरटाइजमेन्ट के लिये सिनेमाघरों को देते हैं । आप कल्पना कीजिये कि एक छोटा व्यापारी अपनी स्लाइड के उतने पैसे कैसे दे सकता है जितना कि एक बड़ा व्यापारी या पूंजीपति ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे नगरों के अन्दर कितने सिनेमा हैं ? नगरपालिकाओं के अन्दर कितने होंगे । कहीं 10 या किसी में 15 । हां,

[श्री धरमपाल--]

महापालिकाओं के अन्दर 20, 25, 30 सिनेमाघर हो सकते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि जिला परिषद् के अन्दर इतने सिनेमाहाल चलते हैं कि वहां से कर का बंटवारा हो जाय। मान्यवर, इसका बंटवारा किस आधार पर होगा। एक सिनेमाहाल के स्लाइडों के कर को किस तरह से आप बांटेंगे। क्या इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है। इसमें छूट का अधिकार जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। जिलाधिकारियों पर आपकी बड़ी अनुकम्पा है। मान्यवर, जिलाधिकारी जिले का प्रशासन चलाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों को इस तरह के अधिकार न देकर नगर पालिका के इन्सपेक्टर को यह काम अलाट करिये, उनसे यह काम कराइये। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने इसमें निवेदन किया था कि इस विधयक के लाने का जो उसके पीछे मकसद तो नेक है, उसमें नियत पर शुबहा नहीं करना चाहिये, लेकिन जैसी कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी की आदत है और वह उनकी आदत पुरानी है कि हर बात को शक और शुबहा से वह देखते हैं, उसी तरह से उन्होंने इसको भी देखा है। इसमें मान्यवर, कोई नयी चीज नहीं की गयी है, कोई ऐसी चीज का प्राविधान नहीं किया गया है जिससे कि जनता पर या आम लोगों पर कोई किस्म का बोझ पड़े। इसमें शुरू में ही साफ और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रेट्स क्या होंगे। ट्रेलर्स फिल्म में 2 रुपया प्रति डे है तथा स्लाइड में 50 पैसा प्रति डे है। इस तरह से हर चीज इसमें साफ-साफ लिखी हुई है।

मान्यवर, जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं उनके ऊपर इसका कोई भार नहीं होगा। जो एजेन्सी एडवरटाइजमेन्ट कराना चाहती हैं, उन्हें ही पैसा देना होगा। पहले भी यह प्राविधान था कि उनसे टैक्स लिया जाता था और अब भी यह प्राविधान है कि उनसे ही टैक्स लिया जाय। समस्या यह थी कि वसूली में बहुत कठिनाई पैदा होती है। तो इस तरह से वसूली को सरल बनाया गया है और उससे स्थानीय निकायों के विकास में कर की राशि का भुगतान होगा। तो केवल इसमें प्राविधान इतना किया गया है कि इसे स्टेट गवर्नमेन्ट के जरिये से वसूल किया जायेगा।

जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इसका बंटवारा कैसे होगा। तो इसका बंटवारा किस तरह से किया जायेगा जैसे लखनऊ में 10 सिनेमा हाल हैं तो दसों का एकाउन्ट खलवा कर अलग-अलग उसको कर दिया जायेगा। जो जिला परिषद् में आते हैं, वह जिला परिषद् को दे दिये जायेंगे। उस क्षेत्र में उसकी प्रगति के लिये। उससे पैसा लिया जायेगा। यदि रुपया वसूल किया जाय और क्षेत्र में न दिया जाय, तब तो बात दूसरी है।

एक और कठिनाई माननीय सदस्यों ने बतलाई कि इससे दुराचार को बढ़ावा मिलेगा। अब सदाचार और दुराचार की बहस तो बहुत लम्बी होगी। तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि जो एजेन्सियों को टैक्स वसूल करने के लिये रखा गया है, वही इसमें लगायी जा रही हैं। बजाये इसके कि दोहरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक ही एजेंसी से टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो जो 3-3 जगह के बजाये एक जगह टैक्स की वसूली की जा रही है इससे संचार बढ़ेगा। इसमें गिरहकटी, डकैती आदि का भी जिक्र आया है तो मान्यवर, जो

इसके विशेषज्ञ हैं वे ही रोशनी डाल सकते हैं, वैसे इस तरह का कोई इरादा नहीं है बल्कि एक साधन जो मौजूद था, बगैर जनता पर बोझ डाले, जिसकी वसूली नहीं हो रही थी, वह वसूल करके जनहित में लगाया जायेगा ....

श्री उपाध्यक्ष—

यानी आपकी नियत डकैती डालने की नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी—

बिल्कुल मान्यवर, जब आपका संरक्षण प्राप्त होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नहीं हो सकता, डकैती या गिरहकटी ?

श्री अम्मार रिजवी—

दोनों । इसमें जनता पर बोझ नहीं पड़ रहा है इसलिये कम से कम इसको मान लेंगे और अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पूरे विधेयक में एक बहुत ही गम्भीर मामला है, धारा 15 । मान्यवर, जितने भी टैक्सेशन विधेयक हैं उसमें सरकार एक बात जरूर लिख देती है, हमेशा हाईकोर्ट का जजमेन्ट है, सरकारी अधिकारियों द्वारा भी करारोपण में डबल स्ट्रेटजी रखी जाती है अदालत में वे जीत जाते हैं लेकिन उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है जो गलत काम करते हैं । तो इसमें यह व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी भी कर्मचारी द्वारा अगर गलती हो जाती है, तो उसको पनिश नहीं किया जायेगा । यह ऐसा प्राविधान है जो ब्युरोक्रेसी को निरंकुश बनाता है और मात्र सरकार के निर्देशों पर टैक्सेशन बढ़ाने के लिए अनाप-शनाप कार्य करते हैं । अगर इसको वापस ले लें और कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो वह दण्डित किया जायेगा, अगर आप यह व्यवस्था कर दें तो हम प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, धारा 15 जो है, इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा, 3 साल इनको मिले थे यह धारा वापस न हो सकी लेकिन जूरिस-प्रूडेन्स का माना हुआ सिद्धांत यह है कि नियत क्या है । कतल भी अगर कोई करता है, नीयत नहीं होती तो वह कतल नहीं समझा जाता । यह धारा सद्भावना के लिए है । नियत क्या है, अगर सद्भावना के साथ कार्य कर रहा है, वह कोई काम करता है और गलती हो जाती है तो इसमें अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो हमारी एजेंसी डीमारलाइज हो जायेगी, उसका मनोबल गिरेगा । इसलिए यह धारा रखी गई है । अगर मेहनत करके कोई जाता है, काम करता है, और गलती साबित हो गई तो वह सोचेगा कि यह तो अपने पर आ जायेगी तो वह जायेगा ही क्यों । अगर माननीय सदस्य इसको गलत समझते हैं तो इसको विदड्रा कर लेते । इसलिए मैं समझता हूं कि सही बात को मान लेना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी है । आप इसको मान लीजिए और वापस ले लीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिस 3 साल का हवाला दिया गया है, वह मैं समझ रहा हूं। उस समय बिक्रीकर के अधिकारियों के बारे में सरकार ने व्यवस्था कर दी थी और यदि वह अपील में छूट जाते तो उनके खिलाफ कार्यवाही होती।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह था कि आप वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हां की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष —

कुछ आवाज तो हमको हां जैसी मिली थी लेकिन जरा हल्की थी आवाज।

खण्ड 2 से 20, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981

सिनेमा में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आरोपण और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों, या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में—

(क) "विज्ञापन" का तात्पर्य स्लाइड या फिल्म के माध्यम से किसी माल, सम्पत्ति, आमोद, व्यापार, कारबार या वृत्ति की प्रज्ञापना या घोषणा से है;

(ख) "सिनेमा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन चल-चित्र यंत्र के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त किसी स्थान से है,

(ग) "आयुक्त" का तात्पर्य आमोद और पणकर आयुक्त उत्तर प्रदेश से है, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अपर आमोद और पणकर आयुक्त, संयुक्त आमोद और पणकर आयुक्त, उप आमोद और पणकर आयुक्त और कोई अन्य अधिकारी भी है;

(घ) सिनेमा के सम्बन्ध में, "मालिक" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(एक) यू० पी० सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के अर्थान्तर्गत उसका लाइसेन्स गृहीता;

(दो) कोई व्यक्ति जो उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी या तत्समय उसका प्रभारी हो;

(तीन) कोई व्यक्ति जिसे उसमें किसी स्लाइड या फिल्म के प्रक्षपण के कार्य का प्रभार हो,

(ङ) "कर" का तात्पर्य विज्ञापन कर से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन आरोपित कोई शास्ति या अन्य प्रभार भी है ,

विज्ञापन पर कर का आरोपण

3—(1) किसी सिनेमा में पर्दे पर प्रदर्शित समस्त विज्ञापनों पर विज्ञापन कर ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करें, प्रभारित, उद्गृहीत और अदा किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर की दर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(क) विज्ञापन लघु चित्र की स्थिति में, प्रति पैंतालिस मीटर या उसके भाग पर प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए पचीस रुपये;

(ख) किसी फिल्म की झलकियों (ट्रेलर) की स्थिति में प्रतिदिन दो रुपये;

(ग) किसी स्लाइड की स्थिति में, प्रति स्लाइड प्रतिदिन पचास पैसा;

(घ) किसी अन्य विज्ञापन की स्थिति में, प्रति विज्ञापन प्रतिदिन पचास पैसा ।

(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए या विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए कर की विभिन्न दर अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(4) इस धारा के अधीन देय कर की संगणना करने में कर के देय धन को, जहां कहीं आवश्यक हो, पांच पैसे के अगले उच्चतर गुणित में पूर्णांकित किया जायेगा ।

कर के भुगतान का दायित्व

4—कर, विहित रीति से, मालिक से लिया और उसके द्वारा भुगतान किया जायगा, किन्तु किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए, स्वयं द्वारा कर के सम्बन्ध में भुगतान की गई या देय राशि को मालिक ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा जिसकी ओर से विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय ।

लेखा-बही आदि रखने का कर्त्तव्य

5—विज्ञापनों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में मालिक ऐसी लेखा बही रखेगा और ऐसे अन्तराल पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जैसी विहित की जायं ।

छूट

6—(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई कर देय नहीं होगा—

(क) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए या उसकी ओर से प्रदर्शित कोई विज्ञापन;

(ख) किसी सिनेमा में जिसमें स्लाइड प्रदर्शित की जा रही हो, रूपक चित्रों (फीचर फिल्म) के प्रदर्शन से सम्बन्धित कोई स्लाइड ।

(2) जहां जिला मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, का यह समाधान हो जाय कि कोई विज्ञापन, बिना किसी लाभ के, लोकोपयोगी, पूर्त या शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रदर्शित किया जाता है, वहां वह ऐसे विज्ञापन को कर के भुगतान से छूट दे सकता है ।

कर वापस करना

7—जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि मालिक ने वास्तविक रूप से देय राशि से अधिक कर जमा किया है, वहां वह ऐसी राशि को वापस कर देगा या भविष्य में भुगतान किए जाने वाले कर के प्रति उसे समायोजित करेगा ।

विवेक बुद्धि के अनुसार कर निर्धारण

8—(1) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि मालिक ने—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान का किसी भी तरह से कपटपूर्वक अपवंचन किया है या अपवंचन करने का प्रयास किया है, या

(ख) सही और सम्पूर्ण विवरणियां, उनके लिए विहित समय के भीतर तैयार करने या प्रस्तुत करने में चूक की है, वहां वह मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार, मालिक द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण करेगा, और शास्ति भी आरोपित कर सकता है जो पांच सौ रुपये या देय कर की राशि के दुगुने से, जो भी अधिक हो, अधिक न होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, राज्य सरकार को अपील कर सकता है, और ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

निरीक्षण

9—(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसा सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी सिनेमा या किसी स्थान में, जिसे उससे सम्बन्धित अभिलेख रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार प्रयुक्त किए जाने का संदेह हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है और विज्ञापन के प्रदर्शन से सम्बन्धित ऐसे अभिलेख को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अपने कब्जे में ले सकता है या उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने, तलाशी लेने या निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भी उस जिले के भीतर जहां वह तत्समय तैनात हो, किया जा सकता है ।

(3) मालिक उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निरीक्षक अधिकारी को सभी युक्तियुक्त सहायता देगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निरीक्षक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझा जायेगा ।

शास्ति

10—(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर का भुगतान करने में चूक करता है या उसका अपवंचन करता है, दोष-सिद्धि पर, एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी निरीक्षक अधिकारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों के पालनार्थ प्रवेश करने से रोकता है या अन्य प्रकार से बाधा पहुंचाता है, दोष-सिद्धि पर एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है, या इस अधि-

नियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में चूक करता है, दोष-सिद्धि पर, पांच सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

कम्पनी द्वारा अपराध

11—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदाई प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

अभियोजन के लिए स्वीकृति

12—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा ।

अपराधों का शमन

13—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, आयुक्त द्वारा, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा ।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन--

(क) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराध ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ख) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा ।

कर की वसूली

14--कर के मद्दे देय कोई राशि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार को उपलब्ध वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

कतिपय कार्यवाहियों पर रोक

15--राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित हो ।

प्रत्यायोजन

16--(1) राज्य सरकार, धारा 2 के खण्ड (ग), धारा 3 और धारा 20 में निर्दिष्ट शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या कोई शक्ति अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती है और इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी शक्ति को इसी प्रकार वापस ले सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्बन्धनों, प्रतिबन्धों या शर्तों के अधीन किया जायगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे ।

आयुक्त को निदेश जारी करने की शक्ति

17--आयुक्त को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सिनेमा के मालिकों को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो ।

स्थानीय निकायों को कर की राशि का भुगतान

18--प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर लिए जाने के पश्चात राज्य सरकार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर के मद्दे प्राप्त राशि में से वसूली का व्यय काटने के पश्चात शेष धनराशि राज्य की संहत निधि से निकालेगी और उसे ऐसी रीति से और ऐसे अनुपात में, जैसा विहित किया जाय, स्थानीय निकायों को अन्तरित करेगी;

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य किसी म्युनिसिपल बोर्ड, नगर महापालिका, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी या जिला परिषद से है ।

अन्य अधिनियमितियों के अधीन कर से छूट

19--जहां इस अधिनियम के अधीन कर देय हो वहां किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी सिनेमा के भीतर पर्दे पर प्रदर्शित विज्ञापनों पर कोई कर, उपकर, शुल्क या अन्य उदग्रहण देय नहीं होगा ।

नियम बनाने की शक्ति

20--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन-कर विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार का स्थगन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मेरा अनुरोध है और मैंने लिखकर भी भेजा है कि इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है इसको आगे ले लिया जायेगा । स्थगित किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अलीगढ़ में एक व्यक्ति को मीसा में पकड़वा दिया गया ऐसी सूचना आई है इसीलिए इसको यह रुकवा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि यह बिल तो गवर्नमेन्ट की तरफ से आना था और गवर्नमेन्ट अभी नहीं चाहती है इसलिए नहीं पेश किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री की कार में डाकू चलते हैं और यह भी समाचार आया है कि कानपुर में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व घुस गए हैं, इसीलिए यह इसको अभी नहीं लाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चिन्ता न करें । आपकी शंका दूर कर दी जायेगी, समय आने दीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है अब तो तय हो गया, आप बैठें ।

विधान सभा सदस्य, श्री बदन सिंह की गिरफ्तारी एवं रिहाई सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा ने अपने टेलीप्रिन्टर संदेश, दिनांक 15 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 17 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा (आगरा) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत आगरा में दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को 2-30 बजे अपराह्न गिरफ्तार किये गये । वे अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, आगरा के कोर्ट में उपस्थित किये गये और उन्होंने अपराध को स्वीकार किया और न्यायालय ने उन्हें न्यायालय उठने तक का कारावास का दण्ड दिया । तदुपरान्त वे रिहा कर दिये गये ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 13 सूचनायें प्राप्त हुई थीं । इनमें से एक सूचना जो श्री मोहन सिंह और श्री मुख्तार अनीस तथा हरी किशन श्रीवास्तव की पृथक्-पृथक् सूचनाएं हैं, श्री मोहन सिंह की सूचना को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है जो 1 मई 1981 को भूतपूर्व मंत्री श्री प्रभूनारायण सिंह के पुत्र श्री अरविन्द सिंह के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में है ।

इस पर माननीय गृह मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, 22 तारीख को रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

22 तारीख को बहुत ज्यादा काम है, इसलिये आप इस सम्बन्ध में 21 तारीख को वक्तव्य दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

जैसी आपकी आज्ञा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने भी नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना जाजमऊ में हुई बस दुर्घटना के सम्बन्ध में दिया था । इस बारे में श्री भीखा लाल जी ने चर्चा भी की थी और शासन की तरफ से संवेदना भी प्रकट कर दी गयी लेकिन शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया कि इस पर बयान कब तक आयेगा । मेरी प्रार्थना है कि नियम 51 के अन्तर्गत इस पर आप बयान दिलवाने की व्यवस्था करा दें । जाजमऊ बस दुर्घटना में 45 आदमी मर गये हैं मान्यवर, सदन ने अपनी संवेदना भी प्रकट कर दी है लेकिन मात्र संवेदना प्रकट करने से कोई काम नहीं चलने का । यह जरूरी है कि इनक्वायरी के बाद जो तथ्य सामने आवे उसे पूरे विवरण के साथ सदन के सामने लाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को याद होगा कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सूचना के लिये थोड़ा और वक्त दे दिया जाय क्योंकि अभी पूरी सूचना एकत्र नहीं हो सकी है । मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा समय और दे दिया जाय ताकि वे पूरा डिटेल सदन के सामने रख सकें ।

एक सदस्य—

कोई तारीख निश्चित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई तारीख निश्चित करने की क्या बात है । यह तो इतना बड़ा मामला है, जैसे ही सूचना मिल जायेगी, वह उनको देना ही है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैंने भी एक नियम 51 के अन्तर्गत दिया था । सितार गंज में पुलिस, लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं । कृपया विराजें ।

एटा में कुख्यात डाकुओं द्वारा एक थानेदार सहित ग्यारह पुलिस कर्मियों की हत्या के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

मद 18 पर शासन को आज बयान देना था । शासन ने उस वक्त भी कहा था कि इसके लिए थोड़ा समय दिया जाय लेकिन हमने कहा था कि नहीं, 17 तारीख को आप अवश्य बयान दे दें । उन लोगों ने प्रयास किया लेकिन सब सूचनायें एकत्र नहीं हो पाई । शासन की तरफ से एक पत्र आया है जिस में कहा गया है कि....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमारी बात सुन लें तब समय निश्चित करें....

(अनुमति मिलने पर)

आप की अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि जैसा आप को भी स्मरण होगा क्योंकि आप ही उस समय पीठासीन थे यह दर्दनाक मामला नियम 51 के अन्तर्गत उठा था । सरकार की ओर से उस समय राज्य गृह मंत्री, गृह मंत्री विराजमान थे । सूचना एकत्र की जा रही है । इस पर हमको आपत्ति क्या थी कि सरकार शांति और व्यवस्था को ठीक करने में जितनी जागरुक है इसका पर्दाफाश हो गया । आप ने कहा था कि 17 तारीख को बयान दे दिया जायगा । सरकार की नियत फिर साफ हो गई । इतना जघन्य अपराध, पुलिस की इतनी

क्षति आज तक कभी नहीं हुई । सरकार बयान देने के लिए तैयार नहीं है । सरकार आज ही बयान दे । यदि नहीं देती तो सरकार के खिलाफ हमारा साफ आरोप है कि सरकार डाकुओं से मिली है । डाकू उन्मूलन के बजाय डाकुओं को संरक्षण दिया जाता है । सरकार की नीति के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हैं । आप इनको आदेश दे दें कि आज ही बयान दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप की भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जब बयान आवे तो सम्पूर्ण रुप से बयान आना चाहिए ताकि कोई बात सदन को गुमराह करने वाली न रह जाय । और इन्होंने अपने पत्र में यह कहा है कि इन्होंने कोशिश की कि 17 तारीख, आज, बयान दे दिया जाय लेकिन कुछ मुश्किलात आये । मैं निश्चित रुप से सरकार को यह निर्देशित करता हूं कि 21 तारीख को बयान जरुर दे दें ताकि किसी को कोई शिकायत न हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट और सुन लें । समाचार पत्रों में माननीय मंत्री जी का बयान निकला हुआ है, जानकारी शासन के पास है, यह शासन स्वयं जानकारी समाचार पत्रों को देता है लेकिन सदन में बयान नहीं दे रहे हैं । यह सदन का अवमान है । शासन की इस नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है समाचार पत्रों के आधार पर केवल बयान दें, यह उचित नहीं लगता है । जब तक इन के पास सब फैक्ट्स न आ जायं तब तक इन को अवसर देना उचित लगता है । 21 तारीख निश्चित की जाती है सरकार को बयान देने के लिए....

(व्यवधान)

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

समाचार पत्रों में मंत्री जी का बयान निकला है । राजेन्द्र त्रिपाठी मौके पर गये और उसके बाद भी बयान नहीं दे रहे हैं और इनकी बदनियत डाकुओं को संरक्षण देने की प्रतीक है....

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

17 सितम्बर, 1981

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या—12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 505 पर)

रामपुर जनपद में जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक कोयला एजेन्टों को आवंटित कोयले के विवरण की तालिका

कोल एजेन्ट का नाम	माहवार आवंटित कोयले का विवरण टनों में					
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
	80	80	80	80	80	80
1	2	3	4	5	6	7
1—मे0 यंगमैन ट्रेडर्स रामपुर	1000	1000	7000	..	..	..
2—महेश कोल एजेन्सी, रामपुर	..	500	3000	..	..	..
3—श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	1000	..	2000	..	..	..
4—मे0 जनता कोल सप्लाई एजेन्सी	1000	..	3000	..	..	..
5—मे0 महावीर कोल ट्रेडर्स	..	..	7000	..	..	..
6—मे0 नोवल कोल कारपोरेशन	..	..	7000	..	..	..
7—मे0 जयशिव कोल एजेन्सी	2000	..	3000	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
8--मे0 बंसल कोल कं0 रामपुर	2,200	..	3,000	..	..	..
9--मे0 शर्मा एन्ड कं0 रालपुर	1,250	..	2,000	..	..	..
10--मे0 अखलेश एन्ड कं0	1,000	..	2,000	..	..	..
11--मे0 किसान सेवा केन्द्र	..	..	7000	..	..	..
12--मे0 नीता ट्रेडर्स रामपुर	..	..	7,000	..	..	..
13--मे0 दुर्गा कोल एजेन्सी रामपुर	..	900	..	..	..	..
14--मे0 भारत कोल एजेन्सी रामपुर	..	..	1,000	..	..	..
15--मे0 एस0 सी0 गोयल ऐन्ड कोल सप्लायर्स	..	..	..	..	360	..
योग ..	9,450	2,400	5,400	..	360	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या—19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 508 पर ।)

संलग्नक—'क'

साधन सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अनुदान जो सदस्यों के खाते में जमा किया जा चुका है ।

नाम विकास खंड	नाम समिति	वर्ष 1978–79	वर्ष 1979–80
1	2	3	4
		रु0	रु0
देसही देवरिया	सहकारी संघ, हैतिमपुर	34,431.97	23,158 22
	साधन सहकारी समिति, घमऊर	11,982.00	3,454.00
	,, ,, हरैयाबसंतपुर	6,638.00	3,454.00
	,, ,, डिपवापोटवा	6,740.00	4,715.40
	,, ,, पिपरादौला कदम	6,530.20	3,132.00
	,, ,, परासखाड	5,015.00	3,146.97
	,, ,, देसही देवरिया	3,958.30	..
	,, ,, नौतनहथिया गढ़	18,412.00	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4
			रु0	रु0
बेसही देवरिया	साधन सहकारी संघ	सिसवा	3,318.00	..
		योग ..	97,02.47	41,060.59
बैतालपुर	सहकारी संघ	बैतालपुर	21,155.00	18,504.44
	,, ,,	बलियवा	39,741.65	19,457.18
	साधन सहकारी समिति	विश्वनाथ पुरी	3,318.00	3,357.15
	,, ,,	माहीगंज	7,717.30	3,200.00
	,, ,,	अनन्तपुर	3,318.00	..
	,, ,'	धतुराखास	3,370.00	..
		योग ..	78,619.95	44,518.77
गौरी बजार	सहकारी संघ,	गौरी बजार	11,419.08	5,727.46
	साधन सहकारी समिति	कतौरा	6,497.47	4, 359.48
	,,	देवगांव	1,787.60	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	साधन सहकारी समिति,	लक्कनी		1,787.60	..
	,, ,,	सबना लछुमन		13,122.60	..
	,, ,,	ऊसरी खुर्द		1,787.60	..
			योग ..	36,401.95	10,086.94
रामपुर परगना	सहकारी संघ	धनौतीकलां		6,838.94	351.17
	,, ,,	रामपुर का०		1,240.23	7,858.58
	साधन सहकारी समिति,	डुमरी		..	4,457.00
	,, ,,	कुशहरी		3,318.00	4,960.00
	,, ,,	गौरा		3,318.00	3,374.00
	,, ,,	सहबाजपुर		..	1,738.00
	,, ,,	बरियारपुर		3,318.00	..
	,, ,,	गौरकोठी		3,300.00	..
	,, ,,	कौन्हबलिया		3,318.00	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
		साधन सहकारी समिति सिधुआ	3,318.00	..
		योग ..	28,039.17	22,738.75
देवरिया	सहकारी संघ,	पैकोली	25,525.95	27,606.75
	,, ,,	सोनूधाट	25,522.17	8,417.45
	साधन सहकारी समिति	मझबलिया	..	1,732.00
	,, ,,	श्रीनगर बरहडीहा	3,370.00	4,206.50
	,, ,,	राउतपार	3,370.00	4,975.50
	रधुवापुर साधन सहकारी	समिति	3,370.00	4,219.34
	साधन सहकारी समिति	हाटा	3,318.00	6,200.00
	,, ,,	लाहिलापारपारा	..	1,984.00
	,, ,,	देवपुर	3,370.00	..
		योग ..	67,846.12	59,341.54
		महायोग ..	3,07,932.66	1,77,746.59

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक 'ख'

अनुदान की धनराशि जो सदस्यों के खाते में जमा होना शेष है

क्रमांक	नाम विकास खंड	नाम समिति	धनराशि
			रु0
1	गौरी बाजार	स0 सह0 समिति, सिरसिया	11,197.60
		स0 सह0 समिति, देवगांव	7,555.88
		स0 सह0 समिति, बखरा	12,611.00
		योग (ख) ..	31,364.48

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 508 पर ।)

संलग्नक "क"

क्र0 सं0	समिति का नाम	आडिट रिपोर्ट का वर्ष	गबन के मामले जो प्रकाश में आये	की गई कार्यवाही: धन जिसकी वसूली हो चुकी है	धनराशि जिस पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई	धनराशि जिस पर विभागीय जांच एव कार्यवाही चल रही है
1	2	3	4	5	6	7
	विकास खंड, देसही, देवरिया--					
1	साधन सहकारी समिति, नौतन हथियागढ़	1977-78	2,535.48	2,535.48	..	..
2	साधन सहकारी समिति, पिपरा-दौला कदम	1977-78	11,251.26	1,145.00	..	10,106.26
3	साधन सहकारी समिति, हेतिमपुर	1977-78	25,852.32	..	9,754.05 महातमराय, भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 13-10-77, मु0 13,553.72 रु0 में यह धनराशि सम्मिलित है	16,098.27
4	साधन सहकारी समिति, देसही, देवरिया	1977-78	656.45	656.45	..	..
	योग ..		40,295.51	4,336.93	9,754 05	26,204.53

विकास खंड, बेतालपुर --

1	साधन सहकारी समिति, अनन्तपुर	1978-79	1,135.00	100.00	..	1,035.00
2	साधन सहकारी समिति, सकरा-पार, अरईपार	1978-79	8,936.50	4,725.78	..	4,210.72 श्री गंगा प्रसाद, सचिव की सेवा समाप्ति की जा चुकी है
	योग ..		10,071.50	4,825.78	..	5,245 72

विकास खंड, गौरीबाजार --

1	साधन सहकारी समिति, कतोरा	1978-79	5,903.52	528.49	..	5,375.03 श्री सुग्रीव राय, सचिव को सेवा समाप्त कर दी गई है
	योग ..		5,903.52	528.49	..	5,375.03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 521 पर)

परगनाधिकारी, बिल्हौर ने जून, 1980 से मार्च, 1981 के मध्य टाउन एरिया शिवराजपुर, नगरपालिका, बिल्हौर व मेला कमेटी, मकनपुर से निम्न भत्ते प्राप्त किये :—

	टा० ए०, शिवराजपुर	नगरपालिका, बिल्हौर	मेला कमेटी, मकनपुर
जून, 1980	..	135.10	..
जुलाई, 1980	112.75	91.44	..
अगस्त, 1980	112.75	135.10	..
सितम्बर, 1980	112.75	144.10	..
अक्तूबर, 1980	112.75	144.10	1155.00
नवम्बर, 1980	112.75	144.10	482.60
दिसम्बर, 1980	112.75	204.10	712.00
जनवरी, 1981	114.75	510.10	940.00
फरवरी, 1981	114.75	228.10	3012.00
मार्च, 1981	140.75	213.10	..
योग ..	1046.75	1949.34	6301.60

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 527 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली, 1979 के नियम 5(2), 18 तथा 21 (2) का उद्धरण

भाग तीन- भर्ती

5--भर्ती का स्रोत-- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्न-लिखित स्रोतों से की जायेगी :

5--(2) उप निबन्धक--- इस नियमावली के नियम 18(1) के निर्धारित रीति से ऐसे स्थायी सहायक निबन्धकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिनांक को सहायक निबन्धक के रूप में कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

18--अपर निबन्धक के उप निबन्धक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती :--

(1) अपर निबन्धक और उप निबन्धक के पद पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सहकारिता विभाग और
(तीन) निबन्धक ।

(2) नियुक्ति-प्राधिकारी, ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता-सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चुने गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

21--(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति कर सकता है ।

परन्तु यदि उप निबन्धक और अपर निबन्धक के पद पर पदोन्नति के लिये क्रमशः स्थायी सहायक निबन्धक या उप निबन्धक उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियों में नियुक्तियां उन व्यक्तियों में से की जा सकती हैं जिन्होंने यथास्थिति, सहायक निबन्धक या उप निबन्धक के पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो ।

परन्तु यह और कि अपर निबन्धक या उप निबन्धक के पद पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या अगली चयन किए जाने के बाद, इनमें जो भी पहले हो, नहीं चलेंगी और सेवा में शेष पदों पर नियुक्त व्यक्ति उक्त पद को आयोग के परामर्श बिना कुल एक वर्ष की लगातार अवधि से अधिक धारण नहीं करेगा ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 83 का उत्तर पिछे पृष्ठ 530 पर)

राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडांगर के कर्मचारियों की मांगों का विवरण :

मांग	की गई कार्यवाही
1	2
1--तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाये	संस्थान के लगभग 50% कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है ।
2--संस्थान के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को तीन वर्ष बाद नियमित कर उन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति राजकीय सेवाओं के लाभ दिये जायें	संस्थान में इस समय कार्यरत 41 दनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से 11 कर्मचारियों को नियमित किए जाने हेतु संस्थान में चतुर्थ श्रेणी के 11 अतिरिक्त पदों का सृजन कर दिया गया है ।
3--कर्मचारियों के वेतन से ई0 पी0 एफ0 तथा जी0 पी0 एफ0 के अधीन की जा रही दोहरी कटौती को समाप्त किया जाये	संस्थान के समस्त अस्थायी कर्मचारियों को ई0 पी0 एफ0 की कटौती से छूट प्रदान करते हुए आवश्यक आदेश वर्ष 1978 में ही जारी किए जा चुके हैं ।
4--मजदूरों तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति हेतु नये पदों की व्यवस्था की जाये तथा नये पदों पर सीधी भर्ती न करके संस्थान के ही मजदूरों एवं कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर नियुक्त किया जाये	सेवा नियमावली बन जाने के पश्चात् इस मांग पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।
4(1)--संस्थान के ऐसे मैकेनिक, जिनके पास पद की पूर्ण अर्हतायें नहीं है, को एक निश्चित अवधि के बाद मैकेनिक (पूर्ण प्रशिक्षित) का वेतनमान दिया जाये	चूंकि यह मामला वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है । अतः इस मांग पर अलग से विचार नहीं किया गया ।
5--संस्थान के सभी अराजपत्रित पदों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाए ।	तदेव
6--लैब सहायकों को समान वेतनमान दिया जाये ।	बिचारोपरान्त यह मांग शासन द्वारा अस्वीकार की जा चुकी है ।

1	2
6(1)—संस्थान के स्टोर कीपरों को अन्य विभागों के स्टोर कीपरों के समान वेतनमान दिया जाये	चूंकि यह मामला वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है अतः इस मांग पर अलग से विचार नहीं किया गया।
7—संस्थान की प्रयोगशाला में कार्यरत चतुथ श्रेणी कर्मचारियों/ चौकीदारों आदि को वर्दी छाता आदि की सुविधा दी जाये	इस सम्बन्ध में निदेशक से कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
8—संस्थान के औषधीलय में डक्टर की समुचित व्यवस्था की जाये	कार्य संचालन हेतु एक महिला चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था संस्थान में कर दी गई है।
9—संस्थान के प्राइमरी स्कूल का उच्चीकरण किया जाये	निदेशक द्वारा आवश्यक प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को भेजा गया है।
10—कर्मचारियों के आवागमन के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाये	कर्मचारियों के आवागमन हेतु एक बस की व्यवस्था है। दूसरी बस जो खराब हो गई है, को निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
11—संस्थान में ट्रियल ऐंटीजेन वैक्सीन के उत्पादन के सम्बन्ध में वांछित रसायन एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायें	संस्थान में ट्रियल ऐंटीजेन वैक्सीन के बजाये डी0 टी0 तथा टी0 टी0 वैक्सीन का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 534 पर।)

पार्क के ग्रिल के संबंध में प्राप्त कोटेशनों का विवरण

फर्म का नाम व पता	रेट्स प्रति किलो रु0 में
	रु0
(1) मै0 डिलाइट आयरन वर्क्स, कोशलपुरी, कानपुर	7·80
(2) दीपक स्टील ट्रेडर्स, सरोजनी नगर, कानपुर	8·25
(3) श्याम एन्ड सन्स आयरन मर्चेन्ट, सरोजनी नगर, कानपुर	8·45
(4) भारतीय ट्राली उद्योग, सरोजनी नगर, कानपुर	7·95
(5) शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स, दर्शनपुरवा, कानपुर	8·91

दरवाजे व खिड़कियों के संबंध में प्राप्त कोटेशनों का विवरण

फर्म का नाम व पता	रेट्स प्रति किलो रु0 में	
	दरवाजे	खिड़कियां
	रु0	रु0
(1) दि0 डिलाइट आयरन वर्क्स, कौशलपुरी, कानपुर	7·90	7·80
(2) भारतीय ट्राली उद्योग, सरोजनी नगर, कानपुर	8·20	8·30
(3) शंकर इन्जीनियरिंग वर्क्स, दर्शनपुरवा, कानपुर	8·20	8·10

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 538 पर ।)

संलग्नक

द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर का संलग्नक ।

डीजल के विषय में--

वर्ष 1980-81 में जनपद फैजाबाद में कुल 9807 किलोलिटर हाई स्पीड़ डीजल प्राप्त हुआ । उक्त वर्ष में तहसीलों को प्रतिमाह डीजल का आवंटन नहीं किया गया बल्कि जिला प्रशासन द्वारा डीजल पम्प्स को सीधे तहसीलों से सम्बद्ध करके डीजल का वितरण कराया गया है जिसका तहसीलवार विवरण निम्नांकित है--

तहसील का नाम	वर्ष 1980-81 में प्राप्त डीजल मात्रा (कि0 ली0 में)
1--सदर	5,296.0
2--बीकापुर	759·5
3--अकबरपुर	2,174·5
4--टान्डा	1,577·0
योग ..	9,807·0

जनपद के विभिन्न तहसीलों को डीजल वितरण का आधा सरकारी गाड़ियां निर्माण कार्यो, रिग्स तथा सिंचाई विभाग की मांग, औद्योगिक मांगों, वाहनों की संख्या, कृषकों की मांग तथा डीजल की उपलब्धि रही ।

सीमेन्ट के विषय में--

वर्ष 1980-81 में फैजाबाद जिले को 16,800 टन सीमेन्ट का आवंटन हुआ था जिसका तहसीलों में विभाजन निम्न प्रकार से किया गया--

तहसील का नाम	आवंटन (मी0 टन में)
1--सदर	9,413
2--बीकापुर	953
3--अकबरपुर	3,987
4--टांडा	2,447
योग ..	16,800

तहसील सदर के आवंटन में फैजाबाद एवं अयोध्या शहर का आवंटन भी सम्मिलित है । आवंटन का आधार उपलब्धता एवं मांग रहा है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 153 का उत्तर पीछे पृष्ठ 513 पर।)

लखनऊ नगर महापालिका के उन भवनों की तालिका, जिनके ऊपर एक हजार से अधिक बकाया है ।

कालोनी का नाम	आवंटी का नाम	भवन सं0	माह जून 81 तक बकाये की धन राशि	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5
1--रीवर बैंक कालोनी	श्री वी0 पी0 पुरी	5/3	2,200	वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।
2--रीवर बैंक कालोनी	श्री एस0 दत्त	सी-3/1	1,650	वाद चल रहा है ।
3--रीवर बैंक कालोनी	श्री ई0 एल जार्डेन	सी-9/3	1,650	वाद चल रहा है ।
4--महानगर	आर0 एन0 विश्वास	1	6,825	वाद चल रहा है ।
5--महानगर	एस0 आर0 निगम	5	7,550	वाद चल रहा है ।
6--न्यू तुलसीदास मार्ग	ए0 एन0 खुराना	22	1,348/75	वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।
7--महानगर विस्तार	श्री ओ0 पी0 सिंघल	ई-14	1,995	वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।
8--महानगर विस्तार	श्रीमती प्रेम कुमारी	ई-37	2,750	वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।
9--महानगर विस्तार	श्रीमती जसपाल कौर	ई-42	1,995	वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगर महापालिका कर्मचारियों के ऊपर बकाये किराये की सूची

1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रहलाद सिंह	पेपर मिल कालोनी	सी-7/11	33/--	1,155·00
2	श्री विध्याचल सिंह	,, ,,	सी-13/11	23·86	1,374·00
3	श्री सूर्य कान्त त्रिपाठी	,, ,,	सी-33/10	23·86	1,271·00
4	श्री प्रेम शंकर मिश्रा	,, ,,	सी-41/1	25	2,625·00
5	श्री टी0 पी0 सिंह	,, ,,	सी-41/3	25	2,031·00
6	श्री अमर नाथ मिश्रा	,, ,,	सी-44/5	25	1,125·00
7	श्री एम0 एम0 होदा	,, ,,	सी-45/1	25	1,000 00
8	श्री आर0 एच0 चौहान	,, ,,	सी-46/6	25	1,171·00
9	श्री राम नरेश त्रिपाठी	,, ,,	सी-46/8	25	5,000 00
10	श्री रजजन लाल दीक्षित	,, ,,	सी-47/4	25	1,542·00
11	श्री श्याम जी श्रीवास्तव	,, ,,	सी-9/1	25	5,083·00
12	श्री कृष्ण लाल यादव	,, ,,	एम-34	25	4,947·00
13	श्री भानु प्रकाश सिंह	,, ,,	डी-2/3	23·6	4,600·00
14	श्रीमती सरला सक्सेना	,, ,,	सी-21/3	23·86	1,548·00
15	श्री शशि कला टंडन	,, ,,	एच-7/7	82·4	4,182·00
16	श्री जयराम सिंह	,, ,,	से0 भ0 सं0 13	15	1,808·00
17	श्री दुर्गा सिंह	,, ,,	से0 भ0 सं0 19	15	1,299·00

नगर महापालिका के बकायेदार कर्मचारियों की सूची

क्रम सं0	भवन सं0	आवंटी का नाम पेपर मिल कालोनी	प्रतिशत किराया	अवशेष मार्च, 1981 तक
1	2	3	4	5
				रु0
1	सी–19/1	श्री बरकत राम	11	178.00
2	सी–19/2	श्री होली राम	11	2,352.00
3	सी–19/3	श्री बाबू राम	11	2,171.00
4	सी–19/4	श्री हीरा	11	2,094.00
5	सी–19/5	श्री पुत्तन	11	1,949.00
6	सी–19/6	श्री होली	11	2,018.00
7	सी–19/7	श्री डल्ला राम	11	2,225.00
8	सी–19/8	श्री बुलाकी राम	11	2,179.00
9	सी–19/9	श्री नजीर	11	2,379.00
10	सी–19/10	श्री मैकू	11	2,158.00
11	सी–19/11	श्री राम आसरे	11	..
12	सी–20/4	श्री चुन्नी लाल	11	2,320.00
13	सी–20/5	श्री बाबू राम	11	2,203.00
14	सी–20/6	श्री मगनू	11	2,349.00
15	सी–20/7	श्री वृज लाल	11	2,052.00
16	सी–20/8	श्री छज्जन	11	2,137.00
17	सी–20/10	श्री सलारी	11	1,518.00
18	सी–20/11	श्री कृष्ण मुरारी	11	2,357.00
19	सी–22/1	श्री हैदर गफ्फूर	11	1,840.00
20	सी–22/3	श्री जंगली	11	2,084.00
21	सी–22/4	श्री कल्लू	11	2,533.67
22	सी–22/3	श्री मेवा	11	2,017.00
23	सी–22/6	श्री खैदातो	11	2,492.00

1	2	3	4	5
24	सी–22/8	श्री फकीरे	11	2,148.00
25	सी–28/3	श्री भगवान दीन	12·86	2,590·05
26	सी–28/5	श्री खालिक अहमद सन्नू	12·86	2,584·30
27	सी–28/7	श्री हजारी लाल	12·86	2,870.36
28	सी–28/8	श्री बाबू	12·86	1,656·32
29	सी–28/10	श्री गुरु प्रसाद	12·86	2,802·18
30	सी–22/12	श्रीमती रमजानी	12·86	3,353.08
31	सी–29/1	श्री हीरा लाल	12·86	2,677.36
32	सी–29/2	श्री मोहम्मद अली	12·86	2,683.32
33	सी–29/3	श्री फकीरे	12·86	2,625·96
34	सी–29/4	श्री दिलदार	12·86	2,645·60
35	सी–29/5	श्री नसीर	12.86	2,738 26
36	सी–29/6	श्री धनीराम	12·86	2,654·52
37	सी–29/7	श्री दिलबार	12·86	2,661 22
38	सी–29/9	श्री रहमन	12·86	2,780 34
39	सी–29/10	श्री डल्ला	12·86	2,590·24
40	सी–29/11	श्री फकीरे	12·86	2,555·10
41	सी–30/2	श्री हसनू	12·86	2,834·90
42	सी–30/4	श्रीमती कनीज	12·86	2,455.90
43	सी–22/10	श्री अच्छे लाल	11	1,871·00
44	सी–22/12	श्री महबूब	11	2,292·15

नगर महापालिका कर्मचारियों पर बकाये किराये की सूची

क्रम सं0	आवंटी का नाम	कालोनी का नाम	भवन संख्या	मासिक किराया	बकाया मार्च, 1981
1	2	3	4	5	6
				रु0	रु0
1	श्री इरफानाल हसन	बिल्लोचपुरा	सी–3	35·54	5,697·07
2	श्री बनवीर सिंह	,,	सी–9	35·54	5,922·55
3	श्री जीत बहादुर मिश्रा	,,	सी–10	35·54	5,699·79
4	श्री हुसैनुद्दीन	,,	सी–16	35·54	3,665·50
5	श्री बाबू राम	तिलक नगर	सी–6	35.00	6,048·52
6	श्री नगर स्वा0 अधि0	हाता खुदा बक्स	ए–4	23·86	4,624·98
7	,,	,,	भ0 सं0 1	51.00	10,849.00
8	,,	,,	भ0 सं0 4	51.00	10,909.00
9	श्री राम औतार	राजेन्द्र नगर	ई–4	18.00	1,435.00
10	श्री विश्व नाथ	,,	से0 भ0 सं0–6	16.00	1,728.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
				रु0	रु0
11	श्री मुन्नू लाल	राजेन्द्र नगर	से0 भ0 सं0–9	16.00	727.00
12	श्री राम लाल	,,	से0 भ0 सं0 13	16.00	1,078.00
13	श्री टी0 एन0 निगम	,,	ग्राउण्ड फ्लोर 13	80.00	8,217.00
14	श्री श्याम किशोर श्रीवास्तव	,,	ग्राउण्ड फ्लोर 23	80.00	4,759.40
15	श्री चन्द्र प्रकाश	,,	ग्राउण्ड फ्लोर 24	80.00	7,657.40
16	श्री विन्देश्वरी प्रसाद	,,	से0 भ0 सं0–10	16.00	1,666.00
1	श्री विष्णु दुबे	पाण्डे का तालाब	जे–2/5	12.00	12,364.00
2	श्री मिर्जा मो0 कादिर	,,	जे–2/6	120.00	13,800.00
3	श्री एस0 पी0 पाण्डेय	,,	जे–3/6	120.00	13,604.00
4	श्री अध्यापक, अमीनाबाद इन्टर कालेज श्री जगदीश शंकर राय	,,	जे–4/1	120.00	13,800.00
5	श्री एस0 एन0 शुक्ला	,,	डी–3	23.85	5,276.00
6	श्री हृदय नरायण निगम	,,	एफ–6	23.86	6,072.00
7	श्री गुरु बक्स राय	,,	एच–2	23.86	4,166.66
8	श्री नगेन्द्र प्रसाद राय	,,	आई–2	60.00	6,594.00
9	श्री जगरूप सिंह कुशवाहा	,,	आई–3	60.00	6,594.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	श्री राम सरन तिवारी	,,	आई–4	60.00	6,594.00	
11	श्री विद्याधर श्रीवास्तव	,,	आई–5	60.00	6,594.00	
12	श्री कमल किशोर श्रीवास्तव	,,	आई–6	60.00	6,594.00	
13	श्री असफाक हुसैन	,,	आई–7	60.00	6,594.00	
14	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	,,	आई–10	60.00	6,648.00	
15	श्री कमाल अहमद	,,	आई–11	60.00	6,648.00	
1	श्री बी0 एन0 सिंह	नैपियर रोड	11	125.00	1,304.60	
2	श्री काजी अब्दुल अजीज	,,	सी–2/11	44.00	2,987.25	
3	श्री कैलाश नाथ माथुर	,,	सी–3/7	44.00	3,084.00	
4	श्री ओम प्रकाश मौर्या	,,	सी–3/8	44.00	1,680.00	
5	श्री मोहम्मद कासिम	,,	सी–4/2	44.00	2,508.00	
6	श्री मोहम्मद कासिम	,,	सी–4/3	44.00	2,898.25	
7	श्री राम कृष्ण	,,	सी–4/12	44.00	1,190.00	
8	श्री राधे श्याम श्रीवास्तव	,,	सी–5/3	44.00	2,000.00	
9	श्री मोहन जी सहाय	,,	सी–5/11	44.00	1,642.00	
10	श्री मुरली धर ठाकुर	,,	सी–5/1	44.00	2,569.00	
11	श्री एच0 एस0 अन्सारी	,,	सी–5/12	44.00	6,094.00	
12	श्री इरशाद अली	,,	सी–6/12	44.00	5,624.00	

1	2	3	4	5	6
				रु0	रु0
13	श्री बी0 के0 श्रीवास्तव	निरला नगर	सी–1/11	50·25	3,894·80
14	श्री शिव कुमार दीक्षित	,,	सी–3/3	50·25	6,408·40
15	श्री शेर बहादुर सिंह	,,	सी–4/4	50·25	8,967·37
16	श्री मुक्ता चरण गुप्ता	,,	सी–4/6	50·25	5,601·35
17	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	,,	सी–4/7	50·25	6,733·50
18	श्री कालिका स्वरूप	,,	सी–4/8	50·25	6,733·50
19	श्री चन्द्र शेखर पाण्डेय	,,	सी–5/1	50·25	6,733·50
20	श्री चन्द्र भान शुक्ला	,,	सी–5/10	50·25	6,733·50
21	श्री उदय राज सिंह चौहान	,,	सी–5/9	50·25	6,733·53
22	श्री राज किशोर त्रिपाठी	,,	सी–5/10	50·25	6,733·50
23	श्री मोहम्मद हकीम वारसी	,,	सी–5/11	50·25	6,733·50
24	श्री बी0 डी0 त्रिवेदी	,,	सी–8/8	36.00	5,498.00
25	श्री रामानुज वर्मा	,,	सी–8/11	36.00	5,544.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 186 का उत्तर पीछे पृष्ठ 566 पर।)

तालिका

क्रम–सं0	नाम समिति	1 जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 तक आवंटित चीनी की मात्रा कुन्तल में
1	2	3
1	साधन सहकारी समिति, बिरौरी	108
2	,, ,, छिबरामऊ	84
3	,, ,, विशेश्वरपुर	60
4	,, ,, बरोहमपुर	100
5	,, ,, पुरवावां	112
6	,, ,, ईश्वरपुरसाई	76
7	,, ,, पलई	112
8	,, ,, बांसा	92
9	,, ,, बेरिया नजीरपुर	108
10	,, ,, भिठाई	64
11	,, ,, रुदामऊ	112
12	,, ,, कुरसठ बुजर्ग देहात	64
13	,, ,, सदरपुर	72
14	,, ,, बाबटमऊ	96
15	,, ,, शाहपुर वसुदेव	80
16	,, ,, अटवाअली मर्दानपुर	112
17	,, ,, राघवपुर	88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
18	साधन सहकारी समिति, ऊंचा गांव	76
19	,, ,, पडरालखनपुर	48
20	केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, प्रथम मल्लावां	135
21	,, ,, द्वितीय	86
22	,, ,, तृतीय	98
23	साधन सहकारी समिति, बन्दीपुर	92
24	केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, प्रथम माधोगंज	111
25	,, ,, द्वितीय	103
26	,, ,, तृतीय	40
27	क्रय-विक्रय समिति, माधोगंज	25
28	टाउन एरिया, कुरसठ	78
	योग ..	2432

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 191 का उत्तर पीछे पृष्ठ 567 पर ।)

संलग्नक

जनपद अल्मोड़ा

तहसील रानीखेत में विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों के पदों की सूची

क्रम–सं0	पद का नाम	स्थान, जहां रिक्त है	कब से रिक्त है
1	2	3	4
1	द्वितीय चिकित्सक	प्रा0 स्वा0 के0, चौखुटिया	3–2–81
2	तदेव	प्रा0 स्वा0 के0, देघाट	2–11–80
3	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	एस0 ए0 डी0, पाला	30–8–80
4	तदेव	एस0 ए0 डी0, सिनौला	23–4–78
5	तदेव	एस0 ए0 डी0, विनायक	11–10–76
6	तदेव	एस0 ए0 डी0, स्याल्दे	14–6–79
7	तदेव	एस0 ए0 डी0, मछोड़	27–6–80
8	तदेव	एस0 ए0 डी0, नौघर	29–3–78
9	तदेव	एस0 ए0 डी0, चमोली	7–3–81
10	तदेव	एस0 ए0 डी0, नैल	16–8–79
11	तदेव	एस0 ए0 डी0, सुरईखेत	17–11–80
12	तदेव	एस0 ए0 डी0 छोन पासुड	फरवरी, 1980
13	तदेव	एस0 ए0 डी0, बरदन्डा	14–2–81
14	तदेव	एस0 ए0 डी0, धामदेवल	1–3–81
15	तदेव	एस0 ए0 डी0, असगोली	7–3–81
16	तदेव	एस0 ए0 डी0, कपड	1–3–81
17	तदेव	एस0 ए0 डी0, बाजन	15–2–81
18	तदेव	एस0 ए0 डी0, सरईखेत	10–3–81
19	तदेव	महिला चिकित्सालय, सल्ट	13–12–79
20	तदेव	महिला चिकित्सालय, मतरो– खान	27–6–80
21	तदेव	एस0 ए0 डी0, जौरासी	21–8–80

नत्थी 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 192 का उत्तर पीछे पृष्ठ 568 पर।)

संलग्नक 'क'

पी0 जी0 आई0 के गठन से सम्बन्धित कमेटी की पहली बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को विकास भवन, लखनऊ में हुई थी, इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :--

1– डा0 डी0 एन0 शर्मा	अध्यक्ष।
2 –श्री जी0 पी0 पान्डे	कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, सदस्य।
3--डा0 जे0 एस0 नेगी	डाइरेक्टर, पी0 जी0 आई0, चंडीगढ़, सदस्य।
4--डा0 पी0 एन0 वाही	भूतपूर्व डाइरेक्टर जनरल, इंडियन कौन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च तथा भूतपूर्व कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय, विशेष आमंत्री।
5 –श्री वेंकट नरायन	सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन, सदस्य।
6--डा0 एस0 एन0 गुप्ता	स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ, सदस्य संयोजक।
7--श्री के0 सी0 मेहरोत्रा	संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, सदस्य।
8--डा0 आर0 एस0 शर्मा	अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ, अतिरिक्त संयोजक।
9--डा0 आर0 एम0 एल0 मेहरोत्रा	विभाग ध्यक्ष, पैथोलाजी विभाग एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ, विशेष आमंत्री।
10--डा0 आर0 एस0 तिवारी	अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
11--डा0 ए0 चरन	विभाग ध्यक्ष, सर्जरी विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ, विशेष आमंत्री।
12--डा0 आर0 एन0 शर्मा	विभाग ध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ, विशेष आमंत्री।

पी0 जी0 आई0 कमेटी की आखिरी बैठक दिनांक 18 फरवरी, 1981 को विकास भवन, लखनऊ में हुई थी जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया था :—

1--डा0 डी0 एन0 शर्मा	अध्यक्ष, पी0 जी0 आई0, समिति।

2--श्री जे० पी० पान्डे	कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, सदस्य ।
3--श्रीमती लता सिंह	सचिव, चिकित्सा विभाग, उ० प्र० शासन, सदस्य ।
4--श्री आर० के० दर	सचिव, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन, सदस्य ।
5--श्री जे० एल० बजाज	सचिव, नियोजन विभाग, उ० प्र० शासन, सदस्य ।
6--डा० एम० एल० धर	चेयरमैन, एकेडेमिक बोर्ड, आई० सी० एम० आर०, सदस्य ।
7--डा० पी० रामलिंग स्वामी	डाइरेक्टर जनरल, आई० सी० एम० आर०, सदस्य ।
8--श्री, ज०० के० अरोरा	सचिव, शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन, विशेष आमंत्री ।
9--डा० बी० सी० जोशी	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10--डा० आर० सी० शर्मा	अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, अतिरिक्त संयोजक ।
11--डा० के० पी० भार्गव	प्रधानाचार्य, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, विशेष आमंत्री ।
12--डा० आर० एम० एल० मेहरोत्रा	प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष, पैथोलाजी विभाग, के० जी० एम० सी०, विशेष आमंत्री ।
13--डा० ए० वरन	प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष, सर्जरी विभाग, के० जी० एम० सी०, विशेष आमंत्री ।
14--डा० आर० एन० शर्मा	प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष, प्लास्टिक एवं सर्जरी विभाग, के० जी० एम० सी०, विशेष आमंत्री ।
15--डा० आर० एस० तिवारी	अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ, विशेष आमंत्री ।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ 582 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें सत्र के लिए निर्धारित श्री प्रभु नारायण सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
4--क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात करने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के मुफ्तगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत रजेपुर में गत वर्ष से ही बंजर गोदाम भवन का निर्माण स्वीकृत है ? क्या इस बंजर गोदाम के भवन के निर्माण हेतु धन का आवंटन भी हो चुका है और गांव सभा रजेपुर द्वारा भूमि का पट्टा कर दिए जाने पर भी निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया ? क्या सरकार सार्वजनिक हित में इस बीज गोदाम भवन का निर्माण शीघ्र करायेगी ?	जनपद जौनपुर के मुफ्तगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत रजेपुर में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गोदाम का निर्माण वर्ष 1979-80 में स्वीकृत किया गया था । निर्माण कार्य हेतु धन तथा भूमि उपलब्ध है । निर्माण कार्य हेतु निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, परन्तु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

वासुदेव सिंह,
सहकारिता मंत्री ।

बी० एस० यू० पी०—52 एल० ए०—25-9-82--835--(पी० डी०)